

CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 10, Friday, August 12, 2011/Sravana 21, 1933 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 181 to 183	2-29
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 184 to 200	30-113
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	114-587

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 588-597

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 598

**STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT**

(i) **238th Report** 599

(ii) **Evidence** 599

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demand for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj

Shri V. Kishore Chandra Deo 600

BUSINESS OF THE HOUSE 601-605

**MOTION RE: TWENTY-EIGHTH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** 606

**CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE** 608-639

Situation arising out of dwindling passenger share and poor financial health of Air India resulting in delayed payment of wages and other benefits to the employees and steps taken by the Governemnt

Shri Gurudas Dasgupta 608
612-618

Shri V. Narayanaswamy 608-612
630-639

Dr. Bholu Singh 618-619

Shri Ramesh Bais 619-620

Dr. Murli Manohar Joshi 620-625

Shri Syed Shahnawaz Hussain 625-629

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Problems being faced by cancer patients in the country 649-650

**TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS
(AMENDMENT) BILL, 2009**

665-702

Motion to Consider

663

Shri Ganesh Singh

663-666

Dr. Prabha Kishor Taviad

667-669

Shri Prasanta Kumar Majumdar

670-671

Dr. Tarun Mandal

672-674

Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi

675-677

Shri Ghulam Nabi Azad

678-682

Clauses 2 to 13 and 1

683-702

Motion to Pass

702

**MOTION RE: EIGHTEENTH REPORT OF
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS.**

703

**RESOLUTION RE: SPECIAL STATUS TO
THE STATE OF BIHAR**

704-754

Dr. Bholu Singh

704-711

Shri Om Prakash Yadav

712-713

Shri Mangani Lal Mandal

714-717

Shri Satpal Maharaj

718-719

Shri Syed Shahnawaz Hussain

720-726

Shri Mohd. Asrarul Haque

727-729

Shri Shailendra Kumar

730-732

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

733-741

Dr. Prasanna Kumar Patasani

742-744

Shri Sushil Kumar Singh

745-747

12.08.2011

4

Shri P.L. Punia	748-750
Shri Arjun Ray	750-753
Shrimati Putul Kumari	754

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	755
Member-wise Index to Unstarred Questions	756-761

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	762
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	763

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

12.08.2011

6

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 12, 2011/Sravana 21, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q. No. 181)**Comment [S1]:** A1-A3 written reply

SHRI P.R. NATARAJAN : Madam, the Economic Survey Report for 2010-11 says at pages 151 and 152 that India is the fifth most indebted country in the world. It is based on the data given in the 'Global Development Finance – 2011' published by the World Bank.

I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, the reasons for the rise in the total external debt during the last 12 months and what measures have been taken to reduce the external debt.

SHRI NAMO NARAIN MEENA : This is in the reply that "According to the 'Global Development Finance – 2011' published by the World Bank, India is ranked fifth in 2009". Here, I would like to inform that in terms of external debt stock to GNI ratio, India's position was fifth lowest among the top 20-debtor developing countries. In terms of cover provided by foreign exchange reserves to the external debt, India's position was fourth highest at 119.8 per cent after China, Thailand and Malaysia. This is the fourth best among 20 developing countries. In terms of share of concessional credit in total external debt, India's position was fourth highest after Pakistan.

Yes, there has been a slight increase, as the hon. Member is saying. It is also stated that the share is only 17.3 per cent of our GDP. He has asked what measures are being taken to control this. We have given the information in our reply. We have said: "External Debt management policy pursued by the Government of India emphasizes raising sovereign credit on concessional terms with longer maturities." This is there. There are several other measures which our country has taken, and they are detailed in the reply.

The increase was to US \$ 305.9 billion in 2010-11, it was US \$ 261 billion. The reasons for increased total external debt in 2011 was mainly due to the commercial borrowings that accounted for 38.9 per cent of the increase in total debt; followed by short-term debt, 28.2 per cent; and multilateral credit, 12.5 per

cent. Strong domestic demand along with rising interest rate differentials led to higher net inflows under commercial borrowings. These are the reasons. But as you know, our economy is growing and this external debt is manageable.

SHRI P.R. NATARAJAN : Madam, I would like to know whether any specific conditions have been imposed by the international financial institutions, including the IMF on the global development finance while lending and, if so, whether the hon. Minister will give those details to this august House.

Comment [S2]: Fd by b1

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, while taking loans, the terms and conditions of the lenders have to be obeyed. The terms and conditions given by the lending institutions are always there before taking the loans.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारत की विदेशी ऋण के लिए क्रेडिट रेटिंग क्या है, सरकार इस क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है तथा विदेशी ऋण का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया गया? माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा गया था कि ब्याज की दरें क्या हैं, लेकिन उसका भी स्पष्ट जवाब उत्तर में नहीं मिला है।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, the credit rating is determined not merely on the volume of external debt. As my colleague has pointed out, our external debt in terms of our GDP has come down. If the hon. Members are interested to have the figures, I can give it – from 1991, our ratio of total external debt to GDP was 28.7 per cent. From 2003-04 onwards, when my colleague Shri Yashwant Sinha was the Finance Minister – he did a good job – it started coming down. In 2003-04, it was 18 per cent. In this year, we have reached the lowest ratio of 17.3 per cent. So far as the interest rates are concerned, it depends on the nature of the borrowing which we are having. Under the normal conditions, the interest rate is LIBOR Plus – LIBOR is having the prevailing standard and the normal interest rates. But concessional interest rates are also there – take the case of IDA. The interest rate in IDA is almost minimal, at 0.5 per cent; it has longer maturity period. In IDA, there is also a commitment charge. But in IFDA, it is 0.75 per cent, but there is no commitment. Therefore, the interest rates

also vary, depending on the period of maturity – in which period, the borrowings are to be repaid. Recently you would have noticed that. Today, we are in a comfortable position. I would like to inform the House that our total debt today, right now, is 305.9 billion dollar, and our reserve today is 319 billion dollar. This is one of the very rarest occasions when our total foreign exchange reserve is more than our total outstanding borrowing on a particular date. Thank you.

SHRI S.S. RAMASUBBU : Our hon. Minister says that we are having the commercial burden or debt for the short term period. Nowadays we have to import crude oil from various oil producing countries, and thus, we have to meet the mounting oil bill and there is the debt burden. Recently, Iran had announced that it is going to stop supply of oil to India, if the oil debt bill is not paid within a specific period. How much burden of oil debt bill we are having, for the import of crude oil? What steps we have taken to set right the commitment to Iran?

Comment [r3]: Fld C

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, first of all I would like to dispel this impression that Iran has threatened to stop supplying oil to India. Please do not create scare in the country. It maybe the report of some newspaper but officially Iran has never told us that it is going to stop the supply. Iran is supplying 20 per cent of our total oil requirements. Therefore, if this impression is created, it will create problem. We had some problem with regard to making payment for the oil bill to Iran but that problem has been sorted out. Regular payment is taking place now. There are some outstanding figures which in course of time we would like to clear by making the payment.

Please do not mix up ECB with the oil import bill. External Commercial Borrowing has substantially increased. As my colleague has said, nowadays we have exposed our private sector to borrow from outside. We have to resort to it because of the interest rate hardening within the country. I have explained this a number of times. To fight inflation, repo rate has been increased over the last ten months several times. You may have noticed that the developed countries are injecting substantial amount of money through various mechanisms including Quantitative Easing in USA with the lower interest rates. They are not increasing their interest rates obviously for their own reasons. I am not going to comment on that though it will have its repercussion in the international finance. But this is one of the reasons and that is why the ECB has increased.

DR. TARUN MANDAL : From the data provided by the hon. Minister, I find that the external debt is gradually escalating and still India is acclaimed to be, next to China, the most dynamic emerging economy in the world. It appears to me that it is almost like '*rinnag tittang ghritam peevey*'. It means that though foreign debt is gradually increasing, we are still giving economic stimulus, even in the last Budget in the range of Rs.2,00,000 crore, cutting down our subsidy in many essential sectors. I would like to tell the hon. Minister that due to tax evasion we are losing a lot on account of our internal generation. Like Hasan Ali, there are many other persons in India who are evading taxes worth thousands of crores. If we can generate more revenue from internal taxes we can cut down our external debt. So, my question to the hon. Minister is what action you are going to take to increase our internal generation through tax collection and taking stringent action against these tax evaders.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, this is totally out of context. The Question relates to the external debt. So far as tax collection is concerned, we have discussed this particular issue on a number of occasions. We have discussed issues like problem of black-money generation and how to tackle it. I understand that there will be another discussion coming shortly on this issue and I will explain

12.08.2011

11

the hon. Member in detail during that discussion. India is not one of the highest but one of the lowest among the top debtor developing countries. That is why we have indicated that India's position was fifth lowest among the top 20-debtor developing countries. And, that is why I have indicated that per capita debt has come down. Debt-GDP ratio has come down. A couple of minutes ago I had explained those figures to you.

Comment [R4]: Fd. By 'd'

(Q. No. 182)

श्री उदय प्रताप सिंह : महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा मेरे जवाब में आया है कि देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में 73,601 बैंक की शाखाएं काम कर रही हैं। इनमें 21,646 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। चूंकि भारत गांवों का देश है और 73,000 शाखाओं में से 21,000 शाखाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, मैं समझता हूँ कि आबादी के हिसाब से यह बहुत कम हैं। खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर पूरा कॉर्पोरेटिव सेक्टर चरमरा गया है, जो एलडीबी हैं, उन्हें स्थानीय कॉर्पोरेटिव बैंक में मर्ज करने की कार्यवाही चल रही है, सूदखोरों को बढ़ावा मिल रहा है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बैंकों की संख्या निकट भविष्य में बढ़ाने का कोई प्रावधान है।

श्री नमोनारायन मीणा : महोदया, माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स की ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं हैं। वह फिगर हमने 21,646 दी है। देश में इस समय कामर्शियल बैंक्स 89,396 हैं। इन 21,646 शाखाओं के अतिरिक्त हमारे 82 आरआरबीज़ हैं और उनकी 15,704 शाखाएं भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। रूरल कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशंस के भी लगभग 96,000 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सेमी-अर्बन शाखाएं हैं, दस हजार और एक लाख के बीच की आबादी वाले कस्बों में उनकी संख्या भी 22,526 है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से तो सहमत हूँ कि जितने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक होने चाहिए, उतने बैंक नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर इन सबको देखें तो कुछ व्यवस्था है और उसे इन्क्रीज करने की आवश्यकता है।

जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में यह आइडेंटिफाई किया था कि देश में 16 ऐसे राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जो अंडर बैंक हैं। साथ ही इन 16 राज्यों में 292 ऐसे जिले हैं, जो अंडर बैंक हैं। इनके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में यह चीज बताया थी कि बैंकिंग रीच को ज्यादा करने के लिए, आम आदमियों को बैंकिंग नेटवर्क में लाने के लिए 73,000 ऐसे गांव छाने गये हैं, जिनकी जनसंख्या 2,000 या उससे अधिक है। वहां बैंकिंग सुविधा के लिए, अगर वहां ब्रिक एंड मोटर ब्रांच नहीं है तो वहां कोई मॉडल, बीसी मॉडल के तहत वहां बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किया जाये। हमारी सरकार का इंकलूजिव ग्रोथ का जो एजेंडा है, उसी में फाइनेंशियल इंकलूजन भी है। आरबीआई ने भी इसी लाइन में वर्ष 2009 के दिसम्बर में एक जनरल ऑथराइजेशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन देते हुए यह कहा था, सभी बैंकों को डायरेक्शंस दिये थे कि 50,000 से नीचे की आबादी वाले जो भी गांव हैं, उनमें परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां जनरल परमीशन दी जाती है, आप वहां बैंक खोल दीजिएगा और हमें रिपोर्ट कर दीजिएगा। इससे ज्यादा बैंक खुलेंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए यह कहा था कि वहां बैंकों का घनत्व कम है, पेनिट्रेशन कम है तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं

रखी थी। वे अगर 50,000 से ऊपर में भी खोल देंगे तो परमीशन रिपोर्टिंग कर दीजिए, प्रॉयर परमीशन की जरूरत नहीं है।

Comment [c5]: Contd. By e1

हाल ही में आरबीआई का 2011-12 का मॉनीटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया है। उसमें एक और डायरेक्शन बैंकों को दिया गया है कि वर्ष 1 और 2 में एक लाख से ऊपर की आबादी के करबों में अगर आप बैंक खोलते हैं तो आपको 10000 और उससे नीचे की आबादी के गाँवों के लिए 25 परसेंट बैंक खोलना लाजमी होगा। आप साल का बता दीजिए कि आप कितने बैंक खोल रहे हैं। बड़े शहरों में आप खोलेंगे तो 25 परसेंट आपको यहाँ खोलना पड़ेगा। एक तो 50000 से नीचे का ऑथराइज़ेशन दे दिया है कि आप बिना परमीशन के खोल दीजिए। एक यह डायरेक्शन दिया और एडवाइस किया गया कि आप 10000 से नीचे के गाँवों में खोलो। एक और 1:1 की जो पॉलिसी दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य अंडरबैंकड हैं, जो ज़िले अंडरबैंकड हैं, उनमें 50000 से नीचे और 100000 के बीच में एक बैंक खोलना पड़ेगा। अगर एक लाख की आबादी है तो 1:1 होगा। इससे हमारे बैंकों की संख्या बढ़ेगी। पिछले साल हमारे बैंकों का जो विस्तारीकरण है, पिछले दो सालों में 4500-5000 शाखाएँ प्रतिवर्ष खोल रहे हैं। 2010-11 में 4600 शाखाएँ खोली गईं, 2009-10 में कुल 4995 शाखाएँ खोली गईं और ग्रामीण बैंक 1003 खोले हैं, जबकि पहले के सालों में 500-600 बैंक भी खुलते रहे हैं। 2001 में रूरल बैंक्स सिर्फ 43 खुले थे। 2002 में 38 खुले थे, 2003 में 41 खुले थे। आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बैंक खोलने का प्रस्ताव है।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने की बात कही है, चूँकि मध्य प्रदेश राज्य छोटे-छोटे गाँवों का है, वहाँ पर 5000 से ज्यादा मतदाताओं पर नगर पंचायत बन जाती है और 25000 से ज्यादा मतदाताओं पर नगरपालिका बन जाती है। जहाँ 5000 से ज्यादा मतदाताओं की आबादी है, वे शहर माने जाते हैं। मेरा अनुरोध यह था कि जहाँ 2000-3000 की आबादी के ऐसे बहुत से गाँव हैं, चूँकि वहाँ मध्य प्रदेश में गाँवों की दूरियाँ बहुत ज्यादा हैं और ऐसे कई गाँव मैं आपको बता दूँगा, रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर ज़िलों में जो कस्बे हैं उन्होंने नगर पंचायत का रूप ले लिया है। वहाँ पर बैंकों की आज भी आवश्यकता है, राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाने हैं। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कोआपरेटिव बैंकों को इसमें शामिल न करें क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते कोआपरेटिव बैंकों के भरोसे गरीबों, किसानों और बेरोज़गारों का भला नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कृपा करें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I would like to add to what my colleague has said. He has given detailed information. I agree with the perception of the hon. Member that when we compare with the bare numbers and the

requirement and the number of villages, then it appears not very significant. Even if I assume 89,000 bank branches taken together, including the foreign banks, which has phenomenal expansion from the days of nationalization which has grown from 8,000 to 89,000 or 8,000 to 73,000 public sector and private sector commercial banks, then it is a big jump. But there are six hundred thousand villages in the country. There are a few thousand cities and urban conglomeration, cities excluding. Therefore, what we have decided and what is needed is that if we want to achieve inclusive growth, if financial inclusiveness is to be achieved, then we shall have to provide the banking facilities.

The suggestion of the hon. Member for expanding and strengthening the cooperatives is one of the very effective instruments and we are working for that. In addition to that what we have stated, which has been mentioned in the main text of the reply, is that we shall have to provide the banking facilities. If it is difficult to establish a brick and mortar branch in a particular area, then through mobile van, through mobile phone, through business correspondent and through other institutional arrangements provide the banking facilities to those people which many of the banks are doing. And that is why, after the announcement of the Budget, IBA, in consultation with the Reserve Bank of India identified 73,000 villages having a population of 2000 and more which they will try to cover by 31st March, 2012. We are told that already more than 29,000 such villages have been covered. But I agree that the requirement is much more and we shall have to work faster.

Comment [R6]: Contd. By fl

श्री तूफ़ानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण अंचल में 21646 शाखाएं बतायी गयी हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। 21646 में मात्र 2591 ब्रांचिज़ उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं जो आबादी के मानक के हिसाब से बहुत ही कम हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लोगों को बैंकिंग लेनदेन के लिए दूरदराज़ जोखिम भरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिसका कारण है कि आज भी गांव में 60 प्रतिशत लोग बैंक एकाउंट से वंचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मार्च, 2012 तक उत्तर प्रदेश के दो हजार से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में कितनी बैंक शाखाएं खोलने की योजना है। इसमें जनपद जौनपुर की क्या संख्या है तथा स्वाभिमान के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग के तहत एटीएम के लिए कितने रिहाइशी प्लेस उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं।

श्री नमोनारायण मीणा: अध्यक्ष महोदया, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यह सारे प्रस्ताव बनाती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी अधिकारी होते हैं। बैंक में कनवीनर भी आपका होता है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग उत्तर सुन लीजिए।

श्री नमोनारायण मीणा: माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि छः लाख गांव जिस देश में हों और इतनी कम शाखाएं हों। लेकिन जब वित्त मंत्री जी इनक्लूज़िव ग्रोथ में फाइनेंशियल एक्सपेंशन को भी रखा है। इसमें दो हजार तक के गांवों को मार्च, 2012 तक जोड़ दिया जाएगा। यूपी में स्वाभिमान अभियान के तहत 14626 गांवों को जोड़ा जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने सीएमडी की मीटिंग में डायरेक्शन्स भी दी हैं कि एक हजार तक के गांवों का सर्वे भी स्टेट लेवल कमेटी करके भेजे और ज्यादा बैंक खोले जाएंगे।

श्री तूफ़ानी सरोज : आप पहले दो हजार तक के बारे में तो बताइए, एक हजार की तो बाद की बात है।

श्री नमोनारायण मीणा: 14626 स्वाभिमान में कवर किए जा रहे हैं और एक हजार से ऊपर के गांव भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। नैक्सट फेज़ में उन में भी बीसी मॉडल आएगा और बैंक की शाखाएं ज्यादा खुलेंगी।

श्री हरिभाऊ जावले : महोदय, मैं पहले माननीय प्रणब दा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में स्वाभिमान योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधा देने के बारे में सोचा है। इसमें 30000 गांवों में बैंकिंग की सुविधा दी भी गई है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधा दी जा रही है। आज पूरे देश में ग्रामीण एरिया में 21 हजार ब्रांचिज़ बैंकिंग की सुविधा दे रही है। लेकिन वहां की परिस्थिति क्या है। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। ग्रामीण एरिया में जितनी भी ब्रांचें काम कर रही हैं, वहां कर्मचारियों की बहुत कमी है। मेरा मतदान क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में आता है, वहां एक सेन्ट्रल बैंक है और पूरे उसमें महाराष्ट्र में 2300-2400 क्लर्क की जगह कम है

और 400 अधिकारी कम हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधा उपयोग करने में बहुत कठिनाई आती है। वहां पैसे निकालने में समय लगता है, पैसे डिपोजिट करने के लिए लाईन लगानी पड़ती है क्योंकि पैसे गिनने वाला कोई नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज प्रत्येक बैंक में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, वह आप कब तक भरेंगे। दूसरी बात, जो स्वाभिमान सुविधा आप दे रहे हैं, यह तो आपने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसमें आप एटीएम और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालूम नहीं है कि एटीएम और मोबाइल बैंकिंग का कैसे यूज करें। मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर बैंक में ये सुविधाएं देने से पहले क्या आप एक मार्गदर्शन केन्द्र खोलेंगे।

श्री नमोनारायन मीणा: माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है कि कर्मचारियों की संख्या कम है। आज बैंकों का जबर्दस्त विस्तार हो रहा है। सारे बैंकों की शाखाएं प्रति वर्ष 4000 से 5000 की संख्या में खुल रही हैं। रिस्कूटमेंट के लिए आपने खुद देखा होगा कि हमारे बैंक चाहे स्टेट बैंक ग्रुप के बैंक हो, चाहे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हों, सभी बड़े पैमाने पर रिस्कूटमेंट कर रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं, रिस्कूटमेंट हो रहे हैं। कर्मचारियों की कमी की पूर्ति की जाएगी। आपने एटीएम के लिए कहा। वर्ष 2007 में 27000 एटीएम थे और वर्ष 2010 में 60000 एटीएम अभी तक हो गए हैं। मोबाइल बैंकिंग के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 46 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग की अनुमति दे दी है। आज जरूरत बढ़ रही है, बैंकिंग एक्टीविटीज़ बढ़ रही हैं तो उसी रफ्तार से फाइनेंशिएल इंकलूजन के तहत सभी बैंक चाहे आपका स्वाभिमान अभियान के तहत, ई.सी. मॉडल के तहत, या ब्रांच एक्सपैन्सन के तहत पूरे प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आपके क्षेत्र में ज्यादा बैंक खुलेंगे, सबमें कर्मचारी रहेंगे और एटीएम भी आपके क्षेत्र में ज्यादा लगेंगे।

DR. RATNA DE : In spite of the expansion and development of the banking sector in the urban areas, we could not find such development in the rural areas, in terms of the branches of the nationalised banks. We all know that according to the guidelines of the RBI, villages having a population in extension of 2,000, banking facilities should be provided.

Madam, Pakre at Pandua block, District Hooghly, West Bengal is within my constituency. The population of that village is more than 3,000. They have applied for opening a branch of any nationalised bank about five years back. But I am sorry to say that till now they did not get an answer from the authorities concerned in the banking sector.

Could the hon. Minister state the number of unbanked villages in West Bengal and the status of unbanked villages as of now?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, as per the RBI report, West Bengal is an under banked State. There are 292 districts and 71 blocks in the country where no banking facility is available. Seventy blocks are in North-East and one block is in Jammu and Kashmir.

Regarding opening a branch in a particular village is concerned, the commercial viability of opening a branch at a particular village is done by the bank concerned. The bank will go and survey. If they find that it is viable to open a branch, then they will certainly open a branch.

Comment [r8]: Followed by H1

SHRI S. SEMMALAI : Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

Madam, our economy is based more on savings and investments. The habit of savings is slowly picking up among the people of urban areas, but such phenomenon is not widely prevalent among the rural people. It is basically due to lower returns to the amounts saved. Hence, there is a need to encourage savings habit among the rural areas through some types of incentives.

Hence, may I request the hon. Minister, through you, to state whether without affecting the overall lending and borrowing policy of banking system, some types of incentives can be extended to the people in the rural areas through the Regional Rural Banks and whether the RBI is contemplating any such move in this regard?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: All these aspects are taken into account while determining. But you shall have to take into account that when the Regional Rural Bank was established, one of the objectives of this Regional Rural Bank was, that their lending rate will be lower and their borrowing rate will be higher and still that practice is being followed. But there is a limit beyond which you cannot go. Ultimately, we shall have to keep in mind that by pursuing this policy where the lending rate is lower and borrowing rate is higher so far as bank is concerned, then

naturally banks will be under-funded and unviable. We shall have to provide money for them. From 1975 till today, why did the RRBs not take off as compared with Bangladesh? What is the rate of interest of the Grameen Bank in Bangladesh? Therefore, we cannot eat the cake and, at the same time, have it. The question is of coverage. So far as the incentives are concerned; definitely awareness could be created to increase the habit of thrift. One of the basic objectives through the Self Help Groups is that we are trying to do their job and they are doing good job. I do hope that with the little incentives, which we have provided them recently and for which you have sanctioned money, the Self-Help Groups and Anganwadi workers will be doing good job.

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, अभी प्रश्न के मूल उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि देश में 73601 शाखाओं में से 21646 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हम बिहार राज्य से आते हैं, उसकी आबादी लगभग नौ करोड़ के करीब है। वहां ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1233 बैंक अभी कार्यरत हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि जहां दो हजार की आबादी है, वहां हम बैंक खोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं। बिहार राज्य के सहरसा जिले में बनवा-इटहरी एक ब्लॉक है, उसके मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ही नहीं। प्रखंड की आबादी एक लाख है और प्रखंड मुख्यालय की पंचायत इटहरी है, उसकी आबादी 10-12 हजार है, वहां बैंक हैं ही नहीं। माननीय मंत्री जी की जो घोषणा थी, हम समझते हैं कि जो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दो हजार से अधिक आबादी है दस हजार से अधिक इटहरी पंचायत की आबादी है, इस तरह के जो क्षेत्र होंगे, क्या माननीय वित्त मंत्री जी के अपने भाषण और घोषणा के अनुरूप बनवा-इटहरी के अलावा बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में जहां बैंक नहीं हैं; आपने मंत्री जी टारगेट रखा है कि सन् मार्च 2012 तक इसे हम करेंगे। उसमें भी अब छः-सात महीने का समय ही बचा है। बनवा-इटहरी ब्लॉक के साथ अन्य क्षेत्र जो इस तरह के हैं, क्या वहां इस समय-सीमा के अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाएंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

Comment [S9]: j1fd

श्री नमोनारायन मीणा: जो सवाल में कहा गया है कि मार्च, 2012 तक जो ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के हिसाब से दो हजार या उससे अधिक है और वहां बैंक की शाखा नहीं है, वहां बैंक का बिजनेस प्रतिनिधि बैठेगा। रिटिन मोटर ब्रांचेज़ जैसे-जैसे उपलब्ध हो पाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4.5 से पांच हजार शाखाएं सारे देश में खोली जा रही हैं, जिसमें 6 लाख गांव हैं। सब में एक साथ शाखाएं नहीं खोली जा सकतीं, लेकिन जो लोग बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हैं, उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए हम यह वाला बी.सी. मॉडल लाये हैं। उसके बाद नैक्स्ट फेज़ में एक हजार तक के गांवों को भी आईडेंटिफाई किया जा चुका है और वहां भी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स लगे हैं।

MADAM SPEAKER: Q.183 – Shri Eknath M. Gaikwad.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Gaikwad, please put your question.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else is going on record.

(*Interruptions*) ... *

(Q. No. 183)

Comment [R10]: 2 pages for reply

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : महोदय, शीतल पेय के जरिये से हम सब लोग जहर पी रहे हैं। जहां तक एनर्जी ड्रिंक का सवाल आया है, एनर्जी ड्रिंक तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पीते हैं, खिलाड़ी भी पीते हैं, लेकिन अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एनर्जी ड्रिंक में केफीन की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं कि एम.एल.जी. में केफीन की मात्रा कब तक निर्धारित होगी और जनता को इसमें कब तक राहत मिलेगी?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, it is true what the hon. Member has said that there is no limit prescribed for energy drinks. Under the Food Safety and Standards Regulations, use of caffeine not exceeding 145 mg/litre is permitted only in carbonated water, that is, soft drinks. However, at present, there is no limit prescribed for energy drinks. That is why, we have said in the answer that the Food Safety and Standards Authority of India has initiated necessary action to fix the level of caffeine in energy drinks.

Now, insofar as fixing of the standard of caffeine in energy drinks is concerned, an Expert Group consisting of scientists representing different parts of the country was constituted in January, 2010 by the Food Safety and Standards Authority of India and this Expert Group was asked to examine: one, scientific literature and global position on use of caffeine and non-carbonated beverages and their labelling; two, to recommend the limit of caffeine in non-carbonated beverages and their labelling and also to suggest suitable safety measures and products standards of energy drinks.

After this, the meetings of the Expert Group took place from February, 2010 to August, 2010 and they submitted their report to the Scientific Committee. The Scientific Committee was constituted in 2010 consisting of 14 members of scientists of repute which is a statutory Committee under the Food Safety and Standards Act. Further, they made a Technical Group and forwarded this to the Technical Group. In July this year, that is, July 2011, the recommendations of the Technical Group have come and these are under consideration of the Scientific Committee.

Comment [r11]: Cd by k1

Thereafter it would be considered by the Food Safety and Standards Authority of India and then it will be sent to the Government for approval of Draft Notification. But before the final notification is issued by the Government of India, it has to be sent for comments to all the stakeholders including the World Health Organisation for 60 days and after considering the comments so received, then it will be sent to the Law Ministry. Once the Law Ministry vets this notification, then it will be notified by the Government. This whole process is a cumbersome process and so it will take a minimum of one year.

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : महोदया, शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों को अपने उत्पादों की वास्तविक निर्माण सामग्री का खुलासा अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके लिए तीन महीने का टाइम दिया है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह अधिसूचना जारी करने का कुछ तय हुआ है क्या? यह कब तक जारी होगी और अधिसूचना में आप क्या-क्या लिखने वाले हैं?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, as I already said, there are two types of drinks, namely carbonated drinks and non-carbonated drinks for which we do not have any standard. Now, in so far as the carbonated drinks are concerned, a limit of 150 mg. of caffeine per litre is permissible and a notification in this regard is already there. We are not receiving any complaints from any part of the country in this respect. But with regard to fixing the limit of caffeine in energy drinks, I have already said that the whole process is going on. We have started the process, it is half way through, and it will take a year for the notification to be issued.

MADAM SPEAKER: Shri Anand Prakash Paranjpe - Not present

डॉ. संजीव गणेश नाईक : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि एक साल तक इस प्रोसेस में लगने वाला है। मैं आपसे विनती करूंगा कि तब तक हमें अलग-2 पेपर्स में, अलग-2 न्यूज़ चैनल के ऊपर या अलग-2 चैनल के ऊपर इस बारे में देना चाहिए कि ऐसे-ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुम्बई जैसे शहर में रात को जो कॉल सेंटर्स चलते हैं, वहां लड़के-लड़कियां आते-जाते रहते हैं। एक ऐसी घटना हुई कि रात को भूखे पेट एक युवा ने वह एनर्जी ड्रिंक अच्छा लग रहा था तो एक पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया और बाद में वह गिर कर बेहोश हो गया। बाद में पता चला कि

उसमें केफीन का कंटेंट ज्यादा था। आज मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि यह जब होगा, तब होगा, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए। मैं जरूर इस बारे में आपसे विनती करूंगा कि इस बारे में जनता में एवेयरनेस करवा दीजिए, चूंकि भविष्य में यह चीज़ धीरे-धीरे शहर से गांव तक जाने वाली है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न तो पूछा नहीं।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, unless the reports of the Scientific Committee and Expert Committee come to us, it may not be possible for us to control it. Earlier we have taken samples in Tamil Nadu and Mumbai and due to non-availability of any regulation in the area, the court had to strike it off. I am not quoting the Scientific Committee and the Expert Committee, because we are waiting for the reports of the Scientific Committee and the Expert Committee because that is a larger committee consisting of a huge number of scientists coming from across the country. But I would like to mention that earlier there was a demand from different organisations for banning these drinks. It was earlier represented that the energy drinks contained synthetic chemicals and, it was also so presumed, which are harmful and as a result of this, these drinks be banned in India.

Therefore, the impact of these chemicals was studied. A sub-committee of the Central Committee of Food Standards appointed a committee of (a) Nutrition, Food and Special Dietary Uses; and (b) Infant Foods, sub-committee of Central Committee on Food Standards, which, on the basis of the information collected opined that there is no evidence to indicate any health implication on consumption of the said drinks. Therefore, they did not recommend ban on energy drinks.

There is one committee, which has come to the conclusion that they have not found anything, and that is why a much wider concentration by an expert committee was felt. A huge group of more than a few dozen scientists of repute from across the country are working on this. Unless that report comes we cannot issue any notification. So, there is no notification because the moment you issue

Comment [s12]: (Cd. by 11)

Comment [RS13]: Azad ctd

any Executive Order, the court strikes it down and it has been done earlier by the High Court not only once but twice in Tamil Nadu..

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और वरिष्ठ भी हैं। अगर देखा जाए तो यह प्रश्न सीधा मिलावट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एनर्जी ड्रिक्स हैं, तमाम कोल्ड ड्रिक्स भी ले लीजिए, इस प्रकार के बहुत से ड्रिक्स मार्केट में आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि कैफीन की मात्रा कितनी डालनी चाहिए। एक डिब्बे में जो कई आउंस का होता है, वह बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, चाहे कितने भी आउंस का हो, आपके यहां जो विशेषज्ञ कमेटी है, मैं उत्तर में देख रहा था, आपने इसमें दिया है कि 145 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा एक लीटर डिब्बे में पड़ती है। सम्मानित सदस्यों ने यहां प्रश्न पूछा है कि इस प्रकार से जो तमाम एनर्जी ड्रिक्स हैं, बहुत सी ड्रिक्स मार्केट में आयी हैं, इनमें जबरदस्त मिलावट भी है। मैं टेलीविजन में देख रहा था कि कुछ स्प्रें आए हैं, जो परफ्यूम है, बॉडी स्प्रें है, उसमें भी गैस मिलाकर कुछ ऐसी सिंथेटिक चीज डालते हैं, जिससे लोगों को चर्म रोग हो रहा है। यह ड्रिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, यह डायरेक्टर किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है। इस प्रकार से मार्केट में जो एनर्जी ड्रिक्स या कोल्ड ड्रिक्स आ रहे हैं, जिनमें तमाम केमिकल मिलाए जाते हैं, चूंकि बहुत दिनों तक रखे-रखे वे भी एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें रखता है। जब उपभोक्ता खरीदकर उसे पीता है, तो उससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, चर्म रोग भी हो रहा है, किडनी इफेक्ट हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, इस प्रकार की तमाम बीमारियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विषय में आपने कोई सतर्कता निगरानी कमेटी, विजिलेंस कमेटी बनायी है। ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में या बड़े शहरों में इस प्रकार के जो पेय-पदार्थ मिलते हैं, उन पर निगरानी के लिए क्या आपने कोई कमेटी बनायी है। अब तक कितने लोग इसमें पकड़े गए और उनको क्या सजा दी गयी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष जी, दो चीजें जुड़ी हुयी हैं, एक तो ड्रिक्स के बारे में माननीय सदस्य ने बताया और दूसरा यह बताया कि देश में गांवों में, छोटे कस्बों में इस तरह की सेल होती है और क्या केंद्रीय सरकार की तरफ से उन पर ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह की चीज सेल की जाती है।

Comment [p14]: Cont by m.l.h

यह बनाने का काम केन्द्रीय सरकार का है लेकिन इसका इम्प्लेमेंटेशन राज्य सरकारों के भी अन्दर आता है। ...(व्यवधान) आप सब जानते हैं कि डिफेंस, रेलवे, तमाम चीजें फिनांस गवर्न्मेंट ऑफ इंडीया करती है बाकि सब चीजें राज्य सरकारें करती हैं। ये कानून आप ही बनाते हैं और हम उसके अनुसार चलाते हैं। कल अगर हम अपने हाथों से लिखेंगे तो आप सभी आएंगे और कहेंगे आपने सब काम अपने हाथों में ले लिया।

नहीं लिया है कानून,...(व्यवधान) अंडर कॉन्स्ट्रिक्शन् जो हो सकता है वह राज्य सरकारों को ही करना है। जहां तक मैंने कहा की ड्रिक्स के बारे में अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। हमने यहां कुछ देशों के कोल ड्रिक्स की बात कही है कि 145 मिलीग्राम प्रति लीटर। लेकिन दूसरे देशों में अलग है। जैसे न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में, इन्होंने 145 मिलीग्राम से लेकर 320 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। यूरोपियन यूनियन में भी 150 मिलीग्राम पर लीटर की है। कैंनेडा में एनर्जी ड्रिक्स में जो कैफीन होती है उसको बेचा जाता है as natural health product under the National Health Product Regulation. कैंनेडा में स्वास्थ्य मंत्रालय के रेगुलेशन के जरीए ही एनर्जी ड्रिक्स बेची जाती है। हर देश का अपना-अपना दृष्टिकोण है। Health Canada's Recommendation on caffeine intake for general population of healthy adults is more than 400-450 mg of caffeine per day. आप देखेंगे तो दुनिया के देशों में अलग-अलग सीमा है। इसलिए हमने शुरु में ही कहा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। साइंसदां उसे देख रहे हैं। बहुत-आधा काम हो चुका है।

श्री मुरली मनोहर जोशी : आप यह बताइए कि कमेटी कब बनी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप लेट आए। मैं सब कुछ बोल चुका हूं। मैंने तकरीबन दस मिनट उसी से शुरु किया है। बहुत लंबा है, इसमें दस मिनट और लगेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दे दीजिए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय सदस्य को मैं पहले ही जवाब दे चुका था कि आप बैन नहीं कर सकते हैं। जहां भी हमने बाहर की कम्पनियों के सैम्पल, चेन्सई में एक दफा नहीं दो दफा सैम्पल लिए, चूंकि इसके लिए कोई नोटिफिकेशन, कोई निर्धारित एनर्जी ड्रिक्स में कैफीन की सीमा फिक्स नहीं की है कानून के अंदर तो इसलिए वे कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट से स्टे लेते हैं। एक कोर्ट ने तो हमारी पूरी नोटिफिकेशन को ही रोक दिया। इसतरह से आज सब चलते हैं। ... (व्यवधान) लोकतंत्र में सब अपनी-अपनी ताकत इस्तेमाल अपने तरीके से कर रहे हैं। वह आप देख ही रहे हैं। माननीय सदस्य के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी जनवरी 2010 में बनी थी। इसमें मैंने सब बताया कि क्या-क्या करना था। उसने अपनी रिपोर्ट अगस्त में ही दे दी। जनवरी से अगस्त तक उसकी कई मीटिंग्स हुईं। उन्होंने वह सबमिट की है साइंटिफिक कमेटी जिसमें 14 मेम्बर हैं। जिसमें पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के साइंसदां हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बता चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने यह पूछा कि अब ऐसे कितने मामले पकड़े और उनको क्या सजा दी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बहुत कम समय है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो विषय हेल्थ रिलेटेड है और माननीय मंत्री जी से हमने उत्तर सुना की वर्ष 2010 में कमेटी बनी थी। नोटिफिकेशन निकालने के लिए और एक साल लगेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं कहेंगे तो ड्रिंक में कैफीन की मात्रा कम से कम रखें। इसमें एडहॉक टेम्पररी कुछ लिमिट रखें तो इन सब प्रॉब्लम्स से हम बच जाएंगे। ...(व्यवधान)

Comment [115]: Fd by n1

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। समय बहुत कम है। मंत्री महोदय, समय बहुत कम है, संक्षेप में बताइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, माननीय सदस्य बहुत पढ़े-लिखे हैं। वे जानते हैं कि आज के वक्त में इस तरह कोई भी ऐग्रीक्यूटिव आर्डर से पास नहीं किया जाता जब तक इसका साइंटिफिक बैक-अप न हो। कोर्ट उसे पांच मिनट में खारिज कर देगा। आप ऐसे कैसी बात करते हैं।...(व्यवधान)

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2011-2012.

- (2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and the Ministry of Tribal Affairs for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4800/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table a copy of the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 75(E) in Gazette of India dated the 9th February, 2011 under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act, 1957.

(Placed in Library, See No. LT 4801/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4802/15/11)

12.02 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for the year ended 31st March, 2011, alongwith Audited Accounts under sub-section (2) of Section 32 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
- (Placed in Library, See No. LT 4803/15/11)
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2010-2011, for the year 2009-2010.
- (Placed in Library, See No. LT 4804/15/11)
- (3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of Market Borrowings by Central Government during the year 2010-2011.
- (Placed in Library, See No. LT 4804-A/15/11)
- (4) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. F. No.

IRDA/Reg/1/55/2011 in Gazette of India dated the 31st May, 2011 under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

(Placed in Library, See No. LT 4805/15/11)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Actuaries Act, 2006:-

- (i) The Institute of Actuaries of India (Transaction of Business at meetings of council) Regulations, 2011 published in the Notification No. F. No. M-18012/03/2008-Ins. III in Gazette of India dated the 17th March, 2011.
- (ii) The Institute of Actuaries of India (Maintenance of Register, Publication of List, and Re-entry of names in Register of Members) Regulations, 2011 published in the Notification No. F. No. M-19012/03/2008-Ins. III in Gazette of India dated the 17th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4806/15/11)

(6) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. No. 932(E) in Gazette of India dated the 1st December, 2010 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 4807/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

- (i) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 312(E) in Gazette of India dated 11th April, 2011 together with an explanatory memorandum.

- (ii) G.S.R. 390(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in 31 notifications, mentioned therein, for inclusion of ICD Mrippalem Village in the Customs Notifications under Export Promotion Scheme.
- (iii) G.S.R. 474(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 97/2009-Cus., dated 11th September, 2009.
- (iv) G.S.R. 508(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.
- (v) G.S.R. 518(E) published in Gazette of India dated 7th July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 148/1994-Cus., dated 13th July, 1994.
- (vi) G.S.R. 532(E) published in Gazette of India dated 13th July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.
- (vii) G.S.R. 536(E) published in Gazette of India dated 14th July, 2011 together with an explanatory memorandum providing full exemption from customs duty to specified goods imported into India from Bangladesh for sale in Kalaichar and Balat border haats at Indo-Bangladesh border subject to specified conditions.
- (viii) G.S.R. 549(E) published in Gazette of India dated 19th July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.

- (ix) G.S.R. 550(E) published in Gazette of India dated 19th July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/1996-Cus., dated 23rd July, 1996.
- (x) G.S.R. 561(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated 1st March, 2002.
- (xi) G.S.R. 409(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011 together with an explanatory memorandum allowing imports of goods by manufacturer of metalized plastic films at concessional rates for the use in or for the manufacture of metalized plastic films, subject to certain conditions.

(Placed in Library, See No. LT 4808/15/11)

- (8) A copy of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. No. 481(E) in Gazette of India dated the 24th June, 2011 under Section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 4809/15/11)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 77 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985:-

- (i) S.O. 1431(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2011 together with an explanatory memorandum declaring five more substances, mentioned therein, as 'manufactured drugs'.
- (ii) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R 470(E) in Gazette of India dated 21st June, 2011 together with an explanatory memorandum.
- (iii) S.O. 311(E) published in Gazette of India dated 10th February, 2011 together with an explanatory memorandum empowering the Central Government to add to or omit from the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- (iv) S.O. 1430(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2011 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O. 1055(E) dated 19th October, 2001.
- (v) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 739(E) in Gazette of India dated 11th April, 2011 together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 4810/15/11)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

- (i) G.S.R. 496(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2011, together with an explanatory memorandum specifying the form of quarterly return of excisable goods cleared @ 1% duty, to be submitted by the assessee in terms of the sixth provision to rule 12(1) of the Central Excise Rules, 2002.

- (ii) G.S.R. 551(E) published in Gazette of India dated 19th July, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 64/1995-CE dated 16th March, 1995.
- (iii) G.S.R. 560(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to provide full Central Excise Duty exemption with certain conditions to developer having provisional Mega/Ultra mega power projects status certificate.

(Placed in Library, See No. LT 4811/15/11)

- (11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions)

under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

- (i) The Point of Taxation (Second Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R.490(E) in Gazette of India dated 27th June, 2011 together with an explanatory memorandum.
- (ii) G.S.R. 566(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to exempt club or association service referred to in sub-clause (zzze) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, 1994 Act, provided by an association of dyeing units in relation to common facility set-up for treatment and recycling of effluents and solid waste discharged by dyeing units, with financial assistance from the central or state government.

(Placed in Library, See No. LT 4812/15/11)

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

- (i) G.S.R.539(E) published in Gazette of India dated 15th July, 2011 seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a, originating in or exported from, the China PR and Japan at the specified rate.
- (ii) G.S.R.548(E) published in Gazette of India dated 19th July, 2011 seeking to extend levy of anti-dumping duty on imports of "Saccharin", originating in, or exported from the People's Republic of China, upto and inclusive of 5th June, 2012, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(Placed in Library, See No. LT 4813/15/11)

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-rule (1) of Rule 3 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995:-

- (i) G.S.R. 554(E) published in Gazette of India dated 20th July, 2011 together with an explanatory memorandum appointing a person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, as designated authority for carrying out the purposes of the said rules.
- (ii) G.S.R. 555(E) published in Gazette of India dated 20th July, 2011 together with an explanatory memorandum appointing a person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, as designated authority for carrying out the purposes of the said rules.

(Placed in Library, See No. LT 4814/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4815/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and the Ministry of Power for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No. LT 4816/15/11)
 - (ii) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and the NHDC Limited for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No. LT 4817/15/11)
- (2) A copy of the Central Electricity Authority (Safety Requirements for Construction, Operation and Maintenance of Electrical Plants and Electrical Lines) Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification F. No. CEA/TETD/MP/R/02/2011 in Gazette of India dated the 14th February, 2011 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 4818/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): On behalf of Shri Sudip Bandyopadhyay, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 38 of the Drugs and Cosmetic Act, 1940:-

- (i) The Drugs and Cosmetics (1st Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 45(E) in Gazette of India dated 24th January, 2011.
- (ii) G.S.R. 218(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2011, prohibiting manufacture, sale and distribution of certain drugs under Section 26A of the Drugs and Cosmetic Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 4819/15/11)

- (2) A copy of the Food Safety and Standards Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification G.S.R. 362(E) in Gazette of India dated the 5th May, 2011 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 4820/15/11)

12.01 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 2011, agreed without any amendment to the Coinage Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th March, 2011.”
 - (ii) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.3) Bill, 2011, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2011 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”
-

12.01½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(i) 238th Report

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): I beg to lay on the Table the Two Hundred Thirty-eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development on the 'National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions bill, 2010'.

(ii) Evidence

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON : I beg to lay on the Table the Evidence tendered before the Committee on Human Resource Development on the 'National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions bill, 2010'.

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demand for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj*

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): I am laying this Statement on the status of implementation of recommendations contained in the Thirteenth Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on the Rural Development in pursuance of the direction 73 A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin-Part-II dated September 1, 2004.

The Thirteenth Report of the Standing Committee on Rural Development (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 29.7.2010. The report relates to examination of Demands for Grants of Ministry of Panchayati Raj for the year 2009- 2010.

Action taken statements on the recommendations/observations contained in the report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Rural Development in December, 2010.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4821/15/11

12.04 hrs.**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to announce that the Business during the week commencing Monday, the 16th August, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Consideration and passing of the following Bills:-
 - (a) The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010.
 - (b) The Customs (Amendment and Validation) Bill, 2011
 - (c) The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011- to replace an Ordinance.
 - (d) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011- to replace an Ordinance.
 - (e) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.
3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
 - (a) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010.
 - (b) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010.
 - (c) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2010.

MR. CHAIRMAN : Shri P.L. Punia – Not present.

Sk. Saidul Haque.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Sir, I want that the following items may be included in the next week's Agenda:

- (a) The Urea producing plant of Hindustan Fertilizer Corporation Limited situated at Durgapur in West Bengal was closed down during the years 2000 and 2003. There is a growing demand of Urea all over the country. Time testing exercises for revival of the closed unit have been made for the last few years but with no result. Hence, I urge upon the Government to revive the Durgapur unit of HFCL.
- (b) Katwa-Ahmedpur narrow gauge railway line is the only narrow gauge line in West Bengal to be converted into broad gauge line. Survey has already been done by Railway. Hence, I demand that the narrow gauge line between Katwa and Ahmedpur be immediately converted into broad gauge.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विदर्भ के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ। ...(व्यवधान)

भारत सरकार, विदर्भ में ऊर्जा निर्मिती के 43 से भी अधिक थर्मल प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : दत्ता मेघे जी, आप केवल एक लाइन बोल दीजिए। आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे : यह थर्मल प्रकल्प किसी भी दृष्टि से किसानों तथा पर्यावरण के हित में नहीं है, इसके कारण खेती, पानी, पर्यावरण का भारी नुकसान होने का अंदेशा है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करके इस पर सदन में चर्चा की जाये और केन्द्र सरकार इस समस्या पर शीघ्र कार्यवाही करे। विषय विस्तार से संलग्न है।

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल --अनुपस्थित।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 104 अन्तर्गत चकिया से पमरा तक चौड़ीकरण करने का कार्य।
2. शिवहर केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन निर्माण शुरू करने का कार्य। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल विषय पर बोलिये।

...(व्यवधान) *

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में दो विषयों को जोड़ दिया जाये --

- (i) भारत सरकार के अधीन कार्यरत आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 2,00,000 है। इनके सक्रिय सेवा तथा आवश्यकता को देखते हुए इनके वेतन-भत्ते आदि बढ़ाये जाने की आवश्यकता के संबंध में।
- (ii) केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के किसानों के कृषि कार्य संबंधी सहायता के लिए बनाये गये किसान मित्र योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लगभग 52,000 किसान मित्रों की सेवा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

सादर

Comment [r16]: fd by pl

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जाएं:

1. फल्गू नदी, जो इब्राहिमपुर, बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में है, के निकट से जो महाने नदी निकलती है, वह बिहार राज्य के नालन्दा जिले के इस्लामपुर, नूरसराय होते हुए गुजरती है। इससे पूरे नालन्दा जिले के खेतों की सिंचाई होती है एवं इससे जुड़े सभी पइनों जिनके सहारे इस नदी का पानी सिंचाई के लिए जाता है, में गाद भर गया है। इसके लिए केन्द्रीय जल आयोग को इसका प्राक्कलन बनाकर इसकी गाद सफाई कराने की आवश्यकता है।
2. देश में वर्तमान में पंद्रह लाख शिक्षकों की कमी है। प्रत्येक वर्ष रिटायरमेंट और बढ़ती आबादी के चलते इस कमी में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीतियों के चलते समुचित संख्या में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। मांग का केवल दस प्रतिशत ही भर्ती हो पा रही है। अतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नीति निर्धारक तत्वों और आधिकारी स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में समेकित बाल विकास योजना के कार्यों की जांच विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में की जाए और पाए गए दोषी अधिकारियों की पहचान करके उन्हें सजा दिलाने का कार्य किया जाए जिससे समेकित बाल विकास योजना में भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विचार किया जाए और पिछड़े क्षेत्रीय विकास फंड की मदद से उद्योग लगाने का कार्य।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महोदय, आपसे निवेदन है कि सभिशन्स के अंतर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए:

1. महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेलवे लाइन, जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
2. महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली आदिवासी बाहुल्य जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट को वन संरक्षण अधिनियम के अधीन शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कॉलिंग अटेंशन से पहले बीएसी की रिपोर्ट एडॉप्ट कर लेते हैं।

12.12 hrs.

**MOTION RE: TWENTY-EIGHTH REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF
WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the
following:--

“That this House do agree with the Twenty-eighth Report of the
Business Advisory Committee presented to the House on the 11th
August, 2011”.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do agree with the Twenty-eighth Report of the
Business Advisory Committee presented to the House on the 11th
August, 2011”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up Calling Attention regarding Air India.

Shri Gurudas Dasgupta to call the attention of the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : जीरो ऑवर बाद में होगा।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, I want to make a submission.

MR. CHAIRMAN: Now it is not possible.

Now, Shri Gurudas Dasgupta to call the attention of the hon. Minister.

DR. M. THAMBIDURAI : I have already given the notice.

MR. CHAIRMAN: Not now, later on, after the Calling Attention.

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : I have just only one submission to make.

MR. CHAIRMAN: You are a senior Member. Please sit down. Please take your seat. You can say later on, please. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): कब होगा जीरो ऑवर

MR. CHAIRMAN: It is after Calling Attention.

Now, Shri Gurudas Dasgupta.

12.13 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

Situation arising out of dwindling passenger share and poor financial health of Air India resulting in delayed payment of wages and other benefits to the employees and steps taken by the Government

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): With your permission, I call the attention of the Minister of Civil Aviation to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:-

“The situation arising out of dwindling passenger share and poor financial health of Air India resulting in delayed payment of wages and other benefits to the employees and steps taken by the Government in this regard.”

Comment [m17]: Fd. By q1

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I may be permitted to read the statement and I may be permitted to speak from this place.

MR. CHAIRMAN : All right.

The Minister may lay his Statement.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will read the Statement. Air India for the last couple of years is facing financial crunch.

सभापति महोदय : अगर सदस्य मान जाएं तो वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जाए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: There is little correction in that. I would like to say that there are some recent developments after the Statement. At para no.3, a little correction is there.

श्री गणेश सिंह (सतना): स्टेटमेंट सभा पटल पर रख दें।

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: Allowances and incentives for the month of May have been paid to the employees. The salary for the month of June was paid after the statement and for July, it has been released by the Government. I would like to add this to the Statement. I lay the Statement on the Table of the House.

* Air India for last couple of years is facing acute financial crunch. The airline is suffering from high fixed cost as also high expenditure on Aviation Turbine Fuel, insurance, interest on working capital, aircraft loan, and on leasing of aircraft, which have not been matched with corresponding increases in revenue. There have been cash losses on large number of routes. Many airlines have been in financial crisis over the past few years for similar reasons and Air India is not the only airline although it has faced this problem with greater severity.

There has been a delay in payment of salaries to the employees of Air India because of this severe financial crunch. Currently, the working capital borrowings from various banks are Rs.22,165 crores. Besides this, Air India has availed of long term loans from various Financial Institution for financing their aircraft acquisition programme aggregating to Rs.22000 crores. As per the current revenue collections, the monthly collection on the network is around Rs.1100 crores whereas Air India's expenditure is Rs.1700 crores thus leaving a gap of Rs.600 crores. Out of the total daily average collections in India of Rs.22 crores, a sum of Rs.16.7 crores is being paid to Oil Companies who have put Air India on Cash & Carry basis effective 7th December, 2010, leaving only Rs. 5.3 crores to meet the repayment of aircraft loans and part of interest payment on working capital. This has resulted in non-payment of wages/salaries partly from April 2011 onwards, non-payment to airport operators, vendors and other regular payment. The total outstanding payments overdue now are approximately Rs. 5000 crores.

.... This part of the speech was laid on the Table

The allowances and incentives for the month of May, June and July, 2011 and salary wages (including allowances and productivity linked incentives) for the month of June and July, 2011 are pending. Government has infused a total of Rs. 3200 crores as equity in Air India. Besides, the airline has launched marketing drive and adopted steps to enhance operational efficiencies and customers care.

Both the delayed payment of salary and wages and other allowances has been met by the employees with considerable fortitude. However, there was an unfortunate strike called by a section of Pilots' Association in the last week of May, 2011. After negotiation, the Pilots were persuaded to rejoin duties, while their grievances were being suitably addressed by the Management and by the Committee headed by Justice Dharmadhikari. There was an estimated loss of Rs.200 crores as a result of the strike that added to the financial crises in the airline. However, there has not been large instances of pilots leaving the airline. Government is committed to continue to run Air India as a public sector company.

Another issue that has been commented upon is, relates to the dwindling passenger share of the airline. Market share is not a fair index of the estimation of the performance of the airline in an overall scenario of 14 to 15 per cent growth that the country's civil aviation sector. The market share of Air India has constant in the 16 to 17 per cent range. This has been achieved by increasing the load factors – this the airline has done successfully in the recent past. However, losses may continue even while increasing load factors because of other circumstances that have increased the cost structure of the airline such as present high fuel cost as also other inputs

The financial situation of Air India is being monitored by the Government at various levels. Considering the extremely precarious liquidity position of Air India, Prime Minister's Office constituted a Group of Ministers to oversee the affairs of Air India. Group of Ministers had a series of meetings and desired that a viable and credible Turn Around Plan (TAP) be evolved by the airline. Air

India has prepared a TAP and Financial Restructuring Plan(FRP) in consultation with the financial consultant M/s. SBI Caps. The TAP has been vetted by an independent consultant. The TAP has been formulated with an underlying new strategy to improve the market, operational and financial position significantly. The financial restructuring plan broadly covers two areas relating to debt realignment and equity infusion. The TAP and FRP was presented before the GoM. GoM has referred it to a Group of Officers for detailed examination of TAP and FRP of Air India. The entire exercise of finalizing the Financial Restructuring Plan(FRP) and restructuring of loans would take about 3 months.

The airline has adopted various measures to improve its financial position. Some of these are enumerated below:

- (i) Rationalization of routes to cut losses on traditionally loss making routes.
- (ii) Return of leased capacity at the earliest.
- (iii) A complete rationalization of manpower and productivity linked incentives including scale redeployment of staff to curb infructuous expenditure and creation of SBUs for ground handling and MRO operation.
- (iv) Reduction of contractual employment.
- (v) Constitution of a turnaround Committee comprising representative from Senior Management & Union to look at all areas of cost reduction, including closure of all offline officers and reduction of employees at foreign stations.
- (vi) Aligning all operational and technical agreements between the management and staff to reflect present market conditions.

The Management has taken on board all the unions/associations of the company on the acute financial position of the airline and sought their

support/cooperation in implementing the Turnaround Plan and Financial Restructuring Plan formulated to revive the company.

There are pending issues from the merger of the airline particularly in the areas of HR. In order to examine these issues impartially a Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Dharmadhikari and with other experts has been constituted to give its recommendations to the Government.

The Board of the Airline has been reconstituted bringing in individuals of repute as independent directors. The remaining posts of functional directors are in the process of being filled in with efforts being made by the Ministry alongwith PESB.

The Ministry has also tightened its oversight mechanism by revamping the airline's reporting systems via the MIS and recasting the MOU with the Ministry and BPE. All possible steps are being undertaken by Government to put Air India back on track to make it a viable and competitive entity within a foreseeable future *.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I had the assurance from the highest quarter of the Government that two months' salary has been release. This has been assured by no less authority than the Prime Minister that two months' salary and one month's PLI should be given to the employees.

... (*Interruptions*)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें और सुनने दें।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : But, my information is that one month's salary and one month's PLI has been given. Four months' PLI and two months' salary is still pending. This is the condition of Air India.

Why I raise this Calling Attention, let me tell you. I raise this Calling Attention because before the open eye of the entire nation the flagship of Indian Civil Aviation has been turned red. Villains are those who are still there in the heart of the organization. Not only payment of salaries is not being made – that is

not the main issue. The main issue is that the National Carrier is being dismantled gradually by the people. This is being dismantled by those who are there in power and those who are in charge. Let me tell you the point. This is yet another untold story of an exposed nexus between politicians, bureaucrats and unidentified players who wielded power in the corridor of State apparatus of the country.

The major question is – whether the merger has done the wrong. Many people objected to the merger. Even the management of Indian Airlines objected. At that time, the Indian Airlines were making profit. But, after the merger suddenly it started coming down. It had gone so low that it cannot pay wages to its 41,000 employees, nearly 2,00,000 families. It has to depend on Government dole even to pay for the oil bill.

Comment [r18]: Cd. by r1

The second important question is why just within four years – the House should know the story – Air India turned red, and why the decline was so fast. May I ask you why was it shamelessly overlooked by the Government? You asked me why the situation came about and you got the answer now. The first question is why there is an unusual shopping spree. इतना जल्दी खरीदने की क्या जरूरत थी, मेहरबानी करके बताइये। Why was it spending free and shopping spree frenzy?

This is not the full story, please wait. When Shri Thulasidas was the Chairman, only 28 aircraft were sought to be purchased. But, there was a change of Chairman, change of guard. After that, 40 new aircraft were added to the list of purchase. Imagine, at the beginning it was 28 and the new management asks for 40 more; 68 aircraft had been or being purchased and most of the aircraft are very expensive and highly oil consuming. Please let me know – hon. Minister, I have faith in you, you are man of integrity, I know you for years – why 777 was purchased. The general perception is, more is the purchase, greater is the booty. ज्यादा खरीदना चाहते हो तो सौदा भी ज्यादा होगा। The perception is that the booty will be larger. I do not say jackfruit booty!... (*Interruptions*)

As a result of it, this heavy burden of unusual purchase has brought about the debacle. When the purchase was being prepared and purchase was being made,

the boeing company had defaulted in the supply of 30 aircraft because delivery has not taken place for three years. You can easily cancel the order and save Rs.18,000 crore. Parliament must know that if you cancel the order, you can save Rs.18,000 crore. Not only that, you can ask for damage. Nothing is being done. What is the confidentiality for not cancelling the order? Let us know for whose benefit this is being done.

This is not the full story, wait for something more. While new aircraft were being purchased, what is the flying time of the existing fleet? One aircraft flies eight hours. You are a senior person in Parliament, you often travel by air. You know that if one aircraft is flying only for eight hours, it is a shameful performance. It is a shameful performance of the management and shameful default in the performance of the Government. Normally, 12 to 13 hours is the time when break-even can be achieved. International standard is 19 hours a day. We are purchasing new aircraft, but our aircraft are not flying. For whom purchase is being made?

Not only that, there is something more. When you are purchasing 68 aircraft, please explain why eight aircraft are grounded, many of them in Mumbai. It is because spare-parts cannot be purchased. Brand new aircraft are on ground because you cannot purchase the spare-parts. You cannot fly because you do not have money to buy the oil. You cannot fly because you do not have the infrastructure. There was no due diligence done before this order for purchase of new aircraft was given. It is not just irregularity. It is not non-performance. It is a total violation of the rule of governance in the country.

Comment [K19]: cd. by s1

You give order for 68 aircraft, but no due diligence is done and no plan is drawn up. Therefore, it is a total violation of the mandate of governance that you have, that your predecessor had.

Sir, this is also not the full story. You have surrendered the bilaterals. Air India has surrendered the reciprocal facility. हम दुबई में सूचना दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट

नहीं है, लेकिन एमिरेट्स की फ्लाइट है। Why have they allowed Emirates to fly more flights than Air India? साहब दाल में कुछ काला है।... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): गुरुदास जी, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य की बात के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : दाल में कुछ काला है और काली दाल इन्हें खानी होगी। Wait for some time.

काली दाल इन्हें खानी होगी।... (व्यवधान) Sir, I am coming to a close. Please allow me.

MR. CHAIRMAN: Come to the point please.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : These are all points, Madam.

Sir, I have not gone beyond any point.

श्री शैलेन्द्र कुमार : चेयर पर मैडम नहीं सर बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Hon. Chairperson is as tender as a woman and as strong as a man.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : You are in the Chair. How beautiful it is to have you in the Chair today! ... (Interruptions)

Sir, the point is that 30 domestic flights have been cancelled and all of them are profitable routes. Who gave the order? आप सुनिए, अभी कहानी की शुरुआत हुई है। फ्लाइट्स को कैंसिल करने का आर्डर किसने दिया था। पेटिशन कमेटी में हमने पूछा था कि फ्लाइट सस्पेंड करने का आर्डर किसने दिया था। उन्होंने बताया कि फाइल मिसिंग है। But I have the information. The file has been traced. It is with somebody. He will get the knock. Wait for some days, another report will be coming and he will get the knock. The file has been recovered which mentions who had given the order. Director of Civil Aviation gave the order. How was it given? यह कहानी खत्म नहीं होने वाली है। What is the reason? Somebody says कि तुम फ्लाट्स मत भेजो। नॉन प्रोफिटेबल फ्लाइट्स बंद करो। भगवान बोलते हैं कि फ्लाइट बंद करो। एयर इंडिया ने फ्लाइट बंद कर दिया। चार दिन बाद वही व्यक्ति

डायरेक्टर आफ सिविल एविएशन को बोला कि एयर इंडिया फ्लाइट चला नहीं सकते हैं क्योंकि उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कितनी गलत बात कही है। यह बात कहने के बाद कहा गया कि जनता को मुसीबत हो रही है। जनता के नाम पर दुनिया में सब खतरा होता है। सारी चोरी जनता के नाम से की जाती है। जनता को खतरा हो रहा है, इसलिए आप लोग मेहरबानी करके give it to either Kingfisher or Jet Airways. This is how the Air India officials have been bribed in the deal. ...

(Interruptions)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI JAIRAM RAMESH): What is the question?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, the hon. Minister asks me what the question is. The question is : Why did you cancel the profitable routes? ... *(Interruptions)*

Sir, the innocent Minister looking after the Rural Development Ministry asked me what the question is. All the time I am asking the questions.

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Please be responsible. ... *(Interruptions)* मिनिस्टर्स को थोड़ा बहुत रिजनेबल रिस्पॉसिबल होना चाहिए। जब ओपोजिशन की तरफ से कोई बात उठाई जाती है, तब हंसने की कोई जरूरत नहीं है। You are in the dock, the Government is in the dock for making Indian Airlines insolvent. It is a shame. Do not laugh. Please have tears in your eyes. ... *(Interruptions)*

Sir, I do not know whether I should laugh at the ignorance or I should cry because they are completely insensitive to the problems of the people. The point that I would like to make is this. Why are the retired people being kept when the Air India is in the red? This is the question. Why are the retired people being kept at a high salary? Is it to form a coterie around the Chairman? Can you deny it?... *(Interruptions)*

Secondly, why are you keeping foreign pilots when there are Indian pilots? I take this opportunity to compliment the women pilots of India who are doing so much better than male pilots. I compliment them. Nearly, 100 female pilots have

Comment [s20]: Contd. By T

already joined. Why do you keep foreign pilots when Indian pilots are there in our country? ... (*Interruptions*)

Sir, I am concluding with just two more points. Firstly, Air India is being looted by its guardians; corruption is all pervasive; and criminality is all around. The people who are responsible must be put on the dock. There has to be a turnaround not by piecemeal. ये लोग 33000 करोड़ रुपया मांगते हैं और आप 1200 करोड़ दे रहे हैं। The turnaround cannot be done in piecemeal. It has to be at one go, but change the management. मेडिकल सर्जरी कीजिए। Please bring about a radical surgery and give the money after that. Otherwise, it will be like a bottomless pit, and money will go down the drain.

Lastly, my friend from the other House -- I should not take the name, and he is not from my Party but from another Party -- gave me some papers. It is confidential Cabinet Note dated ... (*Interruptions*) जो है, आपके दोस्त ने ही हमको दिया है। छोड़िए।... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): कर सकते हैं।... (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is of 6 March 2008 and 24 March 2009. This Cabinet Note says that no eligible person is found to become the Chairman and CMD. It is of 8 March 2008, and just after one year, the same Committee -- under whose order; under what condition; under what benefit; under what transaction -- changes and makes a shortlist of three persons. Shri Arvind Jadhav is the second name in it. Why the second man was given the responsibility? Why this dubious proceeding of the Cabinet Search Committee? In one year you cannot find an eligible person, and in the second year you accept the same panel and put Shri Arvind Jadhav, who was the second name. Why was the second name adopted for this? ... (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): अरे, वह ज्यादा नहीं है।... (व्यवधान) असल ज्यादा नहीं है।... (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : The appointment is dubious; the performance is dubious; the result is dubious; and dubious is the attitude of the Government. It is

because of the dubious character that the Indian Airlines is on the point of shutdown.

I want that the Minister should not be a postbox for receiving the complaints. He must act decisively. I call upon Shri Ravi to do it. ... *(Interruptions)* I know what you will say, but removing one man is not the solution. Change the entire management. Put the money at one go and monitor them, and ensure that the flagship of Indian aviation does not sink. My friend, Shri Ravi, is known for his integrity. Once again, display your integrity by reviving Air India and removing all the corrupt people.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने सदन के सामने एयर इंडिया की कृतियों, भ्रष्टाचार और उसकी अनियमितताओं के बारे में सरकार को डॉक में खड़ा करते हुए इस सदन में जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ सहमति रखते हुए कहना चाहता हूँ कि एयर इंडिया जो कभी महाराजा कहलाता था और दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। भारत का महाराजा और सिंगापुर का एयरलाइन्स दोनों दुनिया में रोल माडल हुआ करते थे लेकिन आज महाराजा मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी है कि महाराजा, उसकी एयरलाइन्स, उसके जहाज के पास तेल खरीदने के लिए पैसे न हों, मशीन बनाने के लिए पैसे न हों। भारत की अस्मिता के प्रतीक एयरइंडिया की जो दुर्गति की है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इस देश में जितने लाभकारी पथ और रूट हैं, एयर इंडिया उस पर नहीं चलती हैं। क्या कारण हैं।

Comment [a21]: Ctd by u

हड़ताल के पीछे जो कारण थे, जिसमें बात बताई गई थी कि टाटा और राडिया के बीच जो टेप थे, जो गुप्त वार्ता हुई थी, उसमें एयर इंडिया को निजी हाथों में देने की योजना चल रही थी। हम जानना चाहते हैं कि उस टेप में क्या बातें थीं। इन सब बातों की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि एयर इंडिया आज सरकार की गलत नीति के कारण, गलत रवैये के कारण, भ्रष्टाचार के कारण ऐसी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि 2005-06 में 17 विमान जमीन पर पड़े रहे, जेट शाप में जहां इंजन बनते थे, बंद हो गए, पांच बोइंग विमान उड़ान नहीं भर पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि यह महाराजा, जो मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है, क्या इसे ये मृत्यु शैय्या पर पड़े रहने देना चाहते हैं।

अंत में, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि अकबर बादशाह ने अनारकली से कहा था - न मैं तुझे जीने दूंगा और न तुझे मरने दूंगा। आज एयर इंडिया की यही स्थिति है कि महाराजा अकबर के दरबार में अनारकली की तरह पड़ा हुआ है।

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदय, कई बार एयर इंडिया को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। एक कहावत है - अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो जाग रहा हो और सोने का बहाना करे तो उसे हम कैसे जगाएं। राष्ट्रीयकृत इंडियन एयरलाइन्स आज इतने लंबे घाटे में चला गया। भोला सिंह जी ने कहा कि प्राइवेट लोगों को देने की साजिश चल रही है। पिछले दिनों पायलटों की हड़तालें हुईं, मेरा कहना है कि उसमें भी प्राइवेट एयरलाइन्स का हाथ हो सकता है कि किसी भी तरीके से इंडियन एयरलाइन्स बंद हो और जो क्षेत्र इंडियन एयरलाइन्स के पास है, वह प्राइवेट सैक्टर में चला जाए। मैं अपने क्षेत्र का घाटे का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं रायपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली से रायपुर एक फ्लाइट जाती थी लेकिन प्राइवेट एयरलाइन्स को देखें तो पांच फ्लाइट एक दिन की हैं। इंडियन एयरलाइंस कहता है कि हमें सवारियां नहीं मिलती। लेकिन पांच एयरलाइंस आज भरकर आ रही हैं। यह जो बहाना बना रहे हैं, वह बेकार है। दिल्ली से रायपुर के लिए हम इंडियन एयरलाइंस को 25 हजार रुपये देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर-मलेशिया 15 हजार रुपये में दो दिन का स्टे की स्कीम चलाई जाती है। यानी होटल में रहने का खर्चा, आने और जाने का खर्चा मात्र 15 हजार रुपये। जबकि दिल्ली से रायपुर का किराया 25 हजार रुपये है। ये लोग कैसे टिकटों की दर तय करते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहां के पायलटों के लिए शायद निश्चित हो गया है कि वे एक दिन में दो या तीन लैंडिंग करेंगे। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं रायपुर से दिल्ली आ रहा था। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण प्लेन को जयपुर ले जाया गया और वहां लैंड किया गया। थोड़ी देर में सूचना मिल गई कि दिल्ली का मौसम ठीक हो गया है, आप प्लेन को वापस ले आइये। लेकिन पायलट बोलता कि मेरी दो लैंडिंग हो गई हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा। कल दूसरा पायलट इसे ले जायेगा। हमें होटल में ठहराया गया। इनके द्वारा होटल का खर्चा दिया गया और दूसरे दिन हमें वापस दिल्ली लाया गया। हमारा एक दिन का समय खराब हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर इंडियन एयरलाइंस का यही रवैया रहा तो फिर घाटा कहां से पूरा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से यह प्राइवेट सैक्टर में न जाए, बल्कि इसे ठीक तरीके से चलाया जाए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह न केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के पश्चात उत्पन्न हुई स्थिति का दिग्दर्शन कराता है, बल्कि पूरी सरकार के क्रिया-कलापों का दिग्दर्शन भी कराता है। आपने कहा सिर्फ एक प्रश्न ही उठाइये, यह संभव नहीं है। क्योंकि इस प्रश्न के साथ अनेक प्रश्नों के हिस्से जुड़े हुए हैं। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन उसके उप-प्रश्न भी हैं और वे ऐसे महत्वपूर्ण उप-प्रश्न हैं कि जिनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय और दें।

Comment [r22]: W1 Cd

पहली बात यह है कि हमारी एयर इंडिया के पायलट्स नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। अभी पिछले तीन महीनों में इंडियन एयरलाइंस के आये हुए नौ पायलट्स चले गये और एयर इंडिया के आये हुए छः पायलट्स चले गये और करीब 10 ने अपने कागजात रखे हुए हैं कि हमें इससे मुक्ति दिलाइये, हम भाग जाना चाहते हैं। यह क्या परिस्थिति है? जो अभी रह गये हैं, वे मेरे से मिलने के लिए आये थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रह गये, आप क्यों नहीं जा रहे हो तो वे कहने लगे कि हम इसके साथ भावनात्मक ढंग से जुड़े हुए हैं। तीन-तीन महीने से हमें तनखाह नहीं मिली है, हम क्या खायें, लेकिन उसके बाद भी हम यह चला रहे हैं। आपको ऐसे पायलट्स का सम्मान करना चाहिए कि जिन्होंने भारी कठिनाइयों में रहकर भी इस एयरलाइन को चालू रखा और नौकरी छोड़कर नहीं गये। मैं उन पायलट्स का बहुत ही आभारी हूँ, जो देश के लिए काम कर रहे हैं।

दूसरी बात जो इसमें विशेष रूप से उठती है, वह यह है कि एयर इंडिया की जो कंपनी एनएसीआईएल बनी, यह कब से नुकसान में गई और कितने नुकसान में गई, उसका खुलासा इन्होंने कर दिया। नुकसान तो बहुत है, मगर आप यह देखें कि यह नुकसान हुआ और जो अभी तक काम कर रहे हैं, * जिन्होंने इनका नाम लिया, उनके अपाइंटमेंट के बाद इन्होंने कैबिनेट सैक्रेटेरिएट के एक नोट का हवाला दिया। मैं वह आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसका विस्तार क्या है और तब पता लगेगा कि इस एयर इंडिया में और एनएसीआईएल में क्या हो रहा है। 6 मार्च, 2008 और 24 मार्च, 2008 को सलैक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जो मीटिंग हुई, उसके मिनट्स हैं। उस मीटिंग में कौन मौजूद थे - श्री के.एम.चंद्रशेखर, कैबिनेट सैक्रेटरी, श्री टी.के.ए. नायर, प्रिंसिपल सैक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, श्री एन.के.सिन्हा, चेयरमैन, पीईएसबी, श्री अशोक चावला, सैक्रेटरी, सिविल एविएशन और श्री सत्यानंद मिश्रा, सैक्रेटरी, डीओपीटी। इस कमेटी ने खूब इंटरैक्शन किया। नौ लोग रखे थे, एक नहीं आये, एक ने मना कर दिया, सात से इंटरैक्शन हुआ। नोट के पेरा-4 में लिखा है -

“After detailed discussion, the Committee felt that..... was the best among the available candidates on the basis of background and the available performance reports.”

Comment [r23]: Cd x

“...However, in view of complex administrative issues in the area of personnel and finance management arising out of the merger of the two airlines and the consequent need for experience in the civil aviation sector,

the Committee decided that further deliberations be undertaken about the choice of the candidate.”

Therefore, Shri Arvind Jadhav was not selected by such a high-powered Committee. I would again quote:

“ The Committee met again on 24th March, 2008. It felt that it will be useful to have a more senior officer, that is of Secretary rank, preferably with domain knowledge.”

It means that Shri Arvind Jadhav had no domain knowledge. He had to hold the assignment of CMD, NACIL. It further says:

“This was in the interest of ensuring smooth integration and professional management of the merged entity in times of stiff competition in the sector.

In the above light, after scrutinising the career records of officers of appropriate seniority with experience in civil aviation, the Committee noted that Shri Raghu Menon, IAS (Nagaland 74) had worked in the sector for about five years at senior levels. The Committee also noted that Shri Menon was holding the rank of Secretary and had three-and-a-half years balance service. The Committee further noted that Shri Menon had earlier withdrawn his candidature but has since indicated his willingness to be considered.

The Committee came to the conclusion that Shri Raghu Menon, presently Special Secretary and Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation was best suited for the assignment of CMD, NACIL.

The Committee recommended the appointment of Shri Raghu Menon, presently Special Secretary and Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation as Chairman and Managing Director, National Aviation Company of India Limited. ”

This has been signed by S/Shri Satyananda Mishra, Ashok Chawla, N.K. Sinha, T.K.A. Nair and K.M. Chandrasekhar. This appointment must have been approved by the Hon. Prime Minister Appointment Committee. Shri Raghu Menon was appointed as CMD. What happened then?

On 24th April, 2009, regarding the selection for appointment to the post of CMD... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : जोशी जी, संक्षिप्त करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कॉलिंग अटेंशन में केवल प्रश्न पूछना चाहिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। घपला तो यहां हो रहा है और जहां घपला हो रहा है, मैं, आपको वही बता रहा हूँ।

In the meeting of the Search Committee held on 24th April, 2009 regarding selection for appointment to the post of CMD, National Aviation Company of India Limited, Shri K.M. Chandrasekhar, Shri T.K.A. Nair, Shri M.M. Nambiar, Shri Rahul Sarin were present but the Chairman (PESB), Shri Naresh Narad did not attend. ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक साल के अन्दर आप रघु मेनन के टर्म को खत्म कर रहे हैं, उसका अपॉइन्टमेन्ट समाप्त किया जा रहा है और फिर से एक सिलेक्शन कमेटी रिवाइव की जा रही है। पुराना पैनल जो रिजेक्ट हो गया था, उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है।

I would like to quote from the Minutes of the meeting of the Search Committee held on 24th April, 2009 and it says:

“The Committee was informed that of the 62 candidates who had applied for the post in 2008, 13 officers were found eligible. Out of these 13 candidates, nine officers were called for interaction. The Committee was also provided with the particulars of ten officers of the IAS rank belonging to the 1977 and 1978 batches who have been empanelled as Additional Secretary and have relevant domain experience and are available for being considered for appointment to the post.”

सभापति महोदय : जोशी जी, संक्षिप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास दस नाम हैं जो आए थे- S/Shri Raji Philip, S.N. Mohanty, Anup Srivastava, S. Chandrasekhar, Amod Sharma, Arvind Jadhav (at six number), Arvind Mayaram, D.K. Mittal and Shri Vishwapati Trivedi. I would again like to quote:

“The Committee after perusing the particulars of the above mentioned officers and considering the various assignments held by them, recommended the following panel in alphabetical order, Shri K. Jose, Shri Arvind Jadhav and Shri Gop Bandhu Pattanaik. ”

What had happened?

* इस एक साल में किसी सिविल एविएशन की पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस उनको कहां से आ गया। आपने क्यों उनको फिर से अपॉइन्ट किया। ऐल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नम्बर दो पर हैं, आपने उनको अपॉइन्ट कर दिया। सवाल यह है कि नियुक्ति का यह घपला किस लेवल पर हुआ। दोबारा यह भी प्रधानमंत्री ने अपॉइन्ट किया। मेरा सवाल इसमें यह है कि एक तो यह बताया जाए कि एक साल के अन्दर यह क्यों चेन्ज हुआ। दूसरा सवाल यह है कि अगर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला गया तो वह ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया। तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख दोनों में बैठे हुए हैं।

Comment [GG24]: Fld. by y1

Comment [c25]: Dr. Murli manohar joshi contd.

कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उसे एन्डोर्स कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनकी निगाह में यह बात नहीं थी, उनके कार्यालय ने यह क्यों होने दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कैबिनेट सेक्रेटरी के और प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होते हुए यह गड़बड़ क्यों हो रही है। यह एप्वाइंटमेंट इस तरह से क्यों हो रहा है। इसके लिए सारी सरकार जिम्मेदार है, केवल एक मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

सभापति महोदय : जोशी जी, अब समाप्त कीजिये।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह जो एयर क्राफ्ट्स की खरीद थी, इसके बारे में जो कुछ हमारी सिविल एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। कमेटी कहती है:

“The Committee was informed by the Air Corporations Employees’ Union that initially the Air India had planned to purchase only 24 aircraft and Indian Airlines had planned to purchase 43 aircraft. Under the active guidance of the Ministry of Civil Aviation, Air India changed its fleet plan and within 24 weeks firmed up an aircraft plan for 68 aircraft. The Ministry of Civil Aviation and the Board of Airline while clearing these proposals ignored the fact that Air India had a turn over of Rs.7000 crore per annum was placing orders for Rs.35000 crore with yearly capital repayment and interest on this is coming to Rs.6000 crore.”

What was the role of the Ministry of Finance?

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इतना बड़ा ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्वीकृति के बिना क्यों दिया गया और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया तो क्यों दिया।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह जो सारा लॉस है, यह जो आप कर रहे हैं, यहां यह बूटी है, यह उस बूटी का सोर्स है।

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी आप बोलिये।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : I want to ask the role of the Finance Minister; role of the Prime Minister; and the role of the Ministry of Civil Aviation. यह हम आपसे पूरा जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम यह भी जानना चाहते हैं कि अब पायलेट्स की हालत क्या है, उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : पायलेट्स बेकार क्यों हो रहे हैं, पायलेट्स भागकर क्यों जा रहे हैं और आपका जो टर्न एराउंड प्लान है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसे आप कैसे पूरा करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record now.

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : हुसैन साहब आप बोलिये।

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन जी।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, मैंने ऐसा कालिंग अटेंशन नहीं देखा है। यह ऐसा कालिंग अटेंशन है, जिस पर मुलायम सिंह जी और लालू जी का भी पहले से अटेंशन है।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इस कालिंग अटेंशन की इतनी धमक है, इस पार्लियामेंट की इतनी धमक है कि आज जब मैं सुबह का अखबार पढ़कर आया तो लगा कि सरकार अटेंशन में आयी है और ... * जिसका विषय डॉ. जोशी जी ने उठाया, उनकी शायद विदायी तय कर दी गयी है, लेकिन सिर्फ ...की विदायी से यह मामला...

सभापति महोदय : अधिकारियों के नाम यहां नहीं लिये जाते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अभी इतने सारे लोगों ने नाम लिये हैं।

सभापति महोदय : वे सब रिकॉर्ड से निकल जायेंगे। आप संक्षिप्त में बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं इसे सुधार देता हूँ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीएमडी बोलिये। आप पद का नाम बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इतने सीनियर मेंबर्स यहां बैठे हुए हैं। अधिकारियों के नाम रिपोर्ट में आये हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हुसैन जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, गुरुदास जी ने कहा था कि दाल में कुछ काला है।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह सिर्फ दाल में काला नहीं है, आजकल इन लोगों को पूरी काली दाल खाने की आदत हो गयी है। सवाल यह है कि जो सवाल यहां उठाये गये हैं, एयर इंडिया, जिसे महाराजा कहा जाता था, जो भारत की शान होती थी, जो नेशनल फ्लैग कैरियर होता था, जिसका एक बायलेट्रल महत्व था। दुनिया में जहां पर एयर इंडिया फ्लाई नहीं कर रहा है, अगर दूसरी एयरलाइन हिन्दुस्तान आ रही है तो उसके बदले में एक अच्छी-खासी राशि मिलती थी। ओपन स्काई की बात भी पूरी दुनिया में होती है लेकिन पूरी दुनिया में अगर हीथ्रो एयरपोर्ट पर आप लैन्डिंग करना चाहेंगे तो वे एक लिमिट में आपको परमीशन देंगे। भारत धर्मशाला नहीं है कि कोई भी एयरलाइन यहाँ आकर लैन्ड कर जाए और हीथ्रो, न्यूयार्क या अमेरिका में जाने के लिए एयर इंडिया को लैन्डिंग परमीशन नहीं मिलती। सवाल यह है कि इस 'महाराजा' को कंगाल किसने बनाया। यह 'महाराजा' शब्द जो है, इंडियन एयरलाइन्स का एक ब्रांड होता था। उसका जो ऑरेन्ज कलर था, बाबा बैठे हैं जो केसरिया कलर में, लेकिन आपको ऑरेन्ज कलर से नफरत हो गई। उसको इंडियन एयरलाइन्स कलर कहा जाता था जब कोई कलर लेने जाता था, उसका एक ब्रांड था। एक ब्रांड को बनाने के लिए कार्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ उस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। मैं कोई ऐसी बात रिपीट नहीं करूँगा जो मेरे नेता डॉ. जोशी जी ने या गुरुदास जी ने यहाँ कही है। मैं कहना चाहता हूँ कि एयर इंडिया का जो ब्रांड था, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जिसके पायलट थे, जिसके लिए लोग गर्व से कहते हैं कि पहली बार एक पायलट प्रधान मंत्री मिले, वह इंडियन एयरलाइन्स से मिले। आज इसी सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स का वजूद मिटा दिया, उसका लोगो मिटा दिया। उस लोगो को अगर बाज़ार में बेचा जाता तो उस लोगो की इतनी कीमत होती कि उससे आप एयरलाइन्स का घाटा पूरा कर सकते थे। एयर इंडिया ने जान-बूझकर यह किया। पहले उगता हुआ सूरज, फिर डूबता हुआ सूरज एयर इंडिया का लोगो बना ताकि पहचान मिट जाए। जो हिन्दुस्तानी एयर इंडिया के नेशनल फ्लैग कैरियर को देखकर चढ़ता था, एयर इंडिया की खिड़की का जो नक्शा था, वह बदल दो ताकि यह हो जाए कि एयर इंडिया नेशनल फ्लैग कैरियर नहीं है, दूसरे

Comment [c26]: Contd. By z1

Comment [r27]: Shahnawaz hussain cd

लोग भी नेशनल फ्लैग कैरियर हैं, जिसका फायदा होना चाहिए। यह सही है कि हिन्दुस्तान में प्राइवेट एयरलाइन्स बहुत सारी हैं, वे तरक्की कर रही हैं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, मैं यह रिकार्ड पर कह रहा हूँ और मेरी बात गलत होगी तो मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। 9/11 की घटना हुई थी, दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन्स ग्राउंड हो गई थी। मुझे इस बात का फख्र है कि इंडियन एयरलाइन्स ने प्राफिट किया था और एयर इंडिया ने 9/11 के बाद भी प्राफिट किया था। जब मैं मॉट्रियल गया था मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, तो इकाऊ के चेयरमैन ने बहुत ताज्जुब से पूछा था कि 9/11 के बाद एयर इंडिया ने प्रॉफिट कैसे किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या हो गया। आपने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का पहले मर्जर किया और मर्जर करने के बाद उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गईं। दिक्कत यह है कि हम लोग इस पर पूरी चर्चा चाहते थे, नियम 193 के तहत चर्चा होती तो अच्छा रहता क्योंकि डॉ. जोशी की भी पूरी बात नहीं आई, गुरुदास जी की बात भी नहीं आई। हम इसमें यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर किस लैवल पर यह डिस्मिज़न हुआ। यह डिस्मिज़न क्या सिर्फ सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री का था या भारत सरकार का यह डिस्मिज़न था। क्या डिस्मिज़न में इन बातों का ध्यान रखा गया कि इसको करने के पीछे कौन से कारण थे, यह सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।

महोदय, रूट के बारे में रमेश बैस जी ने भी सवाल उठाया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, यहाँ पंजाब के लोग बैठे हैं। अमृतसर से लंदन फ्लाइट जाती है। तीन महीने की वेटिंग रहती है, तीन तीन महीने पहले लोग टिकट के लिए लाइन में लगे रहते थे, उसमें कभी भी एक सीट खाली नहीं जाती थी। लेकिन क्या कारण है कि जान-बूझकर अमृतसर-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी गई, अहमदाबाद-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी। मैं मिनिस्टर के तौर पर गया था लंदन, न्यू जर्सी और अमेरिका गया था, तब लोगों ने कहा था कि गुजरात के बहुत से लोग रहते हैं, अहमदाबाद से उसको जोड़ना चाहिए। उस वक्त चुनाव चल रहे थे। पचास साल की डिमांड के बाद हमने शुरू किया, वहाँ कोई फंक्शन नहीं किया, एयरक्राफ्ट के ऊपर किया।

श्री हरिन पाठक : मैं भी उसमें था।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या कारण है कि अहमदाबाद-लंदन और अमृतसर-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी। मैं अपने प्रश्न का सी पार्ट उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कौन इसको तय कर रहा है, किस लैवल पर तय हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा। एक बार आप एक फ्लाइट बंद करते हैं तो सौ करोड़ रुपये की प्रॉफिट की फ्लाइट आप बंद करते हैं। आप कह रहे हैं ब्राइब हो रहा है। जब आप फ्लाइट बंद करते हैं आईसी-997 और 998 तो इस फ्लाइट में सौ करोड़ रुपये का प्रॉफिट है।

Comment [r28]: Cd by a2

13.00 hrs.

यह किस साजिश के तहत हुआ कि इसको आपने बंद कर दिया और कोई दूसरी प्राइवेट एयरलाइन वहां चलने लगी। हमने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग सुनी थी। कैप्टन को हटाया, खिलाड़ी को हटाया। लेकिन यहां एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के पीछे बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग है कि तुम जान-बूझकर डिले हो जाओ। यह शेड्यूल कौन तय करता है। क्या मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में शेड्यूल को जान-बूझकर के प्राइम टाइम है तो किसी प्राइवेट एयरलाइन को भेज दो और डल टाइम है तो तब दूसरे को भेज दो।

सभापति महोदय, मैं बहुत दर्द के साथ अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात को कनक्लूड करूंगा। मैं तो जरूर चाहूंगा कि इस पर आगे भी चर्चा हो। आज एयर होस्टेस और कर्मचारियों को तनखाह नहीं दी जा रही है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी सहमत होंगे, कि क्या कारण है, मैं पायलट की डिगनिटी पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो हड़ताल भी होती है, इसमें भी मैच फिक्सिंग है, क्योंकि यह प्राइम टाइम पर होती है। जब लोड बहुत बढ़ जाता है, तब हड़ताल हो गई। इसके पीछे क्या कारण हैं। मैं मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत निभाने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एयर इंडिया का सौवां साल मनाया था। मुझे भी उसमें बुलाया था। मैं उसमें गया था और मैंने इनको कहा था कि हम पूरा कॉपरेट करने को तैयार हैं। आज देश का महाराजा कंगाल बन गया है, फिर से उसकी खोई हुई शान वापस लानी है। जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए ... * सीएमडी। आप जिसे टैक्नीकल वर्ड कह रहे हैं, मैं भी जाकर देखूंगा कि नाम ले सकते हैं या नहीं। सीएमडी, एयर इंडिया को सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा। उसके पीछे दाल में काला था, वह नहीं, पूरी दाल काली है और काली दाल नहीं खा सकते हैं। महाराजा की खोई हुई शान लौटाए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यह आपसे विनती करते हैं कि जब आप जवाब दें तो यह सोचकर जवाब न दें कि विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया। बहुत से सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, जो इस पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उन्हें भी इसका दर्द होगा। इस पर आप ऐसा जवाब दीजिए, क्योंकि देश आपकी तरफ निगाहें लगाकर देख रहा है कि आप महाराजा को बचाते हैं या फिर से कंगाल बनाते हैं।..(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी जवाब देंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी के जवाब के बाद देखेंगे। मंत्री जी, जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: केवल मंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड में जाएगा और कोई भी वक्तव्य रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: केवल मंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, हमें भी बोलने के लिए दो मिनट का समय दीजिए...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम एलाऊ नहीं करते हैं। कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except ministers' reply.

(Interruptions) ... *

सभापति महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए। मंत्री जी रिप्लाई दीजिए।

...(व्यवधान)

Comment [r29]: fd by b2

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please address the Chair.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The rule does not permit. The hon. Minister, please give the reply.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the hon. Minister is giving the reply.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only the hon. Minister's reply will go on record.

*(Interruptions) ... **

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Members Shri Gurudas Dasgupta, Dr. Bholu Singh, Shri Ramesh Bais, Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Syed Shahnawaz Hussain, by way of Calling Attention, raised the issue of dwindling passenger share and poor financial health of Air India resulting in delayed payment of wages and asked as to what steps the Government is going to take in this regard. ... *(Interruptions)*

The hon. Members are agitated on several issues on this subject. About the health of the Air India today, I share the concerns of the hon. Members. As far as Air India is concerned, when it was two organizations, the Air India and the Indian Airlines, there were fleets which were operating. They became old and they could not sustain more hours of flying. There were demands from various quarters, including the public and the hon. Members of Parliament, for the acquisition of aircraft, for which steps had been taken.

As far as the policy is concerned, a decision was taken in 2003 to adopt the "Open Sky Policy". It was initially introduced for ASEAN countries, and later on SAARC countries were also included because at that time the Government decided to adopt the Open Sky Policy. It was decided that foreign airlines will be allowed to operate in India and Indian operators will be allowed to operate in other countries. It continued. For that we needed more aircraft for the purpose of meeting the competition in this field. The Naresh Chandra Committee was appointed – Shri Shahnawaz Hussain knows about it – for giving suggestions to the Government for the purposes of effective functioning and also for improving the condition of the Air India and the Indian Airlines at that time. Most of the recommendations have been implemented.

* Not recorded

An allegation was raised about the purchase of aircrafts. As far as the purchase of aircraft was concerned, the Somaiah Committee was constituted. He was a former CVC. He went into the whole issue of negotiations. Thereafter, the GoM was constituted by the Government. The then Finance Minister and the present Home Minister was the Chairman of the Committee. They negotiated with the Boeings and they brought down the price by Rs. 1,760 crore. It is a known fact and everybody knows about it. Unless and until we change our old fleet into new ones, we could not compete with other airlines because of the Open Sky Policy which was introduced by the NDA Government. We had to continue with that.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Minister, that is not the issue. The issue is: why so many planes were purchased? It was not necessary to purchase so many of them. You please reply to that. ... *(Interruptions)*

Comment [r30]: Followed by C2

SHRI V. NARAYANASAMY: Let me come to that point. ... *(Interruptions)*

I will come to that point.

MR. CHAIRMAN : Let the Minister speak.

... *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Today, in Air India we are having that. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am not telling that your policy was wrong. ... *(Interruptions)* I am telling that we have to cope with what we have. This is what I am telling. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI V. NARAYANASAMY: The total number of operational fleet is 125. The narrow body aircraft, the total is 97 out of which B 737-800, the number is 21 aircrafts; A-320, the number of aircraft is 21; A-319, the number of aircraft is 24; A-321, the number of aircraft is 20; CRJ 80 seated-aircraft, the number of aircraft is 4; ATR42, the number of aircraft is 7. So, a total of 125 aircraft were in

operation. As far as the other aircraft for the international types are concerned, the aircraft which have been 777-200 is 8; 777-300 is 12 and 747-400 is 5 and international operations, A-310- 300 is 1, A-330- 200 is 2. So, a total 28 wide body aircrafts are there for international operations. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only Minister's reply will go on record.

*(Interruptions) ... **

SHRI V.NARAYANASAMY: It is because you were not in the Parliament at that time. The House took the decision. The decision was taken by the Parliament. ... (*Interruptions*) As far as the grounded aircrafts, which has been referred to by the hon. Member Shri Gurudas Dasgupta, is concerned, ... (*Interruptions*) I am not referring to him. I am telling that the House took the decision. I am telling about it. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

... (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member was telling about the flights which have been grounded. The three international aircrafts were grounded because they were old aircrafts and they were used. As far as Airbus-320 is concerned, ten of them were of 1980 and were old aircrafts. That is why they have been grounded. ... (*Interruptions*)

* Not recorded

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I challenge it. It is the new aircraft which was grounded. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister finish.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply. Please take your seats.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI V. NARAYANASAMY: Let me come to that point. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Allianz Aircraft 737 –200 aircraft were grounded because they were old aircrafts. The aircrafts which have been leased, the total number is five aircrafts. Those aircrafts were not in operation. ... (*Interruptions*)

What is the flying hour today? The international aircraft are flying for 10.55 hours, roughly about 11 hours. As far as Airbus 320 is concerned, eight hours is the flying time; Airbus – 321, nine and a half hours is the flying time. ... (*Interruptions*) You do not have the patience to listen to me. ... (*Interruptions*)

What about the private airlines? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Please bear with me. As far as IndiGo is concerned, the flying hour is 11 hours and forty minutes; Spicejet is flying for 12.05 hours; Kingfisher is flying for 10.45 hours.

About the flying time, the difference between Kingfisher and us is only one-hour. ... (*Interruptions*) In the North-Eastern Region and apart from that in Southern sector, our Air India is operating even in the shortest route.

Comment [t31]: cd. by d2

* Not recorded

Even in the shortest route, they have to operate and they are operating.

There is also a policy adopted by the Government. There is the regulation for the purpose of allotting routes to various companies, organisations at the international level and the national level. As per the agreement, the routes were allotted to private Airlines and Air India.

The point which the hon. Member raised was that the route allocation has been made in a manner which is not conducive to us. It is not correct. As far as we are concerned, we have to go by the agreement that has been entered into by our Government, by the Civil Aviation Ministry with various international organisations for the purpose of having the regulations for routes and also at the national level.

The other point which the hon. Member raised was about the employees' problem. The employees' problem is a major problem because, in 2008-09, there was recession in the world. The world economy was collapsing. Passenger travel also dwindled. Therefore, we suffered in the year 2008-09. I am not telling that we are having a rosy picture. I am not at all telling that.... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : What is the action to revive Air India.? Please tell me about that. Let us know what you are doing to revive Air India.... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I am coming to that point.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: The policy of our Government is to strengthen Air India which is the public sector undertaking. It is not like that we are going for privatization which the earlier Government did.... (*Interruptions*) We are not going for it. We wanted that Air India to be strengthened. The financial support has to be given by the Government because today the Rs.1200 crore package is there.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply. मंत्री जी को रिप्लाई देने दीजिए। कृपया बैठिये।

SHRI V. NARAYANASAMY: Now, the shoe pinches you. Who went in for privatization? Shri Gurudas Dasgupta knows of it. ... *(Interruptions)* My colleagues know of it.... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only the hon. Minister's reply will be there.

(Interruptions) ... *

सभापति महोदय : केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जायेगी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Let me come to the revival plan.... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the reply of the hon. Minister.

(Interruptions) ... *

सभापति महोदय : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(Interruptions) ... *

SHRI V. NARAYANASAMY: Let me come to the revival plan. ... *(Interruptions)* You had your say. I will have to say something now.... *(Interruptions)* I am coming to the point.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the cost of fuel has increased. The maintenance cost has increased. There is also decline in the passenger load factor because of the recession in the world economy and the competition by the private sector.... *(Interruptions)* The low-cost Airlines are also operating. Therefore, we have to compete in this atmosphere.... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, the Minister is not yielding. Please be seated.

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI GURUDAS DASGUPTA : What is your financial package for the revival of Air India? It is not only payment of wages. What is the money given?...
(Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: You do not have the patience to hear me. What to do? I am coming to that point.

The measures which the Government proposes are: rationalization of routes; to cut losses on traditionally loss-making routes. We are going to do that. Then, we propose re-scheduling of aircraft operation; return of the leased capacity aircraft. We are not going to further continue with them. Then, we propose complete rationalization of manpower; taking the employees into confidence; negotiating with them and talking to them. This is one of the measures. Then, we propose reduction in contractual employment. We are going to follow that also. We also propose to review of all agreements on all technical/operational matters; constitution of Turn-Around Committee comprising representatives from the senior management level and also the union. The union will also be involved in that. Then, we propose to look at cost reduction including closure of the off-line offices and reduction of employees at foreign offices. Then, aligning of all operations and technical agreements to reflect passenger market conditions will be done. ... (Interruptions) Kindly let me answer. ... (Interruptions)

सभापति महोदय : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल मंत्री जी का रिप्लाइ रिकार्ड में जाएगा।

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN : Please allow the Minister to speak.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the Minister says.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Prime Minister has constituted two Committees. One is the GoM ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : The Minister is not yielding. Please take your seat.

... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Will you bring about a change in the present management of Air India and bring about a new regime? ... *(Interruptions)* This management must go. A new management must come. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please address the Chair.

... *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, every month Rs. 1,100 crore is the revenue earned by Air India and it has to spend Rs. 1,700 crore every month. So, Rs. 600 crore is the deficit. ... *(Interruptions)* I am telling that. You do not have the patience to hear me. Kindly bear with me. ... *(Interruptions)* You wanted all the questions to be answered. ... *(Interruptions)* Sir, our senior Member wanted me to answer all the questions. ... *(Interruptions)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, चेयर को एड्रेस करिए।

... *(व्यवधान)*

SHRI V. NARAYANASWAMY: Sir, there are two plans to revive Air India. One is the Turn-around Plan and the other is the Financial Restructuring Plan. ... *(Interruptions)*

सभापति महोदय : मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, a Group of Ministers has been constituted under the chairmanship of the hon. Finance Minister Shri Pranab Mukherjee and it is going into all the issues. A Turn-around Plan has been worked out with the SBI Cap and also with an independent agency. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Only the Minister's reply will be recorded.

*(Interruptions) ... **

SHRI V. NARAYANASAMY: A scheme has been worked out for turn around and also for financial restructuring of Air India because Rs. 22,000 crore is the money that has been borrowed by Air India for purchase of aircraft and Rs. 22,165 crore is the total cumulative loss that has accrued because they have borrowed money from various banks and it has to be paid back. So, to restructure, revamp and also give the necessary financial support to Air India, the GoM is going into all the issues. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, if the Government finds that any officers are responsible for the loss, definitely the Government will look into it. We will have an open mind on that. ... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the Minister says.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the Government is considering all the issues and within a very short period, the Turn-around Plan and also the Financial Restructuring Plan will be put in place and whatever support is required, it will be given. The policy of the Government is to strengthen Air India which is our public sector undertaking. ... *(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): Mr. Chairman, Sir, we are not satisfied with the reply of the Minister. So we are walking out.

* Not recorded

13.22½ hrs.

At this stage, Dr. Murli Manohar Joshi and some other hon. Members left the House

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Mr. Chairman, Sir, the Minister's reply is not satisfactory. So we are walking out.

13.23 hrs.

At this stage, Shri Gurudas Dasgupta and some other hon. Members left the House

... (व्यवधान)

13.23¼ hrs.

At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members then left the House

13.23½ hrs.

At this stage, Shri Lalu Prasad and some other hon. Members then left the House

13.23¾ hrs.

At this stage, Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members then left the House

... (व्यवधान)

12.08.2011

78

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as Air India is concerned, whatever support is required from the Government, it will be given by the Government. Therefore, for Air India to come out of the present situation, the GoM is considering all the issues and the GoM will come out with a final report. Thank you.

(Placed in Library, See No. LT 4822/15/11)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, today we shall skip Lunch Hour and take up few 'Zero Hour' matters and then we will take up legislative business. Now we take up 'Zero Hour'. Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise an issue pertaining to Sri Lanka. Recently the Defence Secretary of Sri Lanka Mr. Gotabaya Rajapakse criticized the Resolution passed by the Tamil Nadu Assembly. He said that the Chief Minister of Tamil Nadu got the Resolution passed only to gain political advantage. He further said that she made those comments without knowing the facts.

Sir, it is well known that the UN Panel has recently given a report stating that nearly 40,000 innocent civilians have been killed in Sri Lanka by the Sri Lankan Army during the war against LTTE. Apart from that, they have violated so many things and they committed war crimes. Our Minister of External Affairs also said in a *suo motu* statement that three lakh civilians in Sri Lanka are also affected and they are living away from their homes. That is why the Indian Government has also come forward to rehabilitate those civilians and a sum of Rs.500 crore has been sanctioned by the Government.

Comment [S33]: (Cd. by f2)

Comment [RS34]: Thambi ctd

Based on the facts, Madam Jayalalithaa, the Chief Minister of Tamil Nadu, passed a resolution in the Tamil Nadu Assembly condemning those who have committed war crimes and also sought to see that rehabilitation of all the civilians take place quickly.

Mr. Rajpakshe has said – this Government, should we say – that she did it for only political gains. This is condemnable. In this context, I would like say that she did it after asserting the full facts and also did it with full responsibility. She did not do it for any political advantage or gain. She has become the Chief Minister of Tamil Nadu three times with a thumping majority. Therefore, this

kind of a statement that she did it for political motives made by the Defence Secretary of Sri Lanka is *.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, a discussion is going to take place on this, the hon. Member can raise this issue at that time... (*Interruptions*) Sir, this matter relates to our neighbouring country and this cannot be raised like this... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Please allow me to complete. So, instead of solving the problem, the Sri Lankan Defence Secretary has criticized the resolution and also criticized the Chief Minister of Tamil Nadu. This is objectionable, inappropriate and ... *

Sir, yesterday also, this matter was raised in the Tamil Nadu Assembly and the whole Assembly reiterated and stood by the resolution. The Assembly urged the Union Government of India to take appropriate action and see that the problem of Sri Lankan Tamils is solved. Therefore, I would request the Union Government to take necessary action and that the spirit of the Tamil Nadu resolution be conveyed to the High Commission of Sri Lanka. This is what I want to insist and therefore, I once again ... * the criticism made by the Defence Secretary of Sri Lanka.

सभापति महोदय : कुछ ऑब्जेक्शनबल होगा तो डिलीट हो जाएगा।

* Not recorded

13.27 hrs.(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने यहां बुलाया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पिछले पांच सालों से सूखा पड़ा हुआ है। यह भयंकर सूखा है। पहले हम लोग सुनते थे कि विदर्भ, आन्ध्रप्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में लगभग पांच साल में साढ़े पांच सौ से ज्यादा किसानों ने भुखमरी और कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली है। पिछले अगर तीन-चार साल में अगर देखा जाए तो लगभग 1800 किसानों ने बुंदेलखंड में आतहत्या की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, उसको अनदेखी करते हुए, भारत सरकार ने जो साढ़े सात हजार करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी। वह अभी तक दी नहीं है। इसके कारण किसान आज भी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं और गांव छोड़ कर दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं। वहां पशुओं के लिए चारा नहीं है। उनको भोजन नहीं मिल रहा है। किसानों को दवा के लिए इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसी विषम स्थिति में, मैं सदन के द्वारा, आप के द्वारा सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार इस सदन में घोषणा करें कि साढ़े सात हजार करोड़ रुपया तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को वहां के लिए दिया जाएगा। वहां के किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें जिससे इस विषम स्थिति से निपटा जा सके।

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar is associating with the issue raised by Shri Rewati Raman Singh.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखण्ड में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय व वन्य क्षेत्र बहुल होने के कारण वहां आय का मुख्य साधन कृषि ही है। जिस प्रकार अन्य राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा वहां की जनता को कृषि के आधुनिक एवं व्यावसायिक तरीकों की जानकारी दी जाती है। उसी प्रकार उत्तराखण्ड में भी कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की नितांत आवश्यकता है। कम तापमान व पर्वतीय राज्य होने के कारण वहां विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पर्वतीय खाद्य पदार्थ जैसे मंडुवा, क्वादा व झंगुरा आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उनकी उत्पादकता का विकास भी होगा जिससे वहां के निवासियों की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा।

Comment [135]: Cd by g2

महोदय, राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के लिए पौड़ी जिले का भरसार क्षेत्र उपयुक्त है। वहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज ऑफ हार्टीकल्चर 175 हैक्टेयर भूमि में है। यदि उसे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उच्चिकृत कर दिया जाए तो पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड राज्य में कृषि के प्रोत्साहन व विकास के लिए पौड़ी जिले के अंतर्गत भरसार क्षेत्र में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज ऑफ हार्टीकल्चर को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उच्चिकृत करने के लिए समुचित कार्यवाही करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने 1978 के बाद केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी न रखकर सभी प्रत्याशियों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की थी। इसमें विभिन्न प्रदेशों के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों ने लाभ उठाया था और उनका चयन भी संभव हो सका था।

अब आयोग ने वर्ष 2011 की परीक्षाओं के लिए चालीस अंक का अंग्रेजी पर्चा अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय को लेकर भारत की विभिन्न भाषाओं के उन युवाओं को वंचित किया जा रहा है जो ग्रामीण परिवेश में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अंग्रेजी का अभ्यास न होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से आए हुए प्रतिभागियों की स्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते। भारत गांवों का देश है। यहां हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाएं ही बोली जाती हैं। उनके बीच काम करने वालों को इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से हिन्दी जगत में काफी विरोध है। इसे देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रतियोगी अपनी भाषा में साक्षात्कार दे सकते हैं। तब अंग्रेजी पर्चे की अनिवार्यता क्यों?

महोदय, राजभाषा हिन्दी के अग्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के राजभाषा अधिनियम 1963 की तथा संविधान की भावना के विपरीत अंग्रेजी के पक्ष में निर्णय लेने की क्या बाध्यता थी। अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को देश में बनाए रखने के लिए अंग्रेजी थोपकर भारतीय भाषाओं के बीच कटुता फैलाने और देश को विखंडित करने के लिए लम्बे समय से षडयंत्र चल रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों को उस जनता के लिए काम करना होता है जिसका बहुमत अंग्रेजी नहीं समझता। मेरे पास बड़ी संख्या में पीएससी में बैठने वाले छात्र आए थे। ...(व्यवधान) इस वजह से मैंने इस मामले को यहां उठाया है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Jitendra Singh Bundela are permitted to associate with the issue raised by Shri Ganesh Singh.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, देश में नक्सल प्रभावित जिलों में 178 सैनिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने यह तय किया था कि बहुउद्देशीय विकास परियोजना जिलों के कलेक्टर के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों में चलाई जाएं। भारत सरकार के प्रस्ताव पर प्लानिंग कमीशन ने 1500 करोड़ रुपये, जिसमें हर जिले को 55 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस पैसे पर कलेक्टर का सीधा नियंत्रण था जो कुछ निर्धारित कामों जैसे स्कूल बिल्डिंग, आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर खर्च होने थे। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में यह पैसा मुख्य मंत्री के कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं ग्राम ओलम्पियार्ड आदि करा कर अपनी पार्टी भर का प्रचार किया। ...(व्यवधान) आप सुनिए, यह बहुत गंभीर आरोप है। उदाहरण के लिए डिंडोरी नक्सल प्रभावित जिले में साढ़े सात लाख रुपये आंगनवाड़ी भवन के लिए दिए जो दो वर्ष में तैयार नहीं हो सका। पीडब्ल्यूडी के सीएसआर रेट के हिसाब से 4 लाख रुपये में भवन बनना चाहिए था। यह पैसा तुरंत एवं निश्चित अवधि में खर्च करना था, जबकि तत्कालीन कलेक्टर अपना हिस्सा लेकर दूसरे जिले में पदस्थ हो गए। काम आज भी अधूरा है। केवल एक एनजीओ प्रधान को एक-चौथाई काम एलॉट कर दिया गया जो आज भी अधूरा है। प्रदेश के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में भी कमतर यही स्थिति है।

महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासियों को नक्सली प्रभाव से उबारने में भेजी गई राशि के दुरुपयोग से रोक कर, गरीब आदिवासियों की बेहतरी में मदद करें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, आज देश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना आम बात हो गयी है। मैं विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र यवतमाल की बात यहां रखना चाहूंगी। वहां आदिवासी क्षेत्र में न तो ढंग के अस्पताल हैं और न ही प्रशिक्षित डाक्टर हैं, जिसके कारण आदिवासी परिवारों को अपना इलाज कराने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहां के अस्पताल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल की इमारतें भी खस्ताहाल में हैं। सरकार आदिवासियों के विकास हेतु डिंडोरा पीटते हुए नजर आती है, किन्तु वास्तविकता कहीं परे है। आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत दयनीय होने से ये परिवार अच्छे चिकित्सकों के पास नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इन सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त अधिकारियों, डाक्टरों और एम्बुलेंसों की भारी कमी होने के कारण लोगों को उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यवतमात के

* Not recorded

मेडिकल कालेज में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने धनराशि आवंटित की थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मेडिकल कालेज के लिए और अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह इस विषय की जांच करे और यवतमाल आदिवासी इलाके में इन मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की दशा को सुधारने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि प्रदान करे। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The present condition of monsoon does not hold much cause for cheer. The relative lull in rainfall in July is yet to be overcome and the latest forecast by the Meteorological Department shown that the remaining two months of the four months monsoon season is likely to result in lesser amount of rainfall than the first two months.

Mr. M. Rajeevan of the National Atmospheric Research Laboratory in Tirupati has said that the last two months had been very few low pressure areas being formed over Bay of Bengal, because of which, the strength of the monsoon winds has not been very strong.

What is more worrying is that East and North-east India have experienced a 16 per cent shortfall as of now and that was unlikely to change in the remaining season.

Orissa suffered widespread crop loss due to drought and un-seasonal and untimely rains during the last year. As a result, crop loans amounting to Rs. 1,000.42 crores advanced during Kharif, 2010, are eligible for conversion into Medium Term Conversion (MTC) Loan repayable by the affected farmers over a period of 3-5 years.

These converted MTC Loans will carry an interest of 11.25 per cent in view of the fact that NABARD would be extending refinance at 7.25 per cent per annum.

Since these loans, this is really affecting our farmers in a very great way, are basically crop loans, which have been rescheduled for repayment, such a high interest is not in the interest of farmers who have suffered crop loss. These

affected farmers deserve to get the benefit of interest subvention at par with that allowed to crop loans.

A higher rate of interest on the Medium Term Conversion Loans than the crop loan originally advanced to the calamity hit farmers will push them into further distress.

This Policy needs examination at the Government of India level and the Medium Term Conversion Loan should be covered under interest incentive schemes to keep the interest rate at par with the crop loans.

I would urge upon the Government to become conscious to the fact what our farmers are facing. Darker crisis will loom large if monsoon fails and already more than 50 per cent of the crops area in Orissa is in a drought like situation.

Therefore, I would urge upon the Government to provide a special package for the farmers of affected areas and also to examine the Policy relating to medium-term loans and extend incentive schemes to keep interest rate at par with the crop loans. Thank you, Sir.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रखना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र बेतूल है, जिसमें बेतूल, हर्दा और खंडवा जिले का कुछ हिस्सा, एक विधान सभा उसमें आती है। इस खंडवा जिले के हरसूर छनेरा से लगा हुआ खालवा ब्लाक पूरी तरह से आदिवासी है यानी वहां सौ प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। वहां से लगा हुआ एक आशापुर गांव है, जहां पर पिछले दिनों, 17 जुलाई, 2011 को अग्नि नदी में बाढ़ आने से वहां के लगभग दो हजार लोग जिनमें 40 बच्चे, महिलाएं और पुरुष, जिनमें कई वृद्ध लोग भी थे, गंभीर रूप से हताहत हुए और वहां उससे लगी हुई किसानों की भूमि भी पूरी तरह से बंजर हो गयी है। निश्चित रूप से वहां के लोगों की जो मांग थी, वह राज्य सरकार ने पूरी की, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की वहां एक मांग यह भी उठी कि हमारी जो मांगें हैं, आप वहां जाकर उनसे केन्द्र सरकार को, भारत सरकार को अवगत कराएं। हमारे जितने धन-जन की हानि हुई है, वह केन्द्र सरकार हमें किसी न किसी रूप में, जिस रूप में भी दे, हमें मिले। इस चीज का उन्होंने हमसे बहुत दिल से आश्वासन लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उन किसानों की लगभग 400 हेक्टेअर जमीन जो बाढ़ से पूरी तरह से बंजर हो गयी है और वहां लगभग जितने लोग थे, लगभग 2000 गरीब लोगों के मकान पूरी तरह से जर्जर होकर गिर चुके हैं। वे लोग खुले में पंडाल डालकर रहे थे, जिस समय मैं वहां गयी थी, मैंने देखा उनको जिस अवस्था में देखा,

Comment [r36]: cd by j2

उनको यही आश्वासन दिया कि मैं यहां की स्थिति को केन्द्र सरकार के सामने रखूंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि केन्द्र सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि देकर इस स्थिति से निजात दिलाए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): महोदय, यूपीए सरकार रिटेल मार्केट में एफडीआई एलाऊ करने जा रही है। यह बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाकर, जैसी रिपोर्ट चाहिए हो, उस ढंग से रिपोर्ट मंगवाई भी गयी है। मुझे लगता है कि सरकार विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए, खास करके खुदरा बाजार में, लगभग तय ही कर चुकी है। वह इतनी जल्दबाजी में इसे कर रही है। मुझे यह लगता है कि सरकार चाहे जो करे, वह अपने कृत्य के बारे में बहुत सुन्दर रूप से प्रस्तावना सदन के सामने और लोगों के सामने रखेगी कि अगर विदेशी पूंजी खुदरा बाजार में आती है, तो इतना लाभ होगा, यह लाभ होगा आदि। लेकिन उसकी जो असलियत है, उसके प्रतिकूल परिणाम क्या होंगे, उनके बारे में भी क्या सरकार ने नजर डाला है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। यह करोड़ों लोगों का, करोड़ों किसानों, खासकर छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों का सवाल है। इस देश में फूड-चेन को अगर विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो आने वाले दिनों में इस देश को शायद भगवान ही बचा सकेगा। इस विषय को सरकार बहुत गंभीरता से ले। केवल शून्य काल में यह विषय उठाया गया है, इसी के साथ इसे समाप्त हुआ समझ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय के बारे में सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी के आने से क्या विपरीत परिणाम होने वाले हैं।... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एफडीआई खुदरा मार्केट को खत्म कर रही है।... (व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े : महोदय, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सदन में पूरी चर्चा हो। वैसे इसके बारे में नियम 184 एवं नियम 193 के तहत भी मैंने नोटिस दे दिया है। इसके बारे में पूरी चर्चा हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ठीक बात है। इसके बारे में पूरी चर्चा हो, हम आपका सपोर्ट करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Dr. Tarun Mandal is associating with the issue raised by Shri Anant Kumar Hegde.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, एक बहुत मशहूर फिल्म गीत है : "पाती हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोय, करमवा बेरी हो गइल हमार।" इसी तरह गुजरात की एक मशहूर गजल, जो दो भाई गाते हैं : "चिट्ठी आई है, आई है वतन से चिट्ठी आई है।"

रंग-बिरंगा पत्राचार, गरीबों के लिए पत्र का सहारा है। गांव की महिलाएं लिखती है - प्रिय प्राणनाथ, सादर प्रणाम। सभी पत्रों के मार्फत यह होता है। वर्षों से चालू हैं डाक प्रमाण पत्र व्यवस्था अर्थात अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट।

Comment [r37]: cd. by k2

पहले पांच पैसे में टिकट लगाकर या मोहर लगाकर जब कोई चिट्ठी डालता था तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसे बढ़ाकर बाद में 50 पैसे कर दिया गया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट सेवा जो थी कि कोई व्यक्ति चिट्ठी डाले तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, एक जिम्मेदारी रहती थी डाक विभाग की कि वह पत्र जहां जाना है, वहां जाएगा। उसकी जगह अब रजिस्ट्री के लिए 22-25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी के लिए इतना पैसा देना सम्भव नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था को कायम रखने में उसका क्या खर्च होता था, केवल एक मोहर ही लगानी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है। सरकार बताए कि क्यों गरीबों के खिलाफ ऐसा निर्णय किया गया है। आम आदमी जब चिट्ठी डालता था तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, उसे बंद करके रजिस्टर्ड लैटर की शुरुआत की गई है। इस तरह की रजिस्ट्री कराने में 25 रुपए से 28 रुपए लगते हैं। इतना घोर अन्याय गरीबों के साथ क्यों किया जा रहा है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं और इसे खत्म करने के पीछे क्या लॉजिक हैं। इसे खत्म करने से सरकार को कितनी बचत होगी और कायम रखने पर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता, यह भी सरकार बताएं। इस तरह के निर्णयों से पता चलता है कि सरकार गरीब विरोधी निर्णय लेती है और सदन को जानकारी भी नहीं देती है। यूपीसी की व्यवस्था जो बरसों से गरीबों के लिए चल रही थी, उसे पुनः लागू करना चाहिए, नहीं तो सरकार को सदन को बताना चाहिए कि इसे बंद करने के पीछे क्या लॉजिक हैं। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने का गरीब विरोधी निर्णय जो उसने लिया है, सरकार इसे स्पष्ट करे।

MR. CHAIRMAN : Shri Dhananjay Singh is allowed to associate with the matter raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व का प्रश्न शून्य काल में उठाना चाहता हूं। भारत में विकलांगों की समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विकलांगों के प्रति हमारे समाज के प्रति परम्परागत व्यवहार दया का रहा है। उन्हें परोपकार का पात्र माना जाता है। जिस कारण विकलांगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है और उनका सारा जीवन कठिनमय हो जाता है। विकलांगों की भी सामान्य इच्छाएं होती हैं, जैसे स्कूल जाना, विवाह रचना और मनोरंजन करना। लेकिन अधिकांश विकलांग इन सामान्य बातों से वंचित रह जाते हैं। विकलांगों के जीवन को सहज बनाने के लिए सरकार और परिवार की मदद से सहायक उपकरण और सर्जरी एक सामान्य तरीका है। लेकिन गांवों में

रहने वाले लोग इतनी राशि खर्च नहीं कर सकते। केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुदान और मदद से कुछ फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश में लगभग सात करोड़ विकलांग हैं। उनमें से मात्र दो प्रतिशत ही शिक्षित हैं। इनके बेरोजगारी के आंकड़े और भी चिंतनीय हैं। इसलिए इस गम्भीर समस्या पर सरकार को उचित कदम जल्द से जल्द उठाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि विकलांगों को सहायक उपकरण और सर्जरी के लिए 100 प्रतिशत मदद का प्रावधान करना चाहिए, ताकि वे सामान्य और सहज जीवन व्यतीत कर सकें।

MR. CHAIRMAN : Shrimati Botcha Jhansi Laskhmi is allowed to associate with the matter raised by Shri Datta Meghe.

13.49 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Problems being faced by cancer patients in the country

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, गुलाम नबी आजाद, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में कैंसर पेशेंट्स की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर के इलाज में काफी खर्च होता है, क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा है। आम आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसी घर में कोई कैंसर पेशेंट होता है तो पूरा परिवार कर्ज से डूब जाता है और सालों-साल तक कर्ज चुकाने के लायक नहीं रहता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कोई ऐसा सेंटर बनाएं जहां कैंसर पेशेंट्स का प्री में इलाज हो सके और वह सरकार की तरफ से हो, क्योंकि गरीब लाखों रुपए खर्च करके कैंसर का इलाज नहीं करा सकते और वे अपने मरीज को मरता हुआ देखते रहते हैं।

मेरा इस सम्बन्ध में दूसरा सुझाव यह है कि एमपी लैंड से एक राशि 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी जाए, जिससे सांसद किसी कैंसर पीड़ित का एम्स में, टाटा मेमोरियल अस्पताल में या राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सीधे इलाज करा सकें और वह राशि सीधे एमपी लैंड फंड से इन अस्पतालों में चली जाए।

Comment [r38]: cd. by 12

Comment [139]: Cd by JP Aggarwal

वह सीधा जाए जिससे उन लोगों की दुर्दशा न हो। जिस तरह से वे रोते हैं, जिस तरह से उन परिवारों का बुरा हाल होता है, वह हमसे देखा नहीं जाता है। माननीय गुलाम नबी आजाद जी बैठे हैं, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Jitendra Singh Bundela, Shri Dhnanjay Singh, Dr. Sanjeev Ganesh Naik, Shri Arjun Meghwal, Shrimati Botcha Jhansi Laskhmi, Shri Dara Singh Chauhan are allowed to associate with the matter raised by Shri Jai Prakash Agarwal..

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर, इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। साथ ही सदन के द्वारा अपने देशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कैंसर और डायबिटीज के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर और डायबिटीज के मरीज हमारे देश में होंगे। इसके लिए सरकार ने इसी साल एक योजना बनाई है और 100 जिले हमने 21 राज्यों में चुन लिये हैं। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और 4-4, 5-5 जिले 21 राज्यों में लिए गये हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को केन्द्रीय सरकार से, अर्ली डिटेक्शन के लिए, डेढ़ करोड़ रुपया मशीनरी के लिए, पहले दे दिया गया है। तकनीशियन्स के लिए भी पैसा दे दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट में 100 मरीजों के लिए 1 लाख रुपये के हिसाब से कीमोथैपी के लिए भी हमने पैसा दिया है। इस तरह से 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 हजार मरीजों के लिए, एक लाख रुपये के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं और अगले एक-दो सालों में यह कार्यक्रम हम पूरे देश में शुरू करने वाले हैं।

बीपीएल की जो स्कीम पूरे देश के लिए है वह अब सर्टिफिकेट से नहीं चलेगी, बल्कि कार्ड्स होल्डर्स पर लागू होगी। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, इसलिए बीपीएल कार्ड होल्डर्स के कैंसर के इलाज का पूरा पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, चाहे पांच लाख रुपये लगे या सात लाख रुपये लगे, हम पूरा पैसा देंगे। ...(व्यवधान) इससे अलग का कोई प्रयोजन नहीं है।

डॉ. किरिंट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय जी, युवाओं की समस्याओं को आकर्षित करने के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। युवा वर्ग समाज का वह वर्ग है जिससे समाज सर्वाधिक अपेक्षाएं पालता है। यही कारण है कि यह वर्ग स्वयं के ऊपर सर्वाधिक दबाव भी महसूस करता है। युवा शक्ति हर युग और हर समाज में सबसे उर्वर मानी जाती रही है। अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिलहाल विश्व का सबसे युवा वर्ग वाला देश भारत है जहां 54 करोड़ युवा बसते हैं। फिर भी यूरोपीय देशों के विकास के आगे हमारा देश पीछे है। हमारा देश अभी भी अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ेपन एवं सामाजिक अन्याय से पीड़ित है तथा राष्ट्र के प्रति असंतोष, अव्यवस्था, देश की दयनीय स्थिति को प्रकट कर रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझने की ताकत देश के युवा वर्ग में ही है। राष्ट्र के गौरव की सुरक्षा के लिए युवाओं ने ही हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं। चाहे संकट सीमा पर हो या सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं के निवारण का प्रश्न हो, देश के युवाओं ने सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश का युवा दिशाहीन होकर निःसहाय होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि देश की वैज्ञानिक युवा प्रतिभाओं को, देश के अंदर ही विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे प्रतिभाओं का पलायन रोका

जा सके। इसके साथ ही देश के क्षमता-संपन्न युवाओं को सरकार उदारतापूर्वक आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सहायता प्रदान करे। उन्हें विकास के अवसर उपलब्ध कराए और साथ ही युवाओं को उचित दिशा की ओर भी प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण सफलतापूर्वक हो तथा हमारा देश पुनः गौरव को प्राप्त कर सके।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): महोदय, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री चार धाम हैं, जहां लाखों तीर्थ यात्री हर वर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। छह महीने के लिए मंदिर खुलते हैं। बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे सारी सड़कों की देखभाल करता है, लेकिन इन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि यात्री कई दिनों तक यहां फंस जाते हैं। यात्री केवल फंसते ही नहीं हैं, बल्कि उनके लिए पानी और भोजन तक की व्यवस्था करने की सुविधा नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे आथोरिटी को जितना भी अतिरिक्त धन चाहिए, इन्हें तुरंत दिया जाए। राज्य सरकार के सैक्टर की रोड है, उनका बुरा हाल है। यात्रियों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मोबाइल व्यवस्था करनी चाहिए। इस समय भी कई यात्री फंसे हुए हैं। हर वर्ष ऐसा होता है और सारे देश के लोग परेशान होते हैं। केंद्र सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे आथोरिटी को उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां लाखों लोग जाते हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं विस्थापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जितने भी सिंध प्रांत के सिंधी समाज के लोग और ढाका जो वर्तमान में बंगलादेश है, वहां से विस्थापित हो कर आए हुए बंगाली समाज के अधिकांश लोग मेरी लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत पन्ना और कटनी में आ कर बसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बने हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पन्ना जिले में जो हमारा बंगाली समाज रह रहा है, न इनके जाति प्रमाण पत्र बन पाए और भारत सरकार के नियमानुसार जो भूमि उनको दी गई थी, आज तक न उनको पट्टे का मालिकाना हक मिल पाया है और न ही कोई काम हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की जो भी आरक्षण की नीति है, सरकार जो विभिन्न योजनाएं बना रही है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कटनी में माधवनगर में हमारे सिंधी समाज का बहुत बड़ा कैम्प था। उन्हें जो आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए थे, आज उन्होंने मकान बना लिए हैं, लेकिन जब देखो आरक्षण की आड़ में सिंधी समाज के लोगों को मकान गिराने की धमकी दी जाती है और मकान गिराए जा रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए उठाया है, क्योंकि आपके माध्यम से यह सदन ऐसे लोगों को जो विस्थापन के तौर पर हमारे देश में आए थे, उनकी स्थिति आज देश में बदतर हालत में है। हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को आम आदमी की बात

करती है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को भारत सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उन्हें मिलनी चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): महोदय, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा आवास योजना है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी है और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं अपने क्षेत्र सुल्तानपुर के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी मानदंड इसके लिए बनाए गए हैं, हमारे यहां अक्सर उन मानदंडों को नज़रअंदाज करके कार्यवाही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपने घर हैं और फिर भी उन्हें इंदिरा आवास मिल जाता है और जिनके पास कोई घर नहीं है, उन्हें इंदिरा आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग भी अगर लिखते हैं, तो न कोई उत्तर मिलता है और न कोई कारण बताया जाता है कि इंदिरा आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे क्षेत्र में लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक गोमती नदी बहती है और गोमती के किनारे भी हजारों परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन्हें भी कोई लाभ कई सालों से नहीं मिल रहा है। इस योजना में तीन परसेंट विकलांगों को और पन्द्रह परसेंट अल्प संख्यकों को भी आवास मिलने का प्रावधान है, लेकिन पिछले पांच-दस सालों से इन विकलांगों को और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इंदिरा आवास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

13.59 hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया केंद्र और राज्य के डिस्प्यूट की कोई बात न करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिल सके और किसी डिस्प्यूट से हटकर इस लाभकारी योजना का अच्छी तरह से लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो विकलांग और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों और करोड़ों परिवार इस प्रदेश में हैं, उन सब के बारे में इस कोटे का अच्छी तरह से पालन हो रहा है, इसे सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय सिंह और श्री दारा सिंह चौहान अपने को डॉ. संजय सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

14.00 hrs.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am raising one important issue which is related to all the parliamentary parties. As you are aware, a Parliamentary Pay Committee is constituted to review and recommend pay-scales and allowances for the employees of the Parliament. This is headed by the Chairman, Committee on Estimates.

Sir, I seek your indulgence for provision of staff component for the offices of parliamentary parties which are there in the Parliament House. The parliamentary parties have been provided with office infrastructure and logistic support by the Parliament. Unfortunately, there is no provision of the staff component for them.

Your honour would appreciate that parliamentary parties need staff with expertise in parliamentary legal work. In fact, to a great extent, an office of a parliamentary party acts as important component in processing the legislative work and providing support to the hon. Members of their party. Now-a-days, the staff which is working in the offices of various political parties is paid by the Members only and the wages, which they are getting, are very nominal. That is why, the Parliament should take care of proper component of staff to them, and their pay-scales and allowances.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्न चर्चा उठा रहा हूँ। बिहार सरकार ने नवादा जिले के अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड में बक्सौती सिंचाई डैम परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है जिसकी लागत 600 करोड़ रुपये से अधिक है। नवादा क्रोनिक सुखाड़ का जिला रहा है। प्रकृति ने इसे अभिशप्त करके रखा है। पहाड़ी एवं पथरीली जमीन होने के कारण बरसात के पानी को जमा कर नदियों में डैम बनाकर सिंचाई के लिए उसका उपयोग एकमात्र साधन है। राज्य सरकार ने गहन अध्ययन करने के बाद दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की आबादी को दो जून की रोटी प्राप्त हो, उनकी क्रय शक्ति श्रम जीवन व्यतीत करने के लिए बढ़ाई जाए, इसके लिए चिर प्रतीक्षित डैम परियोजना आकार ग्रहण कर रही है। पिछले कई महीनों से केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग से यह योजना मंजूरी के लिए पड़ी हुई है। केन्द्र सरकार जहां ऐसी

परियोजना के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देती रही है, वहीं नवादा की बक्सौती डैम परियोजना उसकी स्वीकृति के लिए अधर में लटकी हुई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से सदन के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बक्सौती डैम परियोजना की स्वीकृति देकर नवादा के जलते हुए आसमान और धरती को शांति प्रदान करें।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे शून्यकाल के तहत एक गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी है। मैं इस विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमारा देश आजाद होने के बाद भारत की भंडारण की लोक शासन व्यवस्था स्वीकृत हुई ताकि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विशेष प्रादेशिक समस्या का समाधान ठीक से हो सके और यह प्रथम बार भंडारण व्यवस्था डा. अम्बेडकर जी के प्रयासों से पूर्ण हुई। भारत सरकार ने इस लोक शासन व्यवस्था को पहली बार भेदभावपूर्ण तरीके से अपनाया। भारत सरकार को गुजरात की छः करोड़ जनता की चिंता करने वाली, गुजरात विकास के लिए सतत चिंतित गुजरात सरकार को हैरान और परेशान करने की आदत पड़ गई है। मैं यूपीए सरकार के अनेक किस्से आपके सामने रखता हूँ।

हाल ही में 13 जुलाई को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान गई। गुजरात मुंबई से सटा राज्य है। गुजरात विकासशील राज्य है और इस राज्य की पुलिस व्यवस्था आतंकी खतरे को लेकर काफी अलर्ट रहती है। केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि गुजरात में आतंकी खतरे हैं। केंद्र सरकार के इस कन्सर्न से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने तीन बार गुजरात के लिए कायदा बनाकर विधान सभा से पास कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। महाराष्ट्र सरकार के पास मकोका कायदा है क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार है। मैं आपसे इन भेदभावों को दूर करने के लिए विनम्रपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं देखना चाहिए। यदि कोई राज्य विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि भारत विकास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार गुजरात में भी मकोका कायदा की मंजूरी दे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात है कि आप चेयर पर है और आप जिस राज्य से आते हैं, मैं उसी के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यदि किसी ने गरीबी, पिछड़ापन देखना हो तो उसे झारखंड आना चाहिए। झारखंड में 70 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम कोयला उत्पादन करते हैं लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हमारे यहां बीसीसीएल, सीसीएल है। ईसीएल के लाभ का भाग भी हमारे यहां है लेकिन इसके बावजूद कोल इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है। हम कॉपर उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हम यूरेनियम उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुम्बई में है। यहां के पानी से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनता है लेकिन इसका भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। मैसांजोर डैम दुमका में है, मैथन डैम धनबाद में है, पंचायत डैम है, हमारी जमीन है, हमारा पानी है लेकिन हमारे किसान इससे सिंचाई नहीं कर पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कोल इंडिया, ईसीएल, हिन्दुस्तान कापर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। हमारे लोग पैसे के अभाव में मरते हैं, लोग गरीब माने जाते हैं, हमें रायल्टी नहीं मिल रही है, टैक्स का भाग नहीं मिल रहा है, हम झारखंड में उत्पादन कर रहे हैं, वे हमारे पैसों से पल रहे हैं। इसलिए टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी का हेडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार मैसांजोर, मैथन और पंचायत के पानी का बंटवारा ठीक तरह से करे ताकि झारखंड के किसानों को इसका फायदा मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूँ।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, a very shocking news item has appeared in the English daily *The Tribune* of yesterday claiming that many young Punjabis have been duped by travel agents, who call themselves as placement consultants. As a result, these innocent youth have been suffering.

They have been taken to Iraq. The report claims that travel agents induce the youth with assurances of providing them jobs in the American Army Camps located in Baghdad and had promised them that they would be paid US \$ 800 per month. Once in Iraq, much to their chagrin, they have been sent to various construction sites like in Najaf, a town which is almost 160 kilometres from Baghdad.

Most of these boys are being paid just US \$ 300 or lesser per month. I wonder what the officials of the Ministry are doing. Why are they so lethargic and indifferent when such unscrupulous agents, in the guise of placement consultants, are duping a large number of our youth?

There are more than 15,000 Punjabi youths in various jails throughout the world today. We all know the fate of these poor Indians in the Gulf countries where they are forced to work in inhuman conditions. I have no hesitation in saying that the number of such cases are increasing every single day. After taking cognizance of this highly deplorable incident, I would like to know this. What has the Ministry done to immediately protect these Punjabi youth in Iraq? I request the hon. Minister of External Affairs as well as the hon. Minister of Overseas Indian Affairs to pay personal attention toward this highly sensitive issue, and they should go the whole hog in order to protect the Indian youth over there. As the matter is very serious and sensitive, I would request the Minister of External Affairs to make a statement, at the earliest, on the floor of the House.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया। यह सदन के सभी सदस्यों से संबंधित सांसद निधि से ताल्लुक रखता है। भारत सरकार के 2011-2012 के बजट के अंतर्गत सांसद को मिलने वाली सांसद निधि की धनराशि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई थी। परंतु घोषणा के महीनों बीत जाने के बाद भी सांसद को जारी होने वाली राशि की पहली किस्त पुरानी दर, पुराने हिसाब से मात्र एक करोड़ रुपये जारी हुई है। जबकि बजट घोषणा के अनुसार कम से कम ढाई करोड़ रुपये की धनराशि जारी होनी चाहिए थी।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि घोषणा के अनुसार न केवल धनराशि कम जारी की गई, बल्कि इसके जारी करने में तीन माह से अधिक की देरी भी हुई, जो अत्यंत खेदजनक है। ...**(व्यवधान)** जब बजट में इसकी घोषणा हो गई थी तो कैबिनेट में इसकी मंजूरी देना तो औपचारिकता थी। मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी के लिए केन्द्र द्वारा जारी अमुक धनराशि से अधिक के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। लेकिन अगली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये और जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मेरे द्वारा स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसमें अनावश्यक देरी की जाती है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब एमपीलेड का विषय आयेगा, तब बोलिये।

श्री पन्ना लाल पुनिया : जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देर में प्राप्त होता है और उसके परिणामस्वरूप अगली किस्त देर से जारी होती है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाएं कि पात्रता होते ही अगली किस्त तत्काल जारी कर दी जाए और कार्य को समय से पूरा करने के लिए कठोर मॉनिटरिंग की जाए, जिससे अनावश्यक देरी न हो। मैं सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बजट घोषणा के अनुसार सांसद निधि की धनराशि को तत्काल जारी किया जाए। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उनसे कहिये कि वह कुछ बोलें। मंत्री जी, आप कुछ तो बोलिये। ...(व्यवधान) कुछ तो जवाब दीजिए। आप यहां बैठे हैं तो कुछ बोल दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम मंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पिछड़े और घनी आबादी वाले इलाके पूर्वांचल में हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय मऊ है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में इस जनपद का इतिहास रहा है। मधुबन कांड में यहां के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज यह क्षेत्र अपने चतुर्दिक विकास के लिए परेशान है। आज यहां लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर रेडियस में कोई पीजीआई स्तर का अस्पताल नहीं है। कोई कृषि विश्वविद्यालय न होने के नाते, इंजीनियरिंग कालेज न होने के नाते यहां के छात्र प्रभावित होते हैं। वह पिछड़ा और बुनकर बहुल इलाका है। आज संयोग अच्छा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल क्षेत्र के मऊ मुख्यालय में एक पीजीआई खोलने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यक्ति वहां आता है, वह वहीं रहना पसन्द करता है। वहां केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हजारों की संख्या में रहते हैं और केन्द्र सरकार के कई दफ्तर भी हैं। मैं कई सालों से सीजीएचएस की छोटी सी मांग कर रही हूँ मगर हर बार बजट की कमी कह कर टाल दिया जाता है। वे सभी वृद्ध लोग इस संबंध में मुझे सतत् फोन करते रहते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सीजीएचएस की एक छोटी सी डिस्पेन्सरी इन्दौर में उपलब्ध कराई जाए। अगर वह

संभव नहीं है तो मैंने यह भी निवेदन किया था कि वहां के दो-तीन ऐसे हॉस्पिटल रिकग्नाइज़ किए जाएं, जहां पर वे लोग अपना इलाज करा सकें और उनको कुछ सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक मिनट का समय दिया है। झारखण्ड राज्य के अंतर्गत गिरिडीह जिला है। यह आप भी जानते हैं कि वहां झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री के पुत्र की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक-साथ बीस लोगों की जघन्य हत्या की गई। आज पूरा गिरिडीह जिला उग्रवाद से पीड़ित है। भारत सरकार के द्वारा उसको उग्रवाद प्रभावित जिलों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह कितने बड़े ताज्जुब की बात है। भारत सरकार की लाभ की जो योजना है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें दो सौ की आबादी पर सड़क बननी है, वहां वह फण्ड नहीं जा रहा है। बीआरजीएफ का फण्ड भी नहीं जा रहा है। वहां का विकास अवरूद्ध हो गया है। आज से साल भर पहले हमने गृहमंत्री को भी पत्र लिखा था। उनका जवाब आया कि मामले को दिखवा रहा हूँ। आपके माध्यम से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि गिरिडीह जिले को उग्रवाद प्रभावित जिला घोषित किया जाए और भारत सरकार की योजना का लाभ वहां मिले।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise here to highlight the miserable condition of the paddy farmers of West Bengal, particularly the farmers of my constituency, Bardhman-Durgapur. The price of paddy has fallen so much that the small and marginal farmers, the lower/middle category farmers are making distress sale of their produce. What happens in our State is that the Food Corporation of India procures rice from the rice-millers, and the FCI does not procure rice directly from the farmers and as a result, the farmers have to sell their paddy to rice-millers.

Comment [S42]: Cd by r2

Comment [r43]: Haq cd.

But rice mills are not purchasing the paddy from farmers at the Government stipulated price on the plea that FCI is not procuring rice from them which is fixed as levy. Rather, FCI is bringing rice from other States which is even needed for Mid Day Meal Programme and for additional quota of ration. In fact, FCI is far behind the targeted procurement. The Central Government fixed target for FCI this year of 3 lakh metric tonne to be procured from within the State by September, 2011. But up to July, FCI procured only 54 thousand metric tonnes from the mills as a result, mills are not purchasing paddy from the farmers, when they are purchasing they are purchasing when the prices are low, causing much distress to the farmers. In West Bengal in the regime of Left Front Government, Self Help Groups were encouraged to purchase paddy directly from the farmers and that the Government and the FCI would procure rice from the self-help groups for Mid Day Meal Programmes and for distribution through ration shops to the BPL. But FCI is also not procuring from SHGs, as a result of which SHGs are not purchasing from farmers.

Hence, I urge upon the Government to direct the FCI so that it makes direct purchase from the farmers at the Government fixed Minimum Support Price through its Direct Purchase Agents in order to save the farmers from distress sale of their products.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनकी तरह अपनी बात लंबी मत कीजिएगा। अभी कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आपने मुझे 60 सेकेंड का समय दिया है, मैं 60 सेकेंड में ही अपनी बात पूरी करूंगा। भारत सरकार की एक योजना कलैमिटी रिलीफ फंड है, नेशनल कलैमिटी कंटीजेंसी फंड है।

इसके तहत प्राकृतिक आपदा होने पर, बादल फटने पर, बाढ़ आने पर, भूकम्प आने पर, चक्रवात आने पर सहायता राशि दी जाती है। मैं जिस बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ कोई नदी नहीं है और औसत से अधिक बरसात होने पर जो लो-लाइन की बस्तियाँ हैं, जिन्हें हम कच्ची बस्ती कह सकते हैं, उनके मकान गिर जाने पर सीआरएफ और एनसीसीएफ में उन्हें सहायता नहीं दी जाती है। जिला कलेक्टर कहते हैं कि यह इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि बाढ़ नहीं आयी है।

महोदय, मेरे यहाँ नदी नहीं है तो बाढ़ कैसे आयेगी। औसत से अधिक वर्षा तो राजस्थान में वैसे भी नहीं होती है। जब औसत से अधिक बरसात हो जाती है और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के मकान गिर जाते हैं तो जिला कलेक्टर एक हजार या दो हजार रुपये की सहायता देते हैं। मैं यह कहता हूँ कि उसे सीआरएफ में कवर क्यों नहीं किया जाता, जहाँ पर मकान गिरने पर 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मेरे राजस्थान में, जहाँ शीतलहर पड़ने पर भी सीआरएफ में सहायता नहीं जाती, पाला पड़ने पर भी सीआरएफ में सहायता नहीं जाती इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि सीआरएफ और एनसीसीएफ के जो नॉर्म्स हैं, जो मापदंड हैं, उनमें संशोधन किया जाये और शीत लहर, पाला पड़ने पर और कच्ची बस्तियों के मकान गिरने पर भी उन्हें सहायता दी जाये। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you for giving me this opportunity to bring an important public issue to the attention of the hon. Minister of External Affairs.

The Government of India had made provisions to open 77 Passport Seva Kendra Project Offices throughout the country by sanctioning Rs.770 crore. This is a mission mode programme under the National e-Governance Plan, to ensure delivery of passport services to people in a timely, transparent, more accessible and reliable manner, in a comfortable environment through a streamlined process as envisaged by the Passport Seva Project of the Union Ministry of External Affairs. In Tamil Nadu so far four such centres are functioning. This project is presently in the pilot stage. As per this project, the passport applications are going to be directly registered online jointly by the Ministry of External Affairs and the Tata Consultancy Services.

Apart from Chennai, there are three Regional Passport Offices in Tamil Nadu, set up at Coimbatore, Madurai and Trichy. Salem is one among the six districts attached with the Coimbatore Passport Office. The neighbouring districts namely, Namakkal, Dharmapuri and Erode are at a radial distance of less than 60 kms. Salem District has a high potential to utilise this on-line registration of applications for passport. The distance from Salem District to Coimbatore PSK is about 200 kms. and every applicant, who applies for passport, has to travel more than 400 kms. to and fro.

Comment [r44]: Cd s2

For the benefit of the citizens of Salem and neighbouring districts, the hon. Minister for External Affairs may be kind enough to order for the opening of the Passport Seva Kendra at Salem.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अति लोक महत्व के विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना है, इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का अंश है और 25 प्रतिशत राज्य का अंश है। मानदेय के संबंध में उत्तर प्रदेश में कुल वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या 12607 है। वित्तविहीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत 2011 में वर्तमान परीक्षा में 71 परसेंट है। कार्यरत कर्मचारी 1,30,700 से अधिक हैं। राजकीय विद्यालयों की संख्या 570 है और सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 5558 है। अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत इस विद्यालय में 29 प्रतिशत है। जिन राज्यों में योजना लागू नहीं है, उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण जगह यह लागू है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर रिज़ल्ट आधारित अनुदान दिया जाए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वित्तविहीन विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। उदाहरणस्वरूप गुजरात और राजस्थान में वित्तविहीन विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है और बिहार सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों को रिज़ल्ट आधारित अनुदान दिया है। उसी के अनुसार इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू करें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

विभिन्न माननीय सांसदों के अनुरोध पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक रूप से कमज़ोर रोगियों के उपचार हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुदान स्वीकृत होता है, जिसके कारण बहुत से रोगियों की जान भी बचती है। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बहुत बार अनुभव में आता है कि उस राशि के

स्वीकृत होने में इतना समय लग जाता है कि रोगियों की मृत्यु भी हुई है। मैं दो उदाहरण रिकार्ड पर बता रहा हूँ। एक प्रकरण मेरठ की निशा अग्रवाल का है। 30 अप्रैल 2010 को मैंने उसके लिए प्रधान मंत्री कार्यालय को लिखा, लेकिन 10 महीने उनकी सहायता आने में लग गए और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही दूसरा प्रकरण 28 अप्रैल 2011 को मैंने लिखा। ढाई महीने बाद उनकी सहायता आई, वह छोटा बच्चा था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मेरा निवेदन यह है कि आज ई-गवर्नेन्स का समय है। बहुत तेज़ी से सारे संदेश आ जा सकते हैं। इसको अधिकतम 15 दिन, नहीं तो मैं चाहूँगा कि सप्ताह भर में उसके विषय में निर्णय हो। जो रोगी होता है, वह आल-इंडिया में पहुँच जाता है, सफदरजंग अस्पताल में पहुँच जाता है। वह गंभीर स्थिति में पहुँचता है। उसको तत्काल सहायता नहीं मिलती है तो उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार समय को कम करे, हफ्ते भर का करे, अधिक से अधिक 15 दिन का करे ताकि सहायता समय पर पहुँच जाए और रोगियों की जान बचाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री जनार्दन स्वामी एवं डॉ.तरुण मंडल के नाम श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

14.29 hrs.**TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS
(AMENDMENT) BILL, 2009 – Contd.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House may now take up the Legislative Business, Item No.16.

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ जो इस सदन में दो बार प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम 1994 में बनाया गया था और काफी लंबे समय के बाद 2009 में इसमें संशोधन इस सदन में लाया गया। मैं मानता हूँ कि इसमें काफी विलंब हुआ है। इस बीच में हज़ारों ऐसे लोग, जिनकी व्यवस्था न हो पाने के कारण वे काल के गाल में समा गए। यह संशोधन यदि पहले आता तो शायद बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। इस संशोधन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो मानव अंगों की जो बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। कड़े कानून के तहत उनको सज़ा दिलाई जाए। उन्हें आर्थिक जुर्माना दिलाया जाए। दूसरा, अंगों के प्रत्यारोपण के लिए परिवार के जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, इस संशोधन के द्वारा और लोगों को इसमें शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें तीसरा पहलू भी जोड़ा जाए। जिन अस्पतालों में प्रत्यारोपण किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। जिसे कोई भी सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। जिसके कारण यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें मानव अंग देना भी चाहे, तो भी वह उसका लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए तीसरा प्रावधान इसमें कम से कम खर्च में प्रत्यारोपण की चिकित्सीय व्यवस्था की जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक हाल ही के विषय को लाना चाहता हूँ। 6 मई को हमारे क्षेत्र के श्री विजय कुमार पारिख का गुड़गांव के मेडिसिटी हॉस्पिटल में लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए भर्ती हुआ था। उनके परिवार के लोगों ने लीवर का दान भी किया। उनसे 25 लाख रुपए पैकेज के तौर पर मांगे गए। उन्होंने 25 लाख रुपए देना स्वीकार किया और वे उसमें भर्ती हो गए। उसके बाद उनसे कहा गया कि और पैसा जमा कीजिए, तब उन्होंने पांच लाख रुपए और जमा किए। एक महीने में उनका ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन वे रिकवर नहीं हो पाए और अंत में 6 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के क्या कारण थे, यह अलग जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूँ। उसके बाद उनके परिवार वालों को कहा गया कि आपको कुल 40 लाख रुपए जमा करने हैं। उनसे दस लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। सवाल यह उठता है कि इस तरह का जो गोरखधंधा चल रहा है, यह कहां जाकर रुकेगा। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में इस तरह का व्यापार हो रहा है। इस तरह से गरीब आदमी

कैसे जाएगा। उन्होंने यहां उनके परिजनों को डेड बॉडी देने से मना कर दिया। हम लोगों को जब इसका पता चला तो हमने इसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। इस तरह के अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें तीसरा पहलू भी जोड़ा जाना चाहिए कि कैसे हम इन अस्पतालों पर नियंत्रण में रखेंगे। किस प्रकार से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

महोदय, यह केवल गुड़गांव की घटना नहीं है। ऐसा पूरे देशभर में चल रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण अजमेर का है। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में 25 साल का लड़का पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ, लेकिन उसकी किडनी निकाल ली गई। यह उदाहरण प्रमाणित है। यह सब हमें कहीं न कहीं संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानव अंगों का अवैध व्यापार हमारे देश में हो रहा है।

अभी एक रिपोर्ट आई है। "ऑरगन वाच " नामक संस्था ने वैश्विक सर्वेक्षण से पता लगाया है कि सबसे ज्यादा मानव अंगों का अवैध व्यापार अगर कहीं होता है तो यह हमारे देश भारत में ही होता है। यह हम सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। वैसे तो दुनिया के कई देशों में इस तरह का अवैध व्यापार हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो अवैध मानव अंगों की तस्करी का घंटा चल रहा है, इस पर आप रोक लगाएं। आप किसी भी अस्पताल के बाहर जाकर देखें। वहां बेचारे गरीब आदमी खून देने के लिए खड़े रहते हैं, वे अपने अंग बेचने के लिए खड़े रहते हैं। गरीबी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकती हैं। क्या कुछ ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि वे मजबूर होकर अपने अंग-प्रत्यंग बेचने का काम न करें इस पर रोक लगानी चाहिए। इस संशोधन में कहीं न कहीं प्रावधान लाना चाहिए। आज पूरे देश भर में जो स्थिति बनी हुई है, इससे मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ईरान का। ईरान की सरकार ने मानव अंगों को बेचने को वैध माना। मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश में भी इसे वैध माना जाए। यह किसी कीमत में यहां नहीं होना चाहिए। पर, ईरान में वहां की सरकार ने एक व्यवस्था की। जिस व्यवस्था को मुझे भी लगता है कि यहां कहूँ। वहां दो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। वे दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट मरीज़ और अंगदाता दोनों को मिलाते हैं। उसके जो पैसे का भुगतान होता है, वह सरकार के खजाने से होता है। क्या हम इस तरह की व्यवस्था यहां नहीं कर सकते हैं। हमारे पास रेड क्रॉस है, हमारे पास रोगी कल्याण समितियां हैं जो सभी जगह काम करती हैं। क्या इनको हम बैंक के रूप में डेवलप नहीं कर सकते। इनको हम बैंक के रूप में डेवलप करें। कोई अगर अपनी किडनी दान करना चाहता है, कोई अपना लीवर और अपने अन्य अंग दान करना चाहता है, तो हम बैंक के रूप में लेकर उसका भुगतान सरकार के खजाने से कराएं, न कि संस्था और उस व्यक्ति के द्वारा कराएं। इससे एक बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा।

Comment [r45]: Cd by u2

अभी दूसरे प्रश्न पर मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे देश में भयंकर, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। दुनिया में बीमारी के मामले में हम शायद नम्बर एक पर निकल जाएं। आज छोटे-छोटे बच्चों की हार्ट, लीवर, किडनी खराब हो रही है। अगर वे बड़े-बुजुर्ग हों तो यह समझ में आता है। बहुत ही गम्भीर बीमारी हमारे देश में आई है। इस नाते मैं कहता हूँ कि यह जो विधेयक का संशोधन, जो अधिनियम में संशोधन लाने का काम किया है, यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें और व्यापक प्रावधान आने चाहिए ताकि हम इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ कर सकें, ताकि ये जो गरीबी के कारण लोग अंग-प्रत्यंग बेचने को मजबूर होते हैं, उन पर भी रोक लगे। लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम उनको देने का काम भी कर सकें। जो आपने एक परिवार में चिन्हित किए हैं कि इन-इन लोगों को हम अंग दान कर सकते हैं, इन-इन लोगों से अंग दान दे सकते हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा प्रयास है। उसमें परिवार के कुछ और लोगों को जोड़ने का काम किया जा सकता है। लेकिन एक प्रयास और होना चाहिए। हमारे देश में एक नहीं अनेकों उदाहरण हुए कि लोग मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री नानाजी देशमुख जैसे प्रसिद्ध समाजसेवी लोग जिन्होंने अपने जीवन भर समाज सेवा का कार्य किया, अंत में अपने शरीर का दान भी कर दिया। स्वर्गीय ज्योति बसु ने भी ऐसा किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था विकसित करें ताकि जो लोग मृत्यु पूर्व अपने शरीर का दान करना चाहते हैं, अंग दान करना चाहते हैं, वे कर सकें। ऐसी कोई व्यवस्था और मजबूती के साथ बने ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। वे मानते हैं कि हमारे मरने के बाद भी यह शरीर का कोई हिस्सा किसी के काम में आ जाए, किसी को जिन्दगी देने का काम कर जाए तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस व्यवस्था को और ठीक ढंग से विकसित करके लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया जाए और लोगों में यह संदेश जाए। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया में हर चीज बनाई जा सकती है, पर शरीर के ऐसे बहुत-से अंग हैं जो नहीं बनाए जा सकते। हालांकि कृत्रिम अंग तो बन रहे हैं लेकिन खून नहीं बना सकते, लीवर नहीं बना सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कहीं न कहीं से इसी तरह से लोगों में प्रचार-प्रसार अंगदान हेतु प्रेरित कर सकते कि कैसे वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बहुमूल्य अंगों को दान करने का काम कर सकें। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी मंत्री जी कुछ न कुछ अमल करेंगे।

DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): Respected Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for allowing me to speak on this very important subject of the amendment of Transplantation of Human Organ Bill. I support the Bill. देर से

Comment [R46]: Contd by w2

आए, दुरुस्त आए, मंत्री जी यह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। Decisions taken as per the Transplantation of Human Organs Bill will be very sensitive and critical for the relatives of the patients or the doctors. On the one side, there is a critical patient suffering and on the other side, the relatives have to take the risk of life of the patient. Doctors also have to take a very difficult decision as they have to convince the relatives before the organs get damaged after the death of the patient. This is a very crucial decision for the doctors but God is great who gives courage to the doctors to balance between the two situations.

On the one side, there is a healthy relative of the patient and on the other side, there is the risk of a critically ill patient. We have to balance between the two persons. मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि जो केडेवर ट्रांसप्लांट होना है, वह बहुत अच्छा डिस्सीजन है। आपने जो 108 एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की हैं, Because of these, we are transferring the accident patient to the hospital earlier. मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो पेशेंट होस्पिटल में जाते हैं, if the patient dies midway, मैं मंत्री जी से यह कहूंगी कि उस पेशेंट का इमीडिएट ऑटोप्सी ऑपरेशन थियेटर में होना है और टाइम वेस्ट किए बिना, होम मिनिस्ट्री में भी उसे इनक्लुड करके, ये प्रावधान एक्ट में ही होना चाहिए। The moment the relatives are giving the consent to donate the organs, they should be helped by autopsy at the earliest. Maintenance of the organs is very important. When the relatives of the brain dead patient are giving consent to donate the organs, somebody should hold the responsibility. मैं मंत्री जी को यह कहूंगी कि आप जो नेशनल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर डाल दिया जाए। अगर वे रेस्पॉसिबिल्टी लेंगे, खर्चा बेयर करेंगे, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि इतना खर्चा हो जाने के बाद भी कभी-कभी तकलीफ होती है। We can say that 37 organs and tissues can be used from the human body and accident patients are mostly healthy persons. We can utilise these organs from the dead bodies. I would like to say something on the maintenance of the brain dead patient till the organ is transferred to the recipient. यह जो सिस्टम है, I agree with the hon. Member. जब से ब्रेन डेड डिक्लेयर हुआ और जो नेशनल नेटवर्क के कुछ मोनिटरिंग प्रावधान मंत्री जी करने वाले हैं, उसका जो खर्चा है, उस बारे में ज्योति जी ने भी कहा था। Maintenance per day of the brain dead person is very high. यह बहुत बड़ी

बात है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं, उनका सपोर्ट भी होना चाहिए। Nowadays, stem cell therapy is a very good therapy and it is a developing therapy. All the Institutes who are doing transplantation are focussing on stem cell therapy. It is a very good development in medical science. So, we can utilise our own tissues for transplantation and this is done in the transplantation centre only. मैं यहां इतना कहूंगी कि जिस तरह से सैम पित्रोदा जी राजीव जी के दो शब्द रखने के लिए आए कि "देश के लिए क्या करेंगे।" We can see the difference between the two. मोबाइल टैक्नीक में जो हुआ, वह सैम पित्रोदा की वजह से हुआ। ठीक इसी तरह गुजरात के डॉ. एच.एन. त्रिवेदी अमेरिका में थे, वे आए

He is a very well-known urologist. He came back to Gujarat just to serve the poor people of India. He has developed a kidney institute in Ahmedabad. It is serving the States of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. मैं कहना चाहती हूँ कि वहां 200 बेड्डेड हॉस्पिटल है। It is a dream of Dr. H.L. Patel, a very great urologist. उसको जो रैगुलर ग्रांट गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है, वह Only making a reason कि आपने 200 से 400 बेड्स क्यों कर लिए ऐसा करके रैगुलर ग्रांट देते थे, वह ग्रांट भी बन्द कर दी तो कैसे काम चलेगा? मेरे भाई अभी पूछ रहे थे कि ऐसे इंस्टीट्यूट को हम कैसे चलाएंगे? They are crying for survival.

इसी तरह से यू.एन. मेहता हॉस्पिटल (कार्डियाक यूनिट) है, कैंसर हास्पिटल गुजरात का मुम्बई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी का हॉस्पिटल है तो इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए, Then and then all the tissue transplantation, होगा वह जो एन्करेजमेंट होना है, इसमें स्टेम सैल वाला भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ऑटो इम्युनाइजेशन, लेटर ऑन जो ऑर्गन होमोलोगस ट्रांसप्लांट है, यह जो दूसरे सम्बन्धी से पेशेंट आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दे, इम्यूनोसप्रेसन जो देना पड़ता है, वह नहीं देना पड़ता।

मैं लास्ट में मंत्री जो को इतना ही कहती हूँ कि ऐसे जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कीजिए, तभी रिसर्च होगी, तभी हम ह्यूमन लाइफ को अच्छी तरह से बचा पाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Deputy Speaker Sir, I rise to support this Transplantation of Human Organs (Amendment)**

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

Comment [R47]: smt. prabha kishore
taviad cd.

Bill, 2009 because of certain reasons. The first reason is that people want to live and this Bill may allow them to live longer. There has been a detailed discussion on this subject in the standing committee and the recommendations of the committee have been incorporated in the Bill. Yesterday the discussion was held in this august House very meaningfully and in a cordial atmosphere. Hon. Jyoti Mirdhaji raised valid points and other members too touched upon the salient features. I am a first timer in the House and have never come across such an enlightening discussion. Thus I congratulate all the honourable members and also appreciate the provisions of the Bill.

However I am compelled to mention that there is a threatening illegal trade of kidneys going on in many parts of the country. The main reason behind this is that in almost all the big cities, towns and districts, private hospitals, nursing homes or clinics have cropped up, which are involved in illegal organ trade, especially kidney transplantation. In India the availability of medical transplants is lower than the requirement. We need about 1.5 lakh kidneys whereas only five or even thousand kidney are available to the ailing patients. Therefore the illegal trade flourishes and there is an unholy nexus among the administration, police, private nursing home owners and a section of doctors. They also appoint agents, who go to the poor, uneducated people in villages or towns and explain them about the benefits of selling organs. These poor people are made to believe that there are two kidneys in a body and even if they give away one, they can very well survive. They are illiterate, unaware and thus are easily lured into selling the kidneys in return of a miniscule amount of money. The private nursing homes have good arrangement for organ transplantation. Once the kidney is extracted from poor man's body, it is sold to needy, wealthy patient at an exorbitant rate while the middleman earns a fortune in the process.

Thus it is good that there are certain provisions in the Bill which intends to curb this malpractice by increasing the penalty etc. for commercial dealings in human organs. But in spite of that, there is rampant corruption and unlawful

activities in the society. The lives of the ordinary people are at the mercy of the miscreants.

We have observed that even members of the lower class families get admitted to private hospitals for minor ailments. They may not be aware of the danger that looms large because unknowingly they fall prey to the illegal organ traders who chop off their kidneys in the name of treatment. This may also lead to increased number of deaths and other complications.

India is a vast country and the use of two wheelers is increasing day by day leading to fatal accidents and injuries. So we need mobile hospitals on road. Whenever any person dies due to mishaps, his organs should be immediately retrieved and transplanted by mobile health vans so that no time is wasted. In morgues, transplantation cannot take place at night and police also do not reach in time. Something must be done in this regard. Since there is more and more requirement of kidneys, the definition of near relatives must be widened to include uncle, aunts, maternal relatives etc. Thought the provisions are already there in the Bill in case of minors.

Thus I am supporting this Bill whole heartedly and as Hon. Minister is present here, I just want to make a request to him for which I need half a minute more. In the entire Eastern India, particularly in North Bengal, health care facilities are not adequate. Therefore Sir, through you I urge upon the Minister to set up an AIIMS like institution there, to cater to the needs of the people of the region.

With these words, I thank you for allowing me to speak on this important Bill and conclude my speech.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much. I welcome and support the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill. I particularly appreciate our hon. Minister of Health for accommodating

most of the recommendations of the Standing Committee of Health where I am also a humble Member.

Sir, I also want to register my appreciation for the encouragement from the Ministry of Health towards this organ and tissue donations because in our country still prevails many religious, prejudicial obstacles and obscurantist thoughts. These kinds of donations will help to surpass the barriers of caste, creed, religions, nationality, etc. and place us as a superior human being.

Sir, in this connection, I would like to convey to this august House that all the hon. Members should come forward and volunteer to plan for organ donations, to increase our bank facilities for availability of more organs. It can create awareness in the whole nation and among our common citizens also.

Sir, though it is a spectacular achievement of the medical science, but its fruits are not reaching to every corner and every part of the country. So, I would request the hon. Minister of Health to create suitable institutions with adequate infrastructure and adequate facilities so that in every corner of the country such types of facilities can reach to every section of the society including the weaker sections of the society.

Sir, even after post-transplantation of any sort of organ, survival is a matter of lot of expenditure. So, I would request the hon. Minister to ensure that financial assistance is provided to the needy people.

Comment [t48]: cd. by z2

Here, I would like to register one point. The national-level network which the Ministry has proposed in this amendment can be a great help for the recipients and donors. If it is effectively implemented, it can help swap donations. It will take away much of the difficulties of future donors and recipients.

NGOs have been brought into action. There is a proposal for facilitation of kidney donations and transplantation programme, etc. I would request our hon. Minister and the Ministry to think over the activities of many of the NGOs which are not in proper line. So, proper supervision is required to maintain and to regulate their activities.

There are three or four small points about the particular amendments moved by the hon. Minister. I am just adding to that. Brain death is a very complex matter. Being a medical doctor myself, I am telling the House in front of the hon. Minister that brain death is a very complex, very sensitive and crucial matter in clinical practice. Replacing a surgeon or physician or anaesthetist or intensivist in exchange of a neurophysician or neurosurgeon is a complex matter. I would request the hon. Minister to ensure that a physician or a surgeon or an intensivist or an anaesthetist should have at least ten years standing in his profession to get into the activity.

Next, I come to the Transplant Coordinator. The Transplant Coordinator is becoming a very crucial factor in the mobilisation of donation seeking. So, if he is not properly supervised, this Transplant Coordinator can become a monster in the process.

In clause 10 (a), there is a punishment, punitive measure.... (*Interruptions*) There is a provision of ten-year imprisonment. Our hon. Minister has increased the sum to Rs. 5 lakh. I would suggest that it should at least be Rs.10 lakh.

My last point is this, in the private sector particularly, corrupt practice and things are going on. Many of the doctors of our profession are also indulging in such practices with the health business people. So, stringent measures of punishment should be implemented not only on paper but also in practice. Already,

12.08.2011

112

our hon. Minister was telling that it is a matter of State Chapter. But I would request that the Centre must bring out some way out saying that the State must implement it to curb this menace of organ business in the nation.

Finally, I welcome this Bill. It should be immediately implemented and everybody has to support it.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

At the outset, I would like to express my gratitude to the hon. Minister of Health and Family Welfare for bringing forward the Human Organ Transplantation Bill which will give a new life to the patients who are in need of transplantation of organs. This Bill is going to regulate these things. I rise to wholeheartedly support the Human Organ Transplantation (Amendment) Bill.

I welcome all the major changes and the amendments proposed in this Bill. The hon. Minister has stated that tissue has also been included in it. As far as the definition of 'near relation' is concerned, grandfather, grandmother and grand children have been included in it. The Committee had also recommended maternal and paternal uncle and aunt. The ICU staff are also proposed to be trained so that it could do good counseling. Another important provision provides that no organ can be taken from the minor and also no organ can be taken from the mentally-challenged.

14.59 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

It is a good provision that only the Registered Medical Practitioners are authorized by the Act to remove organs in registered hospitals only.

The Registered Medical Practitioner has to satisfy himself before removing any organ from a deceased person that life is extinct in such a body.

Comment [r49]: Cd bya3

15.00 hrs.

If the cause of death appears to be brain-stem death, no such removal shall be undertaken unless such a death is certified by a Board of Medical Experts including the In-Charge of the hospital in which brain-stem death has occurred, an independent specialist medical practitioner from the panel, a neurologist or a neurosurgeon from the panel and the Registered Medical Practitioner treating the person whose brain-stem death occurred. If the patient who died of brain-stem is less than 18 years of age, his parents can give written authorization for removal of any human organ for therapeutic purpose.

In case of dead body lying in a hospital or prison and not claimed by any of the near relatives within 48 hours from the time of death, the person in-charge of the prison or the hospital can authorize for removal of any organ from such body. Before authorization he has to make sure that near relatives are not likely to claim the body later. The Registered Medical Practitioner shall take necessary steps for preservation of human organs so removed. Such removed organ can be transplanted to a near relative of the recipient. If the donor authorizes removal of any human body after his death, it can be transplanted to any recipient who may be in need of such human organ. If anybody authorizes removal of any organ before his death for transplantation into the body of recipient, who is not a near relative, it can be done only with the prior approval of the Authorization Committee which will review the joint application of the donor and the recipient and will authorize transplantation after satisfying itself that the applicants have complied with all requirements of the Act. If the Committee is not satisfied, it can reject the application.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Sir, there are cases where the poor people are selling their organs to the needy people through middlemen and to the corporate hospitals without being reported. The Government should look at this

problem and punish the middlemen and corporate hospitals which are running this racket.

We need to encourage the people to donate organs voluntarily. We have seen people donating their eyes. We need to open eye banks and tissue banks in all district headquarters throughout the country to help the needy people.

In respect of blood donation also, the Government should check blood donors whether they are free from HIV and hepatitis. We have seen poor people living below the poverty line donating blood and selling human organs due to acute poverty. The Government needs to look at this problem.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Sir, I am concluding.

Sir, in north coastal Andhra Pradesh, Uddanam village of Srikakulam District, due to contaminated water and other geographical conditions, many people are suffering from kidney problem. These patients are undergoing dialysis regularly. There is a research going on as to why this is happening in that area, but the experts are still not able to find out the reason for this. The Medical Council of India could be asked to undertake research on this problem prevailing in Srikakulam District of Andhra Pradesh. Further, I thank the Government for providing Dialysis Centres in Srikakulam District to save the lives of people who are suffering from kidney problem.

With these words, I support this Bill.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members of this august House for the keen interest shown on this historic Bill, namely Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009. More than 20 members have participated in the discussion and have welcomed this historic Bill. They raised a wide array of issues and given constructive suggestions to improve organ transplantation in the country. Some hon. Members have also raised points specific to their States. Dr. Jyoti Mirdha has eloquently brought about the salient features of the Bill.

The Members have also voiced their concerns on various critical issues. Firstly, they said that illegal organ trade in the country has been a matter of great concern. The present Bill seeks to address this issue. Further effective steps would be required to implement it in right earnest. Secondly, the experience shows that poor are often exploited as donors for the rich recipients. They donate under compulsion of poverty. Therefore, the Government should address this issue effectively. This was the demand of the hon. Members.

Some of the hon. Members also requested to include 'Uncle and Aunt' in near relatives to facilitate donation. There is a tremendous need for creating awareness to change the attitude of the general public towards organ donation.

The hon. Members also said that there is a need to incentivise organ donation and provide financial assistance for the transplantation of organ for the poor and the needy.

Sir, I have said in the beginning yesterday that the main purpose of this Act is to regulate the removal, storage and transplantation of the human organs for therapeutic purposes and to prevent commercial dealings in human organs. Despite having this Act, the transplantation of human organs and tissues is yet to take off in a big way in this country. There are hundreds and thousands of people who are waiting for organ transplantation.

Comment [s50]: (Cd. by b3)

Comment [RS51]: Azad ctd

This set of proposed amendments, is an effort of this Government to provide a fresh lease of life to the needy persons. The amendments would help the country immensely.

I would now like to respond to some specific issues raised by hon. Members. Shri Arjun Ram Meghwal has underlined the need to implement the recommendations of the Parliamentary Standing committee in letter and spirit. I would like to inform this House that the Parliamentary Standing Committee has given very useful and constructive recommendations. I have already said that we have accepted all the recommendations and suggestions of the hon. Committee.

Some of these recommendations are being incorporated into the Act through this Bill, while others will be addressed by making appropriate amendments in the rules and by issuing Government instructions.

Shri Meghwal and some other hon. Members have asked why we have not included 'Uncle and Aunt' in the definition of 'near relatives'. In this regard, I would like to inform the House that the Parliamentary Standing Committee examined this issue in great detail and agreed with the Ministry's view. I think, my hon. Friend yesterday quoted only the first part, but did not quote the concluding part which I am going to state here.

I would like to inform the august House that the Parliamentary Standing Committee examined this issue in great detail and agreed with the Ministry's view that the definition of 'near relatives' need not be further expanded to include other relatives. I quote the Standing Committee: "The Committee accordingly recommends that apart from the proposed inclusion of grand parents and grand children no further expansion is required in the definition of 'near relatives'." This is para 10.6 of then 44th Report of the Standing Committee.

However, it is pertinent to point out that the Act allows uncles and aunts to donate their organs to their relatives out of love and affection with the approval of Authorisation Committee. So, it is not that uncles and aunts are totally out.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अंकल और आंटी बचे ही कहाँ हैं ... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अंकल तो बिल्कुल ही नहीं देगा, आंटी पता नहीं देगी या नहीं देगी। ... (व्यवधान)

I would also like to inform the hon. Members that we have not only increased the monetary penalty for contravention of the provisions of this Act, but we have also proposed to enhance the punishment from five to 10 years of imprisonment for persons involved in illegal commercial dealings. For such commercial dealings in human organs, the Bill also seeks to enhance the monetary penalty from Rs 10,000-Rs 20,000 to a range of Rs 20 lakh- Rs 1 crore. पहले दस लाख रुपये से 20 लाख रुपये थी, अब पेनाल्टी 20 लाख रुपये से एक करोड रुपये तक बढ़ाई गयी है।

Comment [RS52]: Ctd by c3

Shri Meghwal, Dr. Jyoti Mirdha and Mr. Panda have raised the issue of jurisdiction of Authorisation Committees in cases where donor and recipient are from different States. In this regard, I would like to inform the hon. Members that this issue has already been settled by the Hon. Supreme Court. In such cases, no objection certificates (NOC) from the domicile State Governments or approval of State Authorisation Committees of respective States of the donor and recipient are required before final consideration by the Authorisation Committee of the institution where transplant is to be done. The 'near relatives' do not require approval by Authorisation Committee as well as NOC or approval from respective State Governments.

I would like to thank Dr. Jyoti Mirdha, who was also a Member of the Parliamentary Standing Committee, for coming out with a whole gamut of constructive suggestions. She has clarified many doubts about the provisions of the Act and the Bill through her illuminating speech and appeal. I agree with her suggestion that these legislations need to be updated on regular basis to keep pace with the changing world. She has raised a point that the expenses incurred – other Members have also raised it today – on maintaining the cadaver donor need to be paid by the Government or transplant centre or even the recipient and this should have been incorporated in the definition of 'payment' in the Act itself. I would like to say that the Act provides for the definition of 'payment' which includes the cost of removing, transporting or preserving the human organ. I would like to point out

that the definition of 'payment' in the Act adequately covers it. As far as the issues relating to 'lawful possession of the dead body' and need for prioritisation of the next of kin for making the request for organ donation are concerned, they need to be taken up separately with the Ministry of Home Affairs and other stakeholders.

I also take this opportunity to thank the other hon. Members like Shri Shailendra Kumar, Shri Ramashankar Rajbhar, Shri Vishwa Mohan Kumar, Dr. Ratna De, Shri S.R. Jeyadurai, Dr. Anup Kumar Saha, Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Anant Geete, Dr. Venugopal, Shri Jagdanand Singh, Shri Prabodh Panda, Shri Ganesh Singh, Dr. Prabha, Shri Prasanta Kumar Majumdar, Dr. Tarun Mandal and Shrimati Bocha Jhansi Lakshmi for raising issues of wider public interest especially the need to protect and support the weaker sections of the society from any exploitation. All these Members have underlined the need to curb the illegal organ trafficking and commercial trade in organs. I fully share their concerns. That is precisely the reason why we have proposed this set of amendments.

A suggestion was also made regarding observing Organ Donation day. I think it was from Mr. Meghwal. In this regard, I am happy to share with you that the 1st Indian Organ Donation Day was observed on 27th November last year at New Delhi. So, I am one year ahead of you. I would like to assure the hon. Members that we would organise this event across the country every year.

Many members including Shri Panda and Shri Mahtab have raised the issue of the functions of advisory committee. I would like to assure the hon. Members that these functions would be spelt out clearly in the Rules.

I completely agree with the suggestions of the Hon. Members regarding the need to scale up the IEC (Information-Education-Communication) activities across the country in a big way. The media will have to play a major role in this regard.

Many speakers have underlined the need of establishing trauma centres on national highways to save the precious lives of accident victims. In this regard, I would like to inform the House that eighteen such centres have already been constructed and they are operational in the country. Many more centers are being

established. We are proposing to set up 160 more such centres during the 12th Plan. Keeping in view the requirement, some of these centres would be utilised as organ retrieval centres.

I would like to take this opportunity to appeal to all the hon. Members of Parliament, the State Governments and the entire nation to rise to the occasion and create an atmosphere where each and every individual feels proud to donate his or her organs and tissues for the welfare of the mankind.

Before I conclude, I would once again like to record my gratitude to the hon. Members of the Parliamentary Standing Committee and hon. Members of this House who have made very useful and constructive suggestions to make this Act a truly pro-public and pro-poor piece of Legislation. The laudable goals that this Legislation aims to achieve cannot be made possible without the unflinching support of the hon. Members of this House. I would like to appeal to this august House to pass this Bill unanimously.

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to amend the Transplantation of Human Organs Act, 1994, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4

Substitution of references to certain expressions by certain other expressions

Amendment made:

Page 2, line 14,-

for “[except clause (h) of section 2]”
substitute “[except clause (h) of section 2, sub-section (5) of section 9, sub-section (1) of section 18 and section 19.]” (3)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 Amendment of Section 2*Amendments made:*

Page 2, after line 19, insert-

'(a) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ha) "Human Organ Retrieval Centre" means a hospital,-

(i) which has adequate facilities for treating seriously ill patients who can be potential donors of organ in the event of death; and

(ii) which is registered under sub-section (l) of section 14 for retrieval of human organs;

(hb) "minor" means a person who has not completed the age of eighteen years;' . (4)

Page 2, line 20,-
for "(a)"
substitute "(b)". (5)

Page 2, line 23,-
for "(b)"
substitute "(c)". (6)

Page 2, line 24,-
For "(c)"
substitute "(d)". (7)

Page 2, after line 26, insert--
'(oaa) "Tissue Bank" means a facility registered under section 14 A for carrying out any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues, but does not include a Blood Bank;

(d) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-' . (8)

Page 2, for lines 27 to 29, *substitute*,-

‘(pa) “transplant co-ordinator” means a person appointed by the hospital for co-ordinating all matters relating to removal or transplantation of human organs or tissues or both and for assisting the authority for removal of human organs in accordance with the provisions of section 3;’. (9)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6 Amendment of Section 3

Amendments made:

Page 2, for lines 32 to 35, *substitute*,-

(1A) For the purpose of removal, storage or transplantation of such human organs or tissues or both, as may be prescribed, it shall be the duty of the registered medical practitioner working in a hospital, in consultation with transplant co-ordinator, if such transplant co-ordinator is available,-“. (10)

Page 2, line 40,-

after “authorisation”

insert “in such manner as may be prescribed”. (11)

Page 2, line 42,-

after “make aware”

insert “in such manner as may be prescribed”. (12)

Page 3, line 2,-

for “ Removal Centre”

substitute “Retrieval Centre”. (13)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That Clause 6, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 Amendment of Section 9

Amendment made:

Page 3, *after* line 32, *insert*,-

‘(1C) No human organs or tissues or both shall be removed from the body of a mentally challenged person before his death for the purpose of transplantation.

Explanation – For the purpose of this sub-section,-

(i) the expression “mentally challenged person” includes a person with mental illness or mental retardation, as the case may be;

(ii) the expression “mental illness” includes dementia schizophrenia and such other mental conditions that makes a person intellectually disabled;

(iii) the expression “mental retardation” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.’ (14)

1 of 1996

(Shri Ghulam Nabi Azad)

Comment [r54]: Cd by e3

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 15 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 15 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 7A Amendment of Section 10

Amendment made:

Page 4, *after* line 18, *insert*—

“7A. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) in clause (b), the word “and” occurring at the end shall be omitted;

(b) in clause (c), the word “and” shall be inserted at the end;

(c) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely—

‘(d) no Tissue Bank, unless registered under this Act, shall carry out any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues.’. (15)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 7A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 7A was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 16 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 16 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 7B Amendment of Section 13

Amendment made:

Page 4, *after line 18, insert—*

‘7B. In section 13 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(iii) to enforce such standards, as may be prescribed,—

(A) for hospitals engaged in the removal storage or transplantation of any human organ;

(B) for Tissue Banks engaged in recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues;”;

(b) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iva) to inspect Tissue Banks periodically;”.’ (16)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 7B be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 7B was added to the Bill.

Clause 8 **Insertion of new Sections 13A,
13B, 13C and 13D**

Amendment made:

Page 4, *after line 33, insert—*

“(f) one person to represent non-governmental organizations or associations which are working in the field of organ or tissue donations or human rights;

(g) one specialist in the field of human organ transplantation, provided he is not a member of the transplantation team.”. (17)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clause 9 **Amendment of Section 14**

Amendments made:

Page 5, for *lines 8 and 9, substitute—*

‘9. In section 14 of the principal Act,—

(a) in sub-section (i), for the words “No hospital”, the words “No hospital (including Human Organ Retrieval Centre)” shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—’ (18)

Page 5, *omit lines 13 to 16.* (19)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 20 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 20 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 9A

**Insertion of new Section 14A-
Registration of Tissue Bank**

Amendment made:

Page 5, after line 16, insert—

‘9A. After section 14 of the principal Act, the following section

shall be inserted, namely:—

“**14A.** (1) No Tissue Bank shall, after the commencement of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011, commence any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues unless it is duly registered under this Act:

Provided that any facility engaged, either partly or exclusively, in any activity relating to the recovery, screening, testing, processing, storage and distribution of tissues immediately before the commencement of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011, shall apply for registration as Tissue Bank within sixty days from the date of such commencement:

Provided further that such facility shall cease to engage in any such activity on the expiry of three months from the date of commencement of the Transplantation of Human Organs (Amendment) Act, 2011, unless such Tissue Bank has applied for registration and is so registered, or till such application is disposed of, whichever is earlier.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be made to the Appropriate Authority in such form and in such manner and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) No Tissue Bank shall be registered under this Act unless the Appropriate Authority is satisfied that such Tissue Bank is in a position to provide such specialised services and facilities, possess such skilled manpower and equipments and maintain such standards as may be prescribed.”. (20)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 9A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 9A was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 9B Amendment of Section 15

Amendment made:

Page 5, after line 16, insert—

‘**9B.** In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “grant to the hospital”, the words “grant to the hospital or to the Tissue Bank, as the case may be,” shall be inserted.’. (21)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 9B be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 9B was added to the Bill.

Motion Re: Suspension under Rule 80 (i)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of the rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.22 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That this House do suspend clause (i) of the rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.22 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 9C

Amendment of Section 16

Amendment made:

Page 5, *after* line 16, *insert*—

‘9C. In section 16 of the principal Act, for the word “hospital” wherever it occur, the words “hospital or Tissue Bank, as the case may be,” shall be substituted.’. (22)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 9C be added to the Bill.”

The motion was adopted

New clause 9C was added to the Bill

--

Motion Re: Suspension under Rule 80(i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 23 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 23 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 9D Amendment of Section 17

Amendment made:

Page 5, *after line 16, insert—*

‘9D. In section 17 of the principal Act, after the words, brackets and figure “under sub-section (1) of section 9, or any hospital”, the words “or Tissue Bank, as the case may be” shall be inserted.

(23)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR CHAIRMAN: The question is:

“That New clause 9D be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 9D was added to the Bill.

...

Clause 10 Amendment of Section 18

Amendments made

Page 5, line 19,--

*for “five”
substitute “twenty”.* (24)

Page 5, *after line 22, insert—*

‘(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted
namely:-

“(3) Any person who renders his services to or at any hospital and who conducts, or associates with or helps in any manner in the removal of human tissues without authority, shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five lakh rupees.”.’. (25)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 10, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

...

Clause 11

Amendment of Section 19

Amendments made:

Page 5, line 27, *omit* “or tissues or both”. (26)

Page 5, line 32,--
for “five lakh”
substitute “twenty lakh”. (27)

Page 5, line 33,--
for “twenty lakh”
substitute “one crore”. (28)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 11, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension under Rule 80(i)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 29 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 29 to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 11A**Insertion of new Section 19A
– Punishment for illegal
dealings in human tissues**

Amendment made:

Page 5, after line 34, insert—

‘**11A.** After section 19 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

“**19A.** Whoever—

- (a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply, any human tissue; or
- (b) seeks to find person willing to supply for payment any human tissue; or
- (c) offers to supply any human tissue for payment; or
- (d) initiates or negotiates any arrangement involving the making of any payment for the supply of, or for an offer to supply, any human tissue; or
- (e) takes part in the management or control of a body of persons, whether a society, firm or company, whose activities consist of or include the initiation or negotiation of any arrangement referred to in clause (d); or
- (f) publishes or distributes or causes to be published or distributed any advertisement—
 - (i) inviting persons to supply for payment of any human tissue; or
 - (ii) offering to supply any human tissue for payment; or
 - (iii) indicating that the advertiser is willing to initiate or negotiate any arrangement referred to in clause (d); or
- (g) abets in the preparation or submission of false documents including giving false affidavits to establish that the donor is making the donation of the human tissues as a near relative or by reason of affection or attachment towards the recipient,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees.”. (29)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That New clause 11A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 11A was added to the Bill.

Clause 12 Amendment of Section 20

Amendment made:

Page 5, lines 36 and 37,--

for five lakh rupees’

substitute ‘twenty lakh rupees’ (30)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 12, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

...

Clause 13 Amendment of Section 24

Amendments made:

Page 5, *for* lines 40 to 45, *substitute*,--

“(aa) the human organs or tissues or both in respect of which duty is cast on registered medical practitioner, the manner of obtaining documentation for authorisation under clause (i) of sub-section (IA) of section 3;

(ab) the manner of making the donor or his relative aware under clause (ii) of sub-section (IA) of section 3;

(ac) the manner of informing the Human Organ Removal Centre under clause (iii) of sub-section (IA) of section 3;

(ad) the date from which duties mentioned in sub-section (IA) are applicable to registered medical practitioner working in a unregistered hospital under sub-section (IB) of section 3;”. (31)

Page 6, line 1,--

for “(ab)”

substitute “(ae)”. (32)

Page 6, for lines 27 to 29, substitute,--

‘(kb) the form and the manner in which an application for registration shall be made, and the fee which shall be accompanied, under sub-section (2) of section 14A;

(kc) the specialised services and the facilities to be provided, skilled manpower and the equipments to be possessed and the standards to be maintained by a Tissue Bank, under sub-section (3) of section 14A;”;

(f) in clause (l), for the word “hospital”, the words “hospital or Tissue Bank” shall be substituted. (33)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 13, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clause 1

Short titles, application and commencement

Amendment made:

Page 1, line 3,--

for “2009”

substitute “2011”.

(2)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Comment [r56]: Condt by g3.e

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,--

for “Sixtieth Year”

substitute “Sixty-second Year”. (1)

(Shri Ghulam Nabi Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and the Long Title were added to the Bill.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed. ”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

15.31 hrs.

MOTION RE: EIGHTEENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Private Members' Business
Shri Prabodh Panda to move the Motion.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move the following:-

“That this House do agree with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 10 August, 2011.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That this House do agree with the Eighteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 10 August, 2011.”

The motion was adopted.

15.32 hrs.**RESOLUTION RE: SPECIAL STATUS TO
STATE OF BIHAR—contd.**

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up Item No.20 – Dr. Bhola Singh to continue.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, लगभग एक वर्ष पहले इस सदन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह गैर सरकारी संकल्प इस सदन में पुरस्थापित हुआ था और एक वर्ष के अन्तराल में समय समय पर यह उपस्थित भी हुआ लेकिन सदन में यह विचार विमर्श के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। आज यह सौभाग्य आपकी मौजूदगी में इस सदन को और बिहार को प्राप्त हो रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। यह कोई राजनैतिक पार्टी का भी विषय नहीं है। यह बिहार के विकास और बिहार के उदय के साथ जुड़ा हुआ विषय है और अंत तक यह राष्ट्रीय विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है।

मार्श ने एक स्थान पर कहा है कि हमारे जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आर्थिक मामले राष्ट्र के प्रवाह की धारा बदलते हैं और यह आर्थिक मामला विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूँ तो यह कोई मेरी याचना नहीं है। यह कोई मेरी प्रार्थना नहीं है, भिक्षाटन नहीं है, बिहार का गौरवशाली इतिहास, गौरव, यश, कृति है लेकिन आज उपजाऊ जमीन होते हुए भी जमीन के नीचे पानी की अंतरसलिला रहते हुए भी, सात नदियों के रहते हुए मेहनतकश अवाम के परिश्रम के रहते हुए भी बिहार इतिहास में गौरव के आसन से नीचे उतर गया। इसका कारण बिहार स्वयं नहीं है बल्कि देश की राजनीतिक अवस्थाएं, घटनाएं हैं जिन्होंने बिहार को इस रूप में उपस्थापित किया। मैं लंबी बात न कहकर आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ, वह तथ्य है कि बिहार का यह शताब्दी वर्ष है और बिहार 100 वर्ष में अपने नाम, अस्मिता के साथ प्रवेश कर गया है। बिहार राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का चिह्न है। बिहार की मिट्टी ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा के आसन पर बिठाया। इसकी मिट्टी में लोक नायक जय प्रकाश जी ने जन्म लिया, उन्होंने मदांध सत्ता को उसकी औकात को जमीन पर उतारने का काम किया। बिहार ने संपूर्ण राष्ट्र को एक दिशानिर्देशन दिया है। बिहार ने इतिहास में छठी शताब्दी ई.पू. से लेकर 323 एडी के बीच बिहार ने संपूर्ण देश की भौगोलिक सीमा, हिंदुकुश पर्वत की सीमाएं बांधी। बिहार ने सबसे पहले इस देश में सेल्युकस, सिकंदर के सेनापति को हराया। बिहार ने कौटिल्य के माध्यम से आइडियल स्टेट निर्माण के सिलसिले में तमाम आचार संहिताओं को जन्म दिया। बिहार संपूर्ण विश्व में डेमोक्रेसी की मांग है। बिहार

Comment [a57]: Ctd by h3

सर्वधर्म की पालना है, संपूर्ण विचारधाराओं का समन्वय है और आज बिहार सौफरेन सदन में अपने स्पेशल दर्जे के लिए आने के लिए विवश हुआ है।

महोदय, कुछ दिन पहले जुलाई में 1,25,00,000 लोगों के हस्ताक्षर को लेकर एनडीए के संयोजक श्री शरद यादव जी ने महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री के सामने जनता के आंसुओं को, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना। हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड हमारे अंग से काटा गया। पहले उड़ीसा हमारे अंग से काटा गया, हम बंगाल से अलग हुए, हमारा शरीर लहुलुहान हुआ। हम दगीची की हड्डी बन गए। जब झारखंड हमसे अलग हुआ, इसे आप दुर्भाग्य कहिए कि झारखंड को 47 प्रतिशत भूभाग प्राप्त हुआ लेकिन जनसंख्या का दसवां हिस्सा प्राप्त हुआ जबकि बिहार का क्षेत्रफल 54 प्रतिशत रहा। बिहार से वह हिस्सा कट गया जहां कोयला था। हिंदुस्तान का 47 प्रतिशत भाग का कोयला झारखंड, बिहार में था। यहां तांबा, अभ्रक, लोहा, यूरेनियम भी था। बिहार के पास जो हिस्से बचे, कोसी, गंगा, सतमाला नदियों, गंडक, बूढ़ी गंडक से तार-तार हुआ। और प्रत्येक वर्ष बिहार सैकड़ों करोड़ की क्षति से आवेष्टित हुआ और दक्षिण बिहार क्रोनिक सुखाड़ से पीड़ित हो गया। बिहार की सारी नदियां नेपाल से आती हैं। हम इस सदन में कहना चाहते हैं कि बिहार की आज जो दुर्दशा हुई है, इसलिए बिहार आज केन्द्र सरकार की कालोनी के रूप में उपस्थित हुआ, हम उसकी अवस्था को लेकर आपके माध्यम से सदन में उपस्थित हुए हैं।

Comment [r58]: Cd by j3

सभापति महोदय, 2000 ईस्वी में जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ, संकल्प पास हुआ कि बिहार के बंटवारे से इस राज्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कुप्रभाव पड़ा है, उस हानि को पूरा करने के लिए बिहार को एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये प्राप्त हों। सभी पार्टियों ने, सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने बिहार विधान सभा में इसे पास किया। 2006 में पुनः उसी बिहार विधान सभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पास किया कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए और इस संकल्प को लेकर बिहार की तमाम पार्टियों के नेताओं ने तत्कालीन सरकार के साथ भेंट की और मेमोरेण्डम दिया। उन्हें आश्वासन प्राप्त हुए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बिहार विधान सभा गये और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने उस उद्बोधन में कहा कि मिशन 2020 में बिहार कैसे विकास करेगा और उस विकास के लिए बिहार को क्या-क्या करना होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक अनुदेश दिया, उन्होंने एक प्रबोधन किया और बिहार के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार ने महामहिम राष्ट्रपति जी से उनकी उपस्थिति में जो उन्होंने संकल्प कराया, उसका समर्थन करते हुए उन्हें आश्चर्य किया कि राष्ट्रपति जी हम आपके दिशा-निर्देशन का पालन करेंगे और हम बिहार को 2015 तक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति जी

संवैधानिक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति जी का निर्देश एक संवैधानिक उच्चतम इकाई का निर्देश है और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना हमारी एक संवैधानिक बाध्यता हो गई है। जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हम इसके साथ ही यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार स्पेशल राज्य का दर्जा पाने के सारे मापदंड पूरे करता है। एक स्पेशल राज्य के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है, उसमें प्रमुख आवश्यकता यह है कि उस राज्य की सीमाएं दूसरे देश से जुड़ी हुई हों और बिहार की सीमाएं नेपाल और बंगलादेश से जुड़ी हुई हैं। लगभग एक हजार किलोमीटर इसकी सीमाएं इनसे मिलती हैं।

दूसरी शर्त यह है कि राज्य में पहाड़, पथरीली जमीन और जंगल हों, ये सब उत्तर और दक्षिण बिहार में इस राज्य को प्राप्त हैं। तीसरे मौलिक संरचना का अभाव हो, वहां यह भी है। चौथा विकास के लिए बाजार की आवश्यकता है और औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति बिहार में नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें बिहार को एक स्पेशल राज्य के रूप में उपस्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं। एक एक्पर्ट ने कहा है कि जब तक भारत के पूर्वी हिस्से का विकास नहीं होगा तब तक भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति नहीं बन सकता है। पूर्व में जितने भी राज्य हैं, बिहार को छोड़ कर सभी को आपने स्पेशल राज्य का दर्जा दिया है। बिहार उसमें मुख्य है जिसको आपने छोड़ दिया है। हम आपके माध्यम से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए आग्रह करना चाहते हैं। यह राजनीति का विषय नहीं है। संपूर्ण देश को विकसित और शक्तिशाली बनाने के लिए बिहार का पिछड़ रहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

सभापति जी, हम आपके सामने एक तथ्य और रखना चाहते हैं कि हमने सरकार से समय-समय पर क्या-क्या नहीं कहा है। हमने कहा कि झारखण्ड बनने के बाद से बिहार को आश्वासन दिया गया था कि बिहार की क्षति की भरपाई करेंगे। बिहार विधानसभा ने उस संकल्प को व्यक्त किया। सन् 1989 में उस समय के प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5100 करोड़ रुपये बिहार को पैकेज के रूप में देते रहेंगे। वह बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए जो कोल-लिकेज की आवश्यकता है, उसके लिए 90 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के यहां विद्युत उत्पादन के लिए हमारी योजनाएं पड़ी हुई हैं। एक बार कोल लिकेज दिया गया, लेकिन उससे बिजली पैदा नहीं हो सकती थी, लोहा गलाया जा सकता था।

सभापति महोदय, हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि जिस समय अंग्रेज थे, उस समय बिहार में 42 चीनी मिलें थी, आज मुश्किल से आठ चीनी मिले हैं। बिहार सरकार ने एथनाल की अनुज्ञप्ति के लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। इसी सदन में कृषि मंत्री शरद पवार जी ने आश्वासन दिया था कि हम दो-तीन महीने के अंदर बिहार को चीनी मिल खोलने के लिए, अगर बिहार एथनाल चाहता है तो हम

Comment [BS59]: (cd. by k3)

उस एथनाल के लिए अनुज्ञप्ति देंगे। सभापति जी, इस सम्मानित सदन में माननीय मंत्री जी घोषणा करें और उसका कार्यान्वयन न हो, यह दुर्भाग्य की बात है।

सभापति जी, राष्ट्रीय विकास परिषद् में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि बिहार के नवादा जिले के रजौली में न्युक्लियर पॉवर प्लॉन्ट लगाए जाएं। उसके संबंध में तमाम तकनीकी पदाधिकारी भी बिहार गए। बिहार सरकार ने यह भी आश्वस्त किया कि न्युक्लियर पॉवर प्लॉन्ट के लिए पानी की जो भी आवश्यकता होगी, हम उसको पूरा करेंगे। धनंजय नदी में हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है, उस पर कार्यवाई नहीं हुई है, वह लटका पड़ा हुआ है।

सभापति जी, दूसरे राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की छूट है, लेकिन बिहार को यह छूट नहीं है। हम अपने गंगा जल का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों कहलगांव में गंगाजल का उपयोग करने पर, हमें रोक लगा दी गई।

सभापति जी, स्पेशल राज्य का विषय केवल आर्थिक विषय ही नहीं है। फरक्का में गंगा सूखती जा रही है। आप जानते हैं कि हमारे यहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। हमारे यहां गंगा जल का जो बंटवारा हुआ, वह बिहार से बिना पूछे और बिना राय लिए हुआ। सोन नदी के पानी के बंटवारे के सिलसिले में भी बिहार की कोई भागीदारी नहीं रही। महोदय, आज बिहार की सारी नदियों के जल के बंटवारे के बारे में बिहार केंद्र सरकार से आग्रह करता है। गंगा जल के बंटवारे के बारे में, सोन नदी के जल के बंटवारे के बारे में केंद्र पुनः बिहार सरकार के साथ बातचीत करे, विचार-विमर्श करे, यह हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हमने शुरू में ही कहा है कि बिहार का प्राण नेपाल में बसा हुआ है। कोशी नदी शोक की नदी कहलाती है, इस कोशी नदी के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार अधोगति में है। कोशी नदी और अन्य दूसरी नदियां जिनका स्रोत नेपाल है, नेपाल में डैम बनाकर उन नदियों पर नियंत्रण रखने की जो जिम्मेदारी बिहार सरकार की हो सकती है, वह नहीं है। बिहार ने बार-बार केंद्र सरकार से इस मामले में आग्रह किया कि केंद्र इस दिशा में कार्यवाही करे, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने नेपाल की सरकार के साथ बातचीत करके उसने इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का कदम नहीं उठाया है।

महोदय, हम किसी स्पेशल पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाये, हमें कुछ रूपयों की घूंट पिलायी जाये, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा हमें प्राप्त हो ताकि हमें एक्साइज ड्यूटी में छूट मिले, बिहार में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हो, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर पूंजी निवेश बिहार में हो। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के छात्र प्रतिभाशाली हैं, बिहार के युवक प्रतिभाशाली हैं, बिहार के किसान प्रतिभाशाली हैं और कृषि उत्पादन में बिहार का भविष्य उज्ज्वल है। बिहार का वर्तमान कृषि क्रान्ति है। हमारे पास औद्योगिक क्रान्ति की कोई

Comment [GG60]: Ctd by I

जगह नहीं है, हमारे पास कृषि क्रान्ति, कृषि आधारित उद्योग-धंधों की आवश्यकता है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों विश्व बैंक ने भी सहरसा के इलाके में, सुपौल के इलाके में, पिछले तीन वर्ष पहले जो विनाशक बाढ़ आयी थी, उससे जो तीस लाख लोग विस्थापित हुए, उन्हें बसाने का सवाल, उन्हें पुनःवासित करने का जो सवाल था, उस सवाल पर विश्व बैंक ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी वहां गये हुए थे और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी गयी हुई थीं। दोनों ने उस बाढ़ के समय बिहार को आश्वासन दिया था कि बाढ़ या त्रासदी केवल बिहार की नहीं है, यह राष्ट्रीय त्रासदी है, यह राष्ट्रीय विपदा है। उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी बिहार को उनसे जो अपेक्षा हो सकती थी, वह बिहार को प्राप्त नहीं हुआ।

महोदय, बंगाल हुंकार करता है तो एक मिनट में भारत सरकार बीस हजार करोड़ रूपया दे देती है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड हुंकार करता है, कांग्रेस के प्रधान सचिव श्री राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो वहां सहायता दी जाती है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ऐसा न हो। आन्ध्र प्रदेश में विपदा आती है तो हजारों करोड़ रूपये आप देते हैं, दूसरे राज्यों में विपदा आती है तो हजारों करोड़ रूपये आप देते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें न दिया जाये। हम यह कहते हैं कि उन्हें देते हैं तो दीजिये, और दीजिये, लेकिन बिहार के मामले में आपकी घिघ्घी क्यों बंध जाती है, बिहार के मामले में आपके हाथ क्यों बंध जाते हैं, बिहार के मामले में आपके पैर क्यों थरथराने लगते हैं, क्या बिहार आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है।

Comment [c61]: Contd. By m3

सभापति महोदय, मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ।

“ढोलक बज रहे थे, तबला बज रहा था, सभा हो रही थी और उसी बीच में एक बकरा आकर बैठ गया। लोगों ने बकरे से पूछा - ‘बकरा, तू तबले की आवाज़ को पहचानता है, समझता है।’ कहा - नहीं समझता हूँ। तू हारमोनियम की आवाज़ को समझता है।’ कहा - नहीं समझता हूँ। तू ढोलक की आवाज़ को समझता है।’ कहा - नहीं समझता हूँ। तो तू यहाँ क्यों है।’ बकरा ने कहा - मैं यहाँ इसलिए हूँ कि वह जो तबला है, वह जो ढोलक है, उसका जो चमड़ा है, वह हमारे जिस्म का चमड़ा है। उस पर जब चोट पड़ती है तो वह चोट हमको लगती है। हमको दर्द होता है।”

इसलिए बिहार भारत का जिस्म है, बिहार भारत की आत्मा है, बिहार भारत के शरीर का हिस्सा है और अगर बिहार को चोट लगती है, भारत को चोट लगती है तो बिहार तिलमिलाता है।

सभापति महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको याद होगा, 1975 से 1977 तक पूरे देश में जो आंदोलन हुए, बिहार उसकी अगुवाई कर रहा था। उस समय श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने जाकर श्रीमती गांधी से कहा कि मैं हिन्दुस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी से मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी इन्दु से मिलने आया हूँ। इंदिरा जी फफक-फफक कर रोने लगीं। जयप्रकाश जी रोने लगे। यह है बिहार का केन्द्र के

साथ रिश्ता, यह है हमारी राजनीति का रिश्ता। हम राजनीति में शुचिता के प्रहरी हैं, हम राजनीति में शुचिता के पथिक हैं। 2005 में बिहार की वार्षिक कार्य योजना 4200 करोड़ रुपये की थी। आज बिहार की कार्य योजना लगभग 24000 करोड़ रुपये की है। हमने पाँच वर्ष के अंदर बिहार में बदलाव किया है। हमने अपने संकल्प को दोहराया है। हमने तकनीकी फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पाँच वर्षों के अंदर हमने बिहार में विकास दर को 11 से 13 प्रतिशत तक पहुँचाया है। हम गुजरात के बहुत करीब हैं। इसलिए हमने एक संकल्प दिया है और हमारी बहुत सारी योजनाओं का केन्द्र ने अनुकरण किया है, केन्द्र ने उनको अपनाया है। हम *हारबिगरो* की सोसाइटी बन रहे हैं, हम अपने इतिहास के गौरवशाली पहलू को उतार रहे हैं, उसे उठा रहे हैं। आज जब बिहारी मुम्बई जाता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यह जो उँगू फँला है, सब बिहार के कारण फँला है। बिहार के लाखों लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि दिल्ली की जो गंदगी है, वह बिहार के चलते है, उत्तर प्रदेश के चलते है। जिस तरह से हमने देखा कि लंदन और अमेरिका जो पश्चिमी मॉडल के देश हैं, वहाँ साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, आज उन्हें अपने संकट को दूर करने के लिए, इन लोगों को निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ उठ रही है। और आज इस देश में बिहार को उसके राज्य मुम्बई से निकाला जाए, महाराष्ट्र से निकाला जाए, कर्नाटक से निकाला जाए, पंजाब और हरियाणा से निकाला जाए कि बिहार गंदगी का रूप है, बिहार लज्जा का रूप है, बिहार सांस्कृतिक पतन का रूप है, यह जो बीमारू राज्य बिहार था, हमने इस राज्य को एक सबल राज्य के रूप में उपस्थापित करने के लिए कदम उठाया है। हमारी विकास दर बहुत आगे बढ़ी है और हमारे यहां बहुत सारे पूँजी निवेश होने लगे हैं। हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया है। इसलिए हम आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह अंततः देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ सवाल है।

सभापति जी, अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

Comment [r62]: Cd by n3

16.00 hrs.

बिहार शांति, स्वतंत्रता, विकास का प्रतीक है और सर्व और बढ़ता हुआ कदम है।

महोदय, एक जंगल में आग लगी हुई थी। चिड़िया उड़कर जाती थी और समुद्र से पानी को चोंच में उठा कर उस आग को बुझाना चाहती थी। वह उड़ती थी, जाती थी, चोंच में पानी लाती थी और उसे आग पर डालती थी। उस समुद्र में हाथी स्नान कर रहा था। हाथी ने कहा कि चिड़िया क्या तेरी चोंच में इतना पानी आ सकता है कि जिस आग को तू बुझाना चाहती है, उसे बुझा सके। चिड़िया ने कहा - हाथी, मुझे मालूम है कि मेरी चोंच में कितना पानी है। मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में जितना पानी है, उस पानी से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतिहास में लिखाना चाहती हूँ कि जब आग लगी हुई थी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा न कि आग लगाने वालों में। हाथियों ने जब यह सुना, तो सारे हाथी सूंड में पानी ले कर दौड़े और उस आग को बुझाने लगे।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार विकास के माध्यम से शांति का पैगाम देना चाहता है। बिहार अपने इतिहास को दोहराना चाहता है। बिहार शताब्दी वर्ष में एक सबल राज्य के रूप में उपस्थित हो कर भारत को गौरव और शक्ति प्रदान करना चाहता है। मैं श्री दुष्यंत कुमार की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ-

“जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावनाओं की गोद से उतर कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें,
चंद्र तारों से और प्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना, मचलना सीखें,
हंसे-मुस्कराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देख कर ललचाएं,
उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों।

महोदय, आज सदन में श्री अटल बिहार वाजपेयी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा के रूप में उन्होंने भारत का दिशा-निर्देशन किया। मैं उनकी एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ-

“टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर।
झरे सब पीले पात कोयल की कुहूक रात,
प्राची में अरुणिमा को देख-देख गाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।”

इन शब्दों के साथ बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, आपने मुझे डॉ. भोला सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मैं इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूँ। बिहार क्षेत्रफल के मामले में देश का 12वां राज्य है। यहां की 85 प्रतिशत जनता गांव में रहती है। बिहार आर्थिक रूप से हमेशा से ही कमजोर राज्य रहा है, लेकिन विभाजन के बाद तो इसकी कमर टूट गई है। बिहार में उद्योगधंधों की शुरुआत से ही कमी थी, आज़ादी के बाद जो थोड़े बहुत उद्योग लगे, वह दक्षिण बिहार में लगे जो कि बंटवारे के समय झारखण्ड में चले गए। खनिज सम्पदा भी झारखण्ड में चली गई। आज बिहार के पास प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ और बालू के सिवा कुछ नहीं बचा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार के गौरवमयी इतिहास को पुनः दुहराने के लिए, वहां की निरीह जनता को सबल बनाने के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अति आवश्यक है।

Comment [r63]: Cd by o3

सभापति महोदय, विभाजन के बाद जो स्थिति हमारे सामने है, वह इतना ही है कि विभाजन के फलस्वरूप राज्य की तीन-चौथाई संपदा झारखंड में चली गयी जबकि बिहार के पास तीन-चौथाई देनदारी रह गयी। विभाजन के बाद झारखंड में राज्य की 46 प्रतिशत जमीन चली गयी जबकि तीन-चौथाई से भी ज्यादा आबादी बिहार में रह गयी। विभाजन के बाद 90 प्रतिशत वन संपदा झारखंड में चली गयी और खनिज संपदा से होने वाली आय का 96 प्रतिशत झारखंड में चला गया। राज्य की लगभग 73 प्रतिशत भूमि बाढ़ प्रभावित है और शेष 27 प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है। ज्यादातर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकलने में महीनों लग जाते हैं। वर्षाकाल में न सिर्फ गांव के, बल्कि जिला मुख्यालय भी महीनों तक शेष भारत से कटे रहते हैं जिससे ग्रामीणों को भयानक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जो नीति है उसके अनुसार जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें मापदण्डों के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन मापदण्डों में प्रथम है दुर्गम भौगोलिक स्थिति या राज्य का पहाड़ी होना। दूसरा मापदण्ड है, राज्य में आदिवासी जनसंख्या अधिक मात्रा में होना। तीसरा है, राज्य से किसी अन्य देश की सीमा का लगना। चौथा है, कमजोर आर्थिक स्थिति होना। पांचवा है, राज्य में मूलभूत संरचना का अभाव होना। आप देख सकते हैं कि बिहार इन सभी मापदण्डों को पूरा करता है। केन्द्र सरकार के प्रयासों की वजह से राज्य में सड़कों की स्थिति काफी सुधरी है। लेकिन राज्य में अभी भी विद्युत की स्थिति काफी दयनीय है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार को उसके आर्थिक उद्योग-धंधों का जाल बिछाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर केन्द्र सरकार प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर बिहार एक सबल राज्य के रूप में उभरेगा और राष्ट्र मजबूत होगा।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय, श्री भोला प्रसाद सिंह जी ने अपने भाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो विचार रखे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ तथा जो प्रस्ताव

उन्होंने पेश किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार ने अमेरिका में एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय 1000 अमेरिकी डालर हो गयी है। 1000 डालर को मोटे तौर पर हम मान लें 45000 या 46000 रूपए के बराबर। यानि भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 45000 रूपया है। कुछ राज्यों की आय उससे ज्यादा है। चंडीगढ़ की आय ज्यादा है। मुम्बई, दिल्ली में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय 80000 रूपए से ऊपर है। कहीं-कहीं तो यह 85000 रूपया है। लेकिन बिहार राज्य आज सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा है। आज की तारीख में भी उसकी प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक आय करीब 5000 करोड़ रूपया है। जहां देश की आमदनी हो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 80000 रूपया और औसत हो 45000 रूपया। यह प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार विदेश में जाकर कह रहे हैं। उसी देश में एक राज्य ऐसा है जहां आज भी प्रति व्यक्ति आय करीब 15000 रूपया है तो यह तो क्षेत्रीय असंतुलन है। जब देश में अमीरी-गरीबी के बीच में, आदमी-आदमी के बीच में, राज्यों-राज्यों के बीच में गैर बराबरी है, तो उस क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए सरकार ने समय-समय पर फैसला लिया है। सरकार ने योजना बनाई है। दसवीं, 11वीं योजना और अब 12वीं योजना आने वाली है। योजना में सरकार की परिकल्पना यही रहती है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाएंगे। बिहार इसी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात कह रहा है। भोला बाबू ने बंटवारे की बात की, बंटवारे से पहले जब बिहार एक था, तब भी हम सबसे निचले पाँयदान पर थे। तब भी हम मांग करते थे कि बिहार का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक फ्रेट इक्वलाइजेशन बिहार के लिए लागू नहीं होगा। हम उस समय भी कहते थे, जब झारखंड हमारे साथ था। हम तब भी कहते थे, जिस माइंस की बात भोला बाबू ने की है कि बिहार में उस समय खनिज, कोयला और अभ्रक था, वह अब झारखंड में चला गया। उस समय में यूरेनियम सिंघभूम जिला में जमशेदपुर के बगल में था, वह आज झारखंड में चला गया। जब सन् 2000 से पहले माइंस, मिनरल्स, यूरेनियम हमारे पास था, तब भी हम कहते थे कि बिहार गरीब है, उस समय सचमुच गरीब था। सन् 2000 से पहले भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, विद्युत खपत और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कम था। योजना का आकार 24000 करोड़ रूपए का है यानि प्लान आउटले आज की तारीख में बिहार ने बनाया है, यह पहले के मुकाबले अधिक है, किन्तु आज भी बिहार में प्लान आउटले कम है और तब भी कम था। इसलिए तब भी हमने विशेष आर्थिक सहायता की याचना की थी। जब बिहार एक था तो बिहार की उपेक्षा की गई। बिहार ने तब भी कहा कि हमारा कोयला, अभ्रक, ताम्बा और यूरेनियम लेते हो, लेकिन हमें विशेष आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में नहीं मिलती है। बिहार में गरीबी और बेकारी है, यह तब भी हमने कहा था, लेकिन बिहार का बंटवारा हो गया। आप जब बिहार को बांट रहे थे, तब भी हमने कहा। जिस कोयले, फ्रेट इक्वलाइजेशन, ताम्बे, विद्युत उत्पादन संयंत्र, विद्युत कारखाने, बोकारो स्टील सिटी की बात करते थे, वह झारखंड में चला गया। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे

पास कृषि है और आजादी के बाद सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन बिहार करता था। सबसे ज्यादा चीनी मिलें बिहार में थीं। हम कई वर्षों तक चीनी उत्पादन में एक नम्बर पर रहे। आज हमारा चीनी उद्योग समाप्त हो गया है, बंद हो गया।

हमने यही मांग की थी कि हमें बड़ा कारखाना मत दो। हमारी जो मीडियम साइज़ शुगर इंडस्ट्री है, उसका रिवाइवल चाहिए। जब भारत सरकार ने बिहार का बंटवारा किया तो हमने स्पेशल पैकेज की मांग की कि बिजली उत्पादन के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, जिसके बारे में कहा गया कि जो क्राइटेरिया एवं पैरामीटर है, स्पेशल स्टेटस स्टेट को देने के लिए जो मानदंड है, उस मानदंड में गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, विद्युत खपत, बेकारी, संपूर्ण सकल घरेलू उत्पादन जो होता है, वह भी है। लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सोचा और जब बिहार का बंटवारा कर दिया तो बिहार में शुगर इंडस्ट्री चौपट हो गई। हमने एक लाख 87 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मांगा था कि अगर बिहार को बचाना चाहते हैं, वहां अगर गरीबी, बेकारी दूर करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं, हमारा माइंस और कारखाना आपने ले लिया तो बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए। ये बंटवारे के प्रस्ताव के समय नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी सन् 1989 में बिहार गए थे, तब भी उन्हें कहा गया कि बिहार गरीब है।

आप सब कुछ बिहार से लेते हो, लेकिन बिहार गरीब है, हमारे पास पैसे की कमी है और क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने की संवैधानिक व्यवस्था है, आपका दायित्व है, केन्द्र की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में, देश में क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, देश का कोई अंग बीमार नहीं रहे, कोई राज्य बीमार न रहे, कोई राज्य अपंग न रहे, यह

Comment [S65]:

16.16 hrs.*(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)*

यवस्था आपको करनी है। यह 1989 में बिहार सरकार ने राजीव गांधी जी से कहा और तब बिहार सरकार हमारी नहीं थी, सरकार उस समय कर्पूरी ठाकुर जी की नहीं थी, सरकार उस समय कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी को कहा। राजीव गांधी जी ने पटना में स्पेशल पैकेज का एलान किया, जो आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कौन जवाब देगा कि बिहार को राजीव गांधी जी ने जो स्पेशल पैकेज दिया था, बिहार को स्पेशल पैकेज के माध्यम से न तो योजनागत मद में आपने राशि दी, न आपने सीधे राशि दी।

उसके पश्चात् बिहार के बंटवारे के बाद सभी पार्टियों ने सर्व-सम्मति से मिलकर बिहार विधान-मंडल में, बिहार विधान सभा में, बिहार विधान परिषद् में संकल्प पारित किया। बिहार विधान-मंडल ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें दिल्ली सरकार से मांग की कि हमारी स्थिति जर्जर है।

बिहारी सारे देश में हैं। अभी लदाख में 18000 फीट की ऊंचाई पर बोर्डर रोड आर्गनाइजेशन ने सड़क बनाई है। बिहार के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वहां थे, उन्होंने कहा-सांसद जी, आप तो आये हैं, लेकिन यहां लदाख में जो सिंधु नदी पर हाइडल पावर प्लांट बन रहा है, उसमें लेबर कहां के है, यह 18000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, वे कहां के हैं, यह सियाचिन में जब जवानों के लिए आप सड़क बनाते हैं, वहां लेबर कहां के हैं। कहा कि यहां बिहार के लेबर है और हमने कार्यस्थल पर जाकर देखा तो पता चला कि उनमें दो मजदूर हमारे क्षेत्र के निकल गये। कहने का मतलब है कि बिहार में गरीबी है। सन् 2000 में आपने वायदा किया था कि बिहार के मजदूरों का पलायन रुकेगा, इसके लिए जो भी सम्भव प्रयास होगा, पलायन को रोकने के लिए जो भी योजना लागू करनी होगी, मजदूरों को काम देने के लिए काम दिए जायेंगे। आपने स्पेशल पैकेज नहीं दिया, आपने अनुदान नहीं दिया, हम क्या मांगते। विशेष राज्य का दर्जा आपने बंटवारे के बाद उत्तराखंड को दिया, हमने कोई एतराज नहीं किया। अभी तक आपने 11 प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, जिसमें सन् 2000 में जो उत्तर प्रदेश राज्य का, बिहार का और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसमें आपने उत्तराखंड को दिया है, अच्छा किया है। उत्तराखंड डिजर्व करता है और 11 राज्य डिजर्व करते हैं तो बिहार भी डिजर्व करता है।

बिहार में बाहर से पूंजी नहीं आ रही है, किन्तु जो पूंजी निवेश करने वाले हैं, एण्टरप्रेन्योर, उद्योगपति, वे कहते हैं कि हमको करों में छूट मिलनी चाहिए, हमको एक्साइज़ ड्यूटी में छूट मिलनी चाहिए और वह छूट बिहार नहीं दे सकता, बिहार की सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): बिहार को जीरो इंडस्ट्रियल स्टेट घोषित किया जाये।... (व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : इसीलिए हम मांग करते हैं, स्पेशल स्टेटस की हम आपसे मांग करते हैं। हमें स्पेशल पैकेज आप नहीं देंगे, मत दीजिए। राजीव गांधी जी ने पैकेज की जो घोषणा की थी, आपने अभी तक नहीं दिया, मत दीजिए, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। स्पेशल स्टेटस जो बिहार को आप देंगे, उससे हमारे यहां पूंजी प्रवाह होगा और पूंजी प्रवाह होगा तो उद्योग लगेंगे। हमारे यहां सबसे रुग्ण उद्योग शुगर इंडस्ट्री है। जो विभाजन का प्रस्ताव है और जो विधेयक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का भी विधेयक विधान-मंडल में पारित हुआ था, जिसको आपने किया, कहा कि शुगर इंडस्ट्रीज़ रिवाइवल के लिए सरकार सोचेगी, लेकिन आज एक भी हमारी शुगर इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हो सकी, इसलिए जो संकल्प इन्होंने पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

Comment [R66]: cd by r3

बिहार डिजर्व करता है, बिहार गरीब है, बिहार में गरीबी है, बिहार में बेकारी है, बिहार को मजबूर करके आप मत रखें। बिहार के बारे में कहा गया कि यह देश की आत्मा है। देश की आजादी के आंदोलन में बिहार ने अग्रणी भूमिका निभायी। महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई ने तब तक बापू नहीं माना, जब तक महात्मा गांधी को चंपारण की धरती ने महात्मा नहीं बनाया। बिहार को आप मजबूर मत करिए कि बिहार के लोग आंदोलन करें और वे आंदोलनरत हो जाएं। बिहार की ओर से एक मेमोरेण्डम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार ने जो मेमोरेण्डम दिया है, उसको स्वीकार कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इस पर विचार कीजिए। बिहार में गरीबी, बेकारी दूर होगी तो बिहार का जो क्षेत्रीय असंतुलन है, वह दूर होगा। इससे देश मजबूत होगा और देश की गरीबी दूर करने में भी बिहार की अग्रणी भूमिका होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉ. भोला सिंह जी के इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। मैं कवि दुष्यंत के शब्दों में कहना चाहूँगा - 'पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बिहार को एक गंगा मिलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी यह कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए।' हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बिहार की सूरत बदले।

सभापति महोदया, मैं उत्तराखंड से आता हूँ। उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो सड़क बनती हैं, वहां हिमपात होता है और वे बर्फ पड़ने से अक्सर टूट जाती हैं। सड़क के बगल में टीन के जो बने हुए मकान होते हैं, एक झोपड़ी की तरह जो बने होते हैं, उनमें रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आप कहां के रहने वाले हो और आप यहां आकर जैसे जगद्गुरु शंकराचार्य आए थे और उन्होंने बद्रीधाम को स्थापित किया, उसका जीर्णोद्धार किया, इसी प्रकार से आप आकर हमारे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हो, कहां के रहने वाले हो, किस राज्य के रहने वाले हों। वे कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। मैं बिहार की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ जो अपने राज्य से निकलकर आज उत्तराखंड राज्य की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, चार धामों को जोड़ रहे हैं, यात्रियों और पूरी सीमाओं को जोड़ रहे हैं, ऐसे उन कर्मठ लोगों को और कर्मयोगियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आज वे लोग बिहार से निकलकर भारत के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का जाल फैला रहे हैं। परंतु आज उनका राज्य किस स्थिति में है, यह देखना होगा और उसके लिए सरकार को एक आर्थिक पैकेज, एक स्पेशल स्टेटस देना होगा, ताकि उनका घर भी आबाद हो सके और वे अपने घर के अंदर भी सड़कों का जाल फैला सकें। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार को बने हुए सौ साल हो गए। पहले बिहार बहुत बड़ा था, झारखंड से जुड़ा हुआ था। आज झारखंड निकाल दिया गया, जहां खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, माइका है, वे सारे निकाल दिए गए, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां निकल गयीं। आज बिहार अपने आप में खनिज पदार्थ शून्य हो गया है। ऐसी स्थिति में राज्य को निश्चित रूप से स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं बिहार को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि राजेन्द्र बाबू की वह धरती है, जय प्रकाश नारायण जी की वह धरती रही और श्री हंस महाराज का बिहार से विशेष लगाव था। बिहार की स्थिति ऐसी रही कि वहां के लोगों का जो जीवन स्तर था, उसके अंदर जब लोग कहीं शादी में जाते थे, तो किसी का कुर्ता उधार मांगकर जाते थे। वे उसको पहनते तक नहीं थे, कमर के ऊपर रख लेते थे, ताकि यह लगे कि इस आदमी के पास कुर्ता भी है। ऐसी गरीबी जिस राज्य के अंदर हो, निश्चित रूप से उस राज्य को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसे स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। बिहार से गंगा नदी बहती है। उसका भी दोहन होना चाहिए जिससे हम वहां माल ढो सकें, माल की आवाजाही कर सकें और सस्ते रूप में ईंधन की बचत हो। उसका

12.08.2011

156

बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल से नदियां आती हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है और ऐसा देखने में लगता है कि सारा बिहार पानी में डूब गया है। ऐसी स्थिति में बिहार के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्टैटस होना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, एवं भोला बाबू के संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। भोला बाबू के बेहतरीन तकरीर के बाद कुछ बचा नहीं है लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सदन का और इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिहार जो अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। वहां नालंदा है जो सबसे पुरानी संस्कृति है। वहां विक्रमशिला है, वहां का मैं खूद हूँ। जहां पर बोधगया, वैशाली और राजगीर, है। आज दुःख होता है कि हम बिहार के लोग विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं। हम में विशेष ऐसा क्या है। सतपाल महाराज जी ने कहा कि देश की तरक्की में बिहार के लोग कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। कश्मीर, लद्दाख हो या सियाचीन ग्लेशियर हो वहां भी आप को बिहार के लोग मिल जाएंगे। हमारा विजन बड़ा है। हम बड़े विजन के साथ काम करते हैं। हम इस देश की एक-एक जमीन पर अपना अधिकार मानते हैं। यह हमारा राष्ट्रवाद है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हम उसे अपना आंगन मानते हैं। इसलिए बिहार के लोग बड़ी तादाद में देश के कई स्थानों पर आप को मिलेंगे लेकिन आज दिक्कत यह है कि बिहार के बंटवारे के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हमारे पास सिर्फ नदियां हैं जो नेपाल से आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जितना पानी वे हमें भेज दें हमें मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय संधि बीच में बाधा बनती है। हम रोड और पुल बनाते हैं लेकिन जब नेपाल से ज्यादा पानी आ जाता है तो वह रोड, पुल-पुलिया बह जाते हैं। जब हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ का हमें कोई पैकेज मिलेगा तो वचन अच्छा मिलता है। जब दुःख में होते हैं तब सब लोग हमें देखने आते हैं। हमें कहते भी हैं कि मदद करेंगे। लेकिन बाढ़ का जो पैसा है वह भी नहीं मिलता है। एक तरफ बाढ़ है दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। बाढ़ का पैसा मांगते-मांगते जब जबान थक जाती है तब हमें सूखे का पैसा मांगना पड़ता है और दोनों चीजें हमें नहीं मिलती हैं।

बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार है। भाई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इंजीनियर बिहार का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास बिजली नहीं है। 15 साल लालटेन की रोशनी में हम ने आंख खराब किया। बिहार के साथ कैसे अन्याय हुआ है। हम बिहार के लोगों की आंख जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि हम लालटेन में बचपन से पढ़ते हैं।

Comment [I67]: Cd by

में कोसी का हूं।... (व्यवधान) मैं आपको देख रहा हूं। दूर की नज़र तेज है, आप पर नज़र है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : लालटेन भभकती भी है, ध्यान रखिए। आप आगे बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं कोसी के भागलपुर से सांसद हूं।... (व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): नदियों में जब बाढ़ आती है तो उस पानी को सेव करने के लिए कोई रास्ता बता दीजिए।... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उस तरह का रास्ता तो आएगा, लेकिन उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपकी सरकार का जो असहयोग आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और जेडी (यू) सरकार के साथ चल रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपस में बातचीत मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह ऐसा विषय है कि इतने वक्ता बोले, किसी को किसी ने नहीं टोका, लेकिन हमसे सबका बड़ा प्रेम है। मैं जब भी खड़ा होता हूं... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपसे सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन आप आगे बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारे मित्र हैं, लेकिन... (व्यवधान) बिहार में उस अंधेरे को देखा। यहां हम 543 सांसद हैं। हम गांवों से आते हैं। हमने गरीबी देखी है। लालटेन में पढ़े हैं। हमें किसी के घर जाकर गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। हमने इसे एहसास किया है कि धुएं का आंख पर क्या असर होता है, जब पत्ते से खाना बनता है तो उस पत्ते के जलने का आंख पर क्या असर होता है। गर्मी में लालटेन में पढ़ने के बाद पसीना आए और उसके बाद जब ठंडी हवा बादेसबा आती है तो शरीर पर उसका कैसा आनंद प्राप्त होता है, यह सब हमने देखा है।... (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): गैस से कैसा लगता है।... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : गैस वाले लोग गरीब लोगों के घर जाकर देखते हैं कि गरीबी क्या होती है, अंधेरा कैसा होता है। हमें कहीं जाकर देखने की जरूरत नहीं है। हम भी युवा हैं, सांसद हैं। सौभाग्य रहा है, आपके साथ मंत्री रहे हैं। हमने इन चीजों को नज़दीक से देखा है। आज बिहार के लोगों का यह दर्द है। बिहार आज स्पेशल पैकेज क्यों मांग रहा है, क्योंकि जो हमारा खनिज, खदान, कोयला था, जब ज्वाइंट बिहार था तो रेल बिछा दी गई। हमारे यहां बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए। हमारे यहां रेल की पटरी

बिछाकर हमारे कोयले, बॉक्साइड, लोहे को वहां से ले जाया गया। तब भी बिहार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि यह हमारा है, इसे मत ले जाइए। लेकिन आज अगर हम बिजली घर स्थापित करना चाहते हैं तो कोल का लिंकेज नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास क्षमता है। वे पिट हैड पर बिजली घर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बिहार के कहलगांव, हमारे लोक सभा क्षेत्र में एनटीपीसी का सिर्फ एक थर्मल पावर है। वहां से बिजली बनती है और भागलपुर, पटना क्रॉस करके पंजाब चली जाती है। आज हमें वहां बिजली चाहिए। हमें बिजली में हक नहीं मिल रहा है। बिहार का केन्द्र सरकार पर 1800 मेगावाट बिजली का हक बनता है, लेकिन भारत सरकार 900 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं दे रही है। हमें तालचर, फरक्का से बिजली दी जा रही है। वहां इनका यूनिट इतना खराब है कि आधी बार बैठ जाता है। हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। आज बिहार में अंधेरे की जिम्मेदारी केन्द्र को लेनी पड़ेगी और यह मानना पड़ेगा कि अगर दस करोड़ बिहारी तरक्की नहीं करेंगे तो यह देश तरक्की नहीं करेगा। आप यह मानकर चलें कि बिहार के लोग इसी देश के हैं, बिहार इस देश का अभिन्न अंग है। लेकिन आज क्या हो रहा है। आपकी नज़र बदल गई। हम कह रहे हैं कि हमारी नज़र कमज़ोर हो रही है और आपकी नज़र बदल गई है। हर बार मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। नेहरू जी के जमाने में बिहार के डा. राजेन्द्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। जहां हर सरकार में बिहार का कोई न कोई व्यक्ति देश की पंचायत, कैबिनेट में बैठता था। यूपीए वन में रघुवंश बाबू बैठते थे। लेकिन आज बड़ी पंचायत में एक भी बिहारी नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लिखा हुआ है - **Bihari is not allowed in the Government.** ... (व्यवधान) कैबिनेट के बाहर, मनमोहन सिंह जी के बाहर ... (व्यवधान) बोर्ड लगा हुआ है। ... (व्यवधान) हम बोल रहे हैं, सरकार को सुनने में दिक्कत हो रही है। ... (व्यवधान) हम सरकार की बात कर रहे हैं। यह सदन की बात है। ... (व्यवधान) क्या स्पीकर साहिबा कैबिनेट में बैठती हैं। लाल सिंह जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हो गए हैं। आपको नहीं बना रहे हैं, हमें यह भी पता है। आप मेन जम्मू से जीतकर आते हैं, लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाया। ... (व्यवधान) आज मौलाना असरारूल हक साहब किशनगंज से, जहां से मैं चुनाव जीता, काफी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उर्दू जानते हैं। इनके पास बेहतरीन आलिम है। अपने जमाने में इनकी उर्दू की लिखावट का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोगों को अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा पसंद है। उर्दू वाले का कोई टैलेंट ही आपकी नजर में नहीं है, यानी एक मौजूद है, वह भी ऑप्शन नहीं। आप राज्य सभा का पैनल बनाते और उनको दूसरी जगह से राज्य सभा में लाते। अगर आपको मौलाना असरारूल हक साहब का चेहरा पसंद न हो, तो बिहार के कोई और लोग, जो आपके लायक होते, वे मंत्रिमंडल में रहते। हमें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन उस पंचायत में बिहार की आवाज कौन उठायेगा। आज बिहार की आवाज उठाने वाला कैबिनेट में कोई नहीं है। अगर बिहार के साथ अन्याय होगा, तो वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको रहमो-करम पर हैं कि वहां पर अगर कोई और मंत्री हमारे दर्द को रख दे, तो रख दे। लेकिन भारत के

Comment [r69]: Cd by u3

इतिहास में यह पहला मौका है, जब आप बिना बिहारी के देश चला रहे हैं, बिना बिहारी के कैबिनेट चला रहे हैं। आपकी नीयत थी, हमें पता है। हम आपसे उम्मीद क्या करें, लेकिन फिर भी आप सरकार में हैं। जनता ने आपको उस मुकाम पर उधर बैठाया है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे। आप रूलिंग पार्टी की तरह बिहेव कीजिए। सब मंत्री लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी कार पर बत्ती लगी होती है और सायरन बजता रहता है। आप गंभीर बैठकर सब बात सुना कीजिए, क्योंकि आप सरकार हैं, विपक्ष में नहीं हैं। ... (व्यवधान) इसलिए आपको हमारी, विपक्ष की बात को सुनना है, धीरज रखना है। अगर आप हमारी तरह व्यवहार करेंगे, तो आपको कोई मंत्री नहीं मानेगा और बाहर कहेगा कि यह भी संसद में रोज हल्ला करते रहते हैं, इसलिए लगता है कि यह सांसद ही हैं। आपको मंत्री की तरह, अभी आपको माइक को पटकना नहीं है, धीरज से बैठना है। हम उम्र में कम हैं, लेकिन मंत्री पहले बन गये थे। आपको कोई दिक्कत हो, तो हमसे भी सलाह-मशविरा कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं आपके जरिये सदन में बिहार का दर्द रख रहा हूँ। देश का पहला राष्ट्रपति जिस प्रदेश ने दिया हो, आज वह बार-बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सब राज्य में सड़क बन गयी। बंगाल में बन गयी, अश्विनी कुमार के राज्य पंजाब में बन गयी, मीणा जी के राज्य राजस्थान में बन गयी, लेकिन रघुवंश बाबू जो थोड़ा बहुत हमें देकर गये थे, जैसे ही रघुवंश बाबू चले गये, वहां सड़क का काम एकदम रुक गया। हमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा नहीं मिल रहा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा रोककर बैठे हुए हैं और तीन महीने में तीन मंत्री बदल गये हैं। हम एक को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अभी हम श्री विलास राव जी से मिलकर आये थे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हमें नहीं मिल रहा। राजीव गांधी जी का नाम हमने सुबह लिया कि राजीव गांधी जी देश के नेता थे, पायलट थे, इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। आपने इंडियन एयरलाइंस ही खत्म कर दिया। उसी तरह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है। आपने बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई है। वहां बोर्ड लगा हुआ है। आपने वहां पर छोटे-छोटा ट्रांसफार्मर 16 केवीए, यानी बाल्टी जितना बड़ा ट्रांसफार्मर का लगा दिया।

सभापति महोदय, रमा देवी जी कह रही हैं कि ट्रांजिस्टर की तरह लगा दिया है। वह लटका दिया है और लोग उससे उम्मीद लगाये हुए हैं। राजीव गांधी जी का फोटो और एक बोर्ड राजीव गांधी विद्युतीकरण वहां लगा दिया है। वह बोर्ड स्टील का है, जिसे कोई हिल्ला-ढुला नहीं सकता। लेकिन वह ट्रांसफार्मर गायब हो गया, तार गायब हो गयी। वह जल ही नहीं रहा, यानी पूरे बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमारे साथ बहुत अन्याय किया है।

सभापति जी, मैंने आपके यहां इंदौर के एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण किया था। देश में महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है। वहां से बड़े मंत्री हैं, जैसे शरद पवार, प्रफुल पटेल, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे जी

हैं। हम जितने नाम गिनेंगे, उतने नाम हमें याद भी नहीं आयेंगे, यानी इतने मंत्री हैं। लेकिन उतनी ही सीट बिहार की है। अगर हम महाराष्ट्र से बिहार की तुलना कर लें, तो महाराष्ट्र में मुम्बई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट और नवी मुम्बई एयरपोर्ट भी आ रहा है, लेकिन बिहार में ले देकर एक पटना एयरपोर्ट है। क्या आप दस करोड़ बिहारियों को चाहते हैं कि बैलगाड़ी पर चलें। आप हमारा हक कहां-कहां मार रहे हैं। हमने एक एयरपोर्ट गया में बनाया था, शरद जी ने शुरूआत की, मैंने उसको पूरा किया। इनके पास उद्घाटन के लिए भी टाइम नहीं है। पुराने मंत्री जी पांच साल वहां गए नहीं, नए मंत्री जी से उम्मीद करते हैं। आज वहां डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी नहीं चल रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर सियासत मत कीजिए। बिहार देश का अभिन्न अंग है, यह बात बार-बार आपको याद दिलाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप मंत्री मत बनाइए, कोई बात नहीं है। हम लोग बनेंगे, तो इकट्ठे छप्पर फाड़ के बनेंगे, इकट्ठे 12-15 मंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 12 मंत्री बने थे। ...(व्यवधान) गया वाला हमने ही बनाया था। ...(व्यवधान) और पटना एयरपोर्ट का रेनोवेशन किया। बड़ी मुश्किल से धोबीघाट दिया था इन्होंने। पैसा देकर वह जमीन ली थी। ...(व्यवधान) मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, तो आप सहयोग कीजिए। यह देश तब तरक्की करेगा, जब देश का एक-एक राज्य तरक्की करेगा। यह देश तब तरक्की करेगा, जब एक-एक व्यक्ति तरक्की करेगा। नीतीश कुमार जी के रास्ते को रोकिए मत। दरिया अपना रास्ता चाहती है और जानती भी है। हम लोग आपके रोकने से रुके नहीं। चुनाव परिणामों पर ध्यान दीजिए। रूलिंग पार्टी के लोग रिसर्च कीजिए कि कभी यूपी-बिहार में आपकी बड़ी साख होती थी। आज क्या वजह है कि बिहार से आप दो सांसद हैं - एक हमारी अध्यक्ष महोदया हैं, उनका अपना कद है, नाम है, बाबू जी की बेटी हैं और दूसरे मौलाना असरारुल हक साहब हैं। इन्होंने मुझसे भी दो चुनाव लड़े हैं। मौलाना असरारुल हक साहब जब निर्दलीय भी लड़ते हैं, तो मिनिमम दो लाख वोट लाते हैं। वह किसी के रहमोकरम पर निर्भर नहीं हैं। ठीक है कि इस बार आपकी पार्टी से चुनाव लड़े और जीत गए। आप यह समझिए कि आप वहां कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपको दो बड़े व्यक्तित्व मिल गए, इसलिए आपका वहां खाता खुल गया। लेकिन अगर आपने यही रास्ता अपनाया, आपने विधानसभा चुनावों में कितने हेलीकाप्टर वहां उतारे, कितने लोग यहां से गए, जा-जाकर वहां भाषण दिए, उसका रिजल्ट क्या मिला - हम दो, हमारे दो, कुल मिलाकर चार सीटें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति कीजिए। राजनीति में उपेक्षा करके मत चलिए। यह मत समझिए कि एक बार सीट नहीं मिली, तो आप हमसे बदला ले लेंगे। एक बार काम कीजिए, एक बार मौका दीजिए, सहयोग कीजिए। आप बीजेपी-जेडीयू को सहयोग मत कीजिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सहयोग कीजिए। आप यह मानकर सहयोग कीजिए कि बिहार की दस करोड़ जनता का दर्द है। आप उस दर्द पर मरहम लगाइए, उस जख्म

Comment [r70]: Cd by w3

पर मरहम की जरूरत है, उस पर आप नमक मत छिड़किए। मैं भोला बाबू के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में मिलनी थी, जो रमा देवी जी का क्षेत्र है। वह हमें नहीं मिली है। मंत्री जी जिद पर अड़े हैं कि पटना में देंगे। कहां देंगे, यह बिहारी तय करेंगे। आप चांदनी चौक में बनाइए। आप तय कर रहे हैं कि हम चंपारण में नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जहां से बापू ने आंदोलन शुरू किया, वहां यूनिवर्सिटी बने। हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए अगर चंपारण में यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े-लिखे सिब्बल साहब को क्या दिक्कत है।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि नालंदा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें बहुत काम हो रहा है, यहां बिल भी पास हुआ, केन्द्र सरकार भी सहयोग कर रही है। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, तीन प्राचीन विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, अब केवल दो धरोहरें बची हैं आपके पास। नालंदा को भाई नीतीश कुमार जी रिवाइव कर रहे हैं, आपने भी सहयोग किया है, लेकिन विक्रमशिला का क्या होगा, जहां से शाहनवाज हुसैन सांसद है। कुछ आप लोगों को इसकी चिंता है या नहीं। आज विक्रमशिला के अंदर भी उसी लेवल की यूनिवर्सिटी बनाइए। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। आप यह मानकर चलिए कि जैसे नालंदा और विक्रमशिला के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, तो देश का नाम होगा, पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा, इसमें केवल बीजेपी-जेडीयू का नाम नहीं होगा। इसमें डरिए मत, राजनीति में उतार-चढ़ाव आता रहता है, दिल छोटा मत कीजिए। बड़े दिल से काम कीजिए। छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता है, इसलिए दिल बड़ा कीजिए और बिहार की दस करोड़ जनता को उम्मीद है कि जो संकल्प भोला बाबू लेकर आए हैं, इस

संकल्प पर आपका पॉजिटिव नोट आएगा। जैसे अभी सतपाल महाराज जी ने बोला, इसी तरह से सब लोग सहयोग कीजिए और बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का सहयोग कीजिए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रघुवंश बाबू भी हम लोगों से सहयोग करने की बात कहेंगे। इनका साथ मिलेगा, तो जरूर हम लोग आगे तरक्की करेंगे।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): सभापति जी, भोला जी ने प्राइवेट मेम्बर्स बिल पर जो तसव्वुर और संकल्प पेश किया है, उसके सिलसिले में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनके प्रस्ताव और जो उन्होंने तजवीज पेश की है, उसकी मैं पूरी तरह से हिमायत करता हूँ और समर्थन देता हूँ।

बिहार के सिलसिले में बहुत सी बातें अभी यहां कही गई हैं। मैं उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूँ, न ही वक्त है कि उन्हें दोहराया जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वह एक ऐसी रियासत, ऐसा सूबा और ऐसी जमीन है कि अगर उस जमीन की तारीख को, उसके इतिहास को, उस जमीन के लोगों ने कम से कम पांच हजार साल की तारीख जो हमारे सामने है, उस पांच हजार साल की तारीख में उस धरती के सपूतों ने जो-जो कारनामे अंजाम दिए हैं, अगर उस सरजमीं को और उसकी तारीख को तारीख से निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत की तारीख मुकम्मल नहीं रहेगी, पूरे भारत की तारीख नामुकम्मल हो जाएगी।

हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के वे हिस्से, वे इलाके, वह जमीन, जहां के लोगों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, जिंदगी के किसी भी मरहले में हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यकीनी तौर पर उनको भी बराबर का दर्जा दिए जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जम्हूरियत है, आज हम फख्र से इस बात को कहते हैं कि पिछली छः दहाई में आजादी के बाद जिस तरह से इन सालों के अंदर इस मुल्क ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, वह कारनामा यह है कि इस मुल्क में हमने जम्हूरियत को बचाकर रखा है। इस जम्हूरियत का संकल्प और इस जम्हूरियत की बुनियाद उसी सरजमीं ने रखी थी, वह सरजमीं जो बिहार की सरजमीं है।

आज अगर हम इस देश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश में इन्सानियत है, इस देश में शराफत है, यहां पर हया है। आज जो यहां की तहजीब है, ईस्टर्न सिविलाइज जिसे हम कहते हैं, यह जो तहजीब है, इसकी असल जान रुहानियत है। वह रुहानियत उसी सरजमीं से महात्मा बुद्ध ने दी है और वहां के तमाम ऋषियों और मुनियों ने दी है। इस सरजमीं को अगर तहजीब दी है, उसी सरजमीं ने दी है। आज हमें यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि वह सरजमीं जिसने भारत को बहुत ऊंचा उठाया, जिसने हिन्दुस्तान की अज़मत को बढ़ाया, जिसने हिन्दुस्तान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, आज वह सरजमीं और लोग तबाहियों के शिकार हैं। जिस महाज पर चले जाओ, जिस शोबे में चले जाओ, हर जगह लोग तबाही और बर्बादी के शिकार हैं। - तन्हा दाग-दाग शुद, उम्बा गुजा-गुजा न हम, आज उसका पूरा जिस्म ही दागदार है, हम कहां-कहां पर उस पर फुहा रखने की कोशिश करेंगे।

आज उस सरजमीं के उन लोगों ने, जिन्होंने देश की रहनुमाई की, आज पूरे भारत के मुख्तलिफ सूबों के इलाकों में आकर सड़कों की मिट्टी छान रहे हैं। आज वहां जाएं, किसी शादी में जाएं या किसी

मौत की तकरीम में जाएं, आप गहराई से देखेंगे कि उस शादी में या मौत में जो लोग शरीक होने के लिए आते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे मिलेंगे या बूढ़े मिलेंगे, नौजवान नहीं हैं। वे अपनी मां की गोद को छोड़कर दिल्ली और पंजाब की सड़कों पर घास काट रहे हैं, खेती कर रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं। यह हालत उसकी है, जिसने आजादी के बाद इस मुल्क को सबसे पहला राष्ट्रपति दिया। वह रियासत, जिस रियासत ने अगर गांधी जी को सबसे पहले वहां जाकर सत्याग्रह का मौका दिया। जब आप पटना पहुंचे थे, यहां से गांधी जी के साथ जो लोग भी साथ गए थे, वे सब छोड़ गए थे और पटना तक गांधी जी चंद आदमियों के साथ पहुंचे थे। वहां दो ही नौजवान उनके इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। एक नौजवान वह था जो बाद में सदरे जम्हूरिया बना डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।

Comment [r71]: cd. by y3

और एक नौजवान प्रो. बारी थे जो मजदूरों के लीडर बने। हम देख रहे हैं कि हर महाज के अंदर वहां कमी है, इसलिए उस स्टेट पर खास तवज्जोह देने की जरूरत है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए कुछ बनियादी चीजें चाहिए। उसे तालीम और सेहत चाहिए और उसके जरिये मोआश चाहिए। मोआश का जरिया के जरिये वहां पर खेती-बाड़ी है। वहां हर साल सैंकड़ों-हजारों एकड़ जमीन कटकर दरिया में शामिल हो जाती है। मसला केवल उनके घरों की तबाही का नहीं है, मसला यह है कि उनका जरिया मोआश वही खेत हैं जिससे वे गल्ला पैदा करते हैं और उससे उनकी जिंदगी बसर होती है। उसमें भी एक साल फलड आता है और एक साल सूखा पड़ता है। इस मुसीबत में वे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हर साल वहां दरिया के कटाव से तबाही होती है।

महानंदा बेसिन बनाने की तजवीज रखी गयी, लेकिन 8-9 साल हो गये, पैसा नहीं है और उस बेसिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। महानंदा, डोक नदी, परवान नदी, कनकेई नदी पूर्व और उत्तर बिहार के इलाकों में तबाही मचाती हैं। ये तमाम नदियां हिमालय से आती हैं और इन नदियों को जोड़ने के लिए और उनके कटाव को रोकने के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन वह काम नहीं हुआ। शुरु में काम शुरू हुआ था और उसके लिए 15 करोड़ रुपया भी यहां से स्टेट को गया, लेकिन वह काम अब तक नहीं हुआ। आज अगर उसकी मोआशी हालत को बचाना है, दुरुस्त करना है और ये बच्चे जो यहां पर हैं और इन्हें अपने इलाकों में लौटना है तो वहां की खेती-बाड़ी के इंतजाम को दुरुस्त करना होगा और उसके लिए स्पेशल पैकेज देकर रोजगार फराहम कराना होगा, ताकि वे आगे बढ़ सकें।

जहां तक तालीम का मामला है, वह स्टेट जिसने आज से 6 हजार साल पहले, दुनिया को साइंस से मुत्तारिफ कराया, आज अगर हम नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा हमारे लिए गौरव की बात है कि नालंदा ने दुनिया को सबसे पहले साइंस से मुत्तारिफ कराया। ... (व्यवधान) जी हां, विक्रमशिला ने भी मुत्तारिफ कराया। वह सूबा जिसने सबसे पहले दुनिया को साइंस से अवगत कराया, आज उस स्टेट की तालीम की रेशो भारत में सबसे कम है। वहां आज तालीम की 54 प्रतिशत रेशो है। आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर

नहीं है। मेरे जिले किशनगंज की 12 लाख की आबादी है और 17 हाई-स्कूल हैं। इस साल बहुत हिम्मत करके 5 स्कूलों की मंजूरी दी गयी है। क्या 22 हाई-स्कूलों से आप 12 लाख आदमियों को पढ़ाने का इंतजाम कर सकेंगे।

सेहत की हालत यह है कि इलाज के लिए वहां के लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, वहां गरीब आदमियों के इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें तालीम में आगे बढ़ाइये, सेहत का इंतजाम कीजिए। माननीय शाहनवाज हुसैन लाइट के मामले में कह रहे थे यह सही है, वहां लाइट न होने की वजह से खेती में भी हमें दुश्चारी होती है। वहां पावर हाउस बनाने की जरूरत है, बिजली को बढ़ाने की जरूरत है। इन सारी चीजों में मदद करने के लिए यकीनी तौर पर उन्हें स्पेशल पैकेज देना चाहिए। अगर आप दो लाख करोड़ रुपया उन्हें दे दो तो वहां काम शुरू हो सकता है।

श्री मंगनी लाल मंडल : उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

श्री मोहम्मद असरारुल हक : उसका समर्थन तो मैंने कर ही दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेटस के साथ-साथ हमें पैसे चाहिए। बिहार को दो लाख करोड़ रुपया चाहिए, जिससे हम तमाम कामों को अंजाम दे सके। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

Comment [172]: Fd by Z3

Comment [173]:

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत ही विद्वान सदस्य डॉ. भोला सिंह द्वारा लाए गए संकल्प बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए, पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ दिनों पहले श्री रंजन यादव जी ने प्राइवेट मैम्बर बिल में विधेयक ले कर आए थे, जिसमें बिहार राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी, तब कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे थे। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि हिंदुस्तान के राज्यों की समीक्षा की जाए, तो मेरे खयाल से सबसे गरीब राज्यों में से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि हैं। जो नए राज्य बने हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। डॉ. भोला सिंह जी संकल्प ले कर आए हैं, वह बहुत वाजिब है और समय की पुकार है। जहां तक देखा गया है, जब बिहार प्रदेश का बंटवारा हुआ, नया प्रदेश झारखंड बना, तो तमाम प्राकृतिक सम्पदा झारखंड में चली गई। आज बिहार में जो बचा है, वह पुरानी रियासत या जिन चीजों का अन्य सदस्यों ने जिक्र किया, केवल वही बची हैं। हमारे कई साथी जैसे तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग अपने फायदे के लिए नए राज्य की मांग करते हैं। जब नया राज्य बनता है, तो वह महसूस करता है कि हम पिछड़ गए और जिस राज्य से अलग होते हैं, वह भी साथ में कमजोर हो जाता है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है। आज वहां की हालत यह है कि वह पूरी तरह से नक्सलवाद से प्रभावित है। वहां केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, नक्सलवाद के कारण वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती हैं। वहां का प्रशासन और जनता भय से रह रहे हैं। नक्सल प्रभावित एरिया में एक तरह से उनकी दूसरी सरकार चलती है।

बिहार के बारे में सत्य कहा गया कि बिहार का अपना राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बताया नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय रहा है। राजनीतिक प्रतिष्ठा रही है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक लोग बिहार से संबंधित रहे हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है।

16.59 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

बिहार में ऐसे व्यक्तित्व हुए, जिनके कृत्यों को हम आज भी याद करते हैं। हमें आज यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि बिहार राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है चाहे गया जिले को ले लीजिए चाहे बौद्ध स्थल ले लीजिए। बिहार निचला इलाका होने के नाते वहां बाढ़ की विभीषिका से जनता त्रस्त रहती है और कभी-कभी बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति से भी वहां के लोगों को निपटना पड़ता है। ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात कही जा रही है, मेरे खयाल से बहुत वाजिब है।

एक बार हुक्मदेव नारायण यादव जी बोल रहे थे कि वहां पता ही नहीं चलता कि गदूदे में सड़क है या सड़क में गदूदा है। डॉ. रघुवंश प्रसाद जी बैठे हैं। जब ये ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय कई सदस्यों ने यहां मांग उठाई कि एक हाईवे सड़क है और आज भी नहीं बन पाई है। बिजली और सड़क लोगों की या राज्य की लाइफ लाइन होती है। राज्य के विकास में विशेष भागीदारी इन दोनों चीजों की होती है।

Comment [174]: cd.

17.00 hrs.

अगर देखा जाए तो आज केन्द्र और राज्यों में समन्वय न होने के कारण राज्यों की स्थिति बहुत पिछड़ गई है और विकास नहीं हो पा रहा है। समय समय पर हम लोगों ने देखा कि चाहे वह प्रश्नकाल हो या बहस की बात हो या बिल की बात हो, केन्द्र राज्य को दोषारोपण करता है और राज्य केन्द्र को दोषारोपण करता है जबकि मूल्यांकन बनाकर अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए। उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए कि जो पैसा हम राज्यों को दे रहे हैं, वह वास्तविकता में खर्च हो रहा है, उन विभागों को जा रहा है या नहीं जा रहा है। वहां की स्थिति क्या है? लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

आज यहां पर बात कही गई। अभी हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ आइसलैंड गये थे। आइसलैंड में वहां पर जो थर्मल पॉवर है, एक तरीके से ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है, उससे टर्बाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। वहां के एम्बेसडर ने इंडियन्स को बुलाकर डिनर दिया था। वहां मैंने देखा कि वहां बिहार के लोग थर्मल पॉवर में थे, इंजीनियर थे। बिहार के लोग दुनिया में छाये हुए हैं। केवल यह देश की ही बात नहीं है। आज अगर मजदूर की बात होती है तो लोग कहेंगे कि बिहार से मजदूर ले आइए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं, इनके यहां गरीबी है, आज व्यक्ति अपना शहर, अपना गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जा रहा है। इसलिए स्थिति बहुत खराब है।

मैं उत्तर प्रदेश के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर मांग उठे। हमारे प्रदेश की तो यह स्थिति है कि प्रदेश में चार राज्यों की मांग हो रही है। एक तो उत्तराखंड पहले से ही चला गया और उत्तराखंड के जो तमाम राजनैतिक मित्र हैं, वे मिलते हैं तो कहते हैं कि पहले हम गर्व के साथ कहते थे कि हमारी 85 सीटें थीं। हम लोग और मंत्रियों को नहीं समझते थे लेकिन आज यह स्थिति है कि आप वहां से आते हैं, आज हम यह महसूस करते हैं कि हम चार-पांच एमपीज रह गये हैं। एक तरीके से हमें भी नुकसान हुआ है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में जाते थे लेकिन जब से राज्य अलग हुआ है, ... (व्यवधान) आप भी महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद हमें बहुत पीड़ा है। हम केवल मांग कर रहे थे कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए। लेकिन नहीं मिल पाया है।... (व्यवधान) मंत्री जी कह रहे थे कि पहले उत्तर प्रदेश बैठा हुआ शेर लगता था लेकिन अब सर कटा हुआ शेर लगता है।... (व्यवधान) यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड की मांग होती है। यह हकीकत है कि अभी हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित किया कि वहां पर पिछले तीन साल से करीब 250,300 मौतें हो चुकी हैं जिसका रिकार्ड नहीं है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे, मैं सेन्ट्रल हॉल में था, अमर उजाला के थे, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह कहा कि वहां पर बुंदेलखंड में आत्महत्या की स्थिति किसानों की अभी तक नहीं आई है। अगर आई है तो एक आई है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के छत्तीस के भी आंकड़े हो सकते हैं। कभी कभी फायदे के लिए मिल जाते हैं लेकिन हो सकता है कि न हो। लेकिन अगर उनको सही रिपोर्ट लेना है तो उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट ने जो शासन को निर्देश दिया है, उसकी रिपोर्ट मंगा लें तो मेरे ख्याल से हकीकत मालूम हो जाएगी। पश्चिम वाले मांग करते हैं कि हमको हरित प्रदेश चाहिए, हमारे राष्ट्रीय लोक दल के मित्र कहते हैं। बुंदेलखंड के लोग कहते हैं कि हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए और पूर्वान्चल के लोग कहते हैं कि हमें पूर्वान्चल राज्य चाहिए। तो बांट दीजिए। आज प्रदेश के बांटने की जो बात है तो देश के बंटने में भी कोई समय नहीं लगेगा। हम तो बीच में ही बचेंगे। पूर्वान्चल में आएंगे तो पूर्वान्चल के रहेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पैसा केन्द्र से राज्यों को जाता है, हमारे यहां तो ज्यादातर जो पैसा गया, चार साल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, पीएमजीएसवाई का एक भी काम नहीं हुआ। बजट में वे अलग डाइवर्ट कर दिये गये। अगर अलग डाइवर्ट कर दिया गया तो केन्द्र ने पैसा देना भी बंद कर दिया। आज इससे पूरा प्रदेश सफर कर रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि कम से कम जो हमारे डा. भोला सिंह जी ने और तमाम मित्रों ने जो बिहार प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो उनकी पीड़ा है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए ताकि बिहार की स्थिति और सुदृढ़ हो और वहां विकास हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, संकल्प के प्रस्तुतकर्ता भोला सिंह जी का आपने समर्थन किया है और अभी आप आसन पर हैं, शाहनवाज हुसैन जी, मंगनी लाल मंडल जी, शैलेन्द्र कुमार जी और अन्य माननीय सदस्य, जो समर्थन कर रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।

असलियत को जानना जरूरी है। बिहार पीछे छूट गया जबकि हिन्दुस्तान का सदियों का गौरवशाली इतिहास का दो-तिहाई इतिहास बिहार का है। यदि इतिहास संपूर्ण सदियों के इतिहास से बिहार के इतिहास को घटा लिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने गौरवशाली इतिहास का सवाल उठाया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं संक्षेप में केवल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के विषय को उठाना चाहता हूँ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और हम सब, समाजवादी खानदान के बाबू जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव उसी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, सवाल उठाते रहे। लेकिन सवाल में तेजी तब आई जब बिहार का 15 नवंबर, 2000 को बंटवारा हुआ। हम वहीं से खड़े होकर खिलाफ में बोल थे तब सोनिया गांधी जी और स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी मौजूद थे और सबने समर्थन किया था। उस वक्त हमारा उस पर अमेंडमेंट था। उसके बाद तेजी आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और शाहनवाज हुसैन जी भी मंत्री थे, भोला सिंह जी की पार्टी और जेडीयू के लोग भी उसमें शामिल थे, एक दर्जन बिहार के मंत्री थे। अभी मंगनी लाल मंडल जी सवाल उठा रहे थे, सुशील सिंह जी पार्टी से निकाले गए, जेडीयू इसमें है ही नहीं। हम यही बता रहे हैं कि ये लोग कितने गंभीर हैं और उस समय कितने गंभीर थे। मैं यही भेद खोल रहा हूँ। उस दिन भी हम अकेले थे जब इसी सदन में तीन बार सवाल उठा था, आठ घंटे बहस हुई। 16 मई, 2002 को तीसरी बार बहस हुई, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने वहां से सवाल जवाब किए कि आप तीन बार सवाल उठा चुके हैं। तब भी यही सवाल था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार का कर्जा माफ किया जाए, विशेष पैकेज 1,79,000 रुपए का दिया जाए। मैं इन तीनों सवालों पर तीन बार सदन में उठा और उस समय हम लोग बिहार के सांसद थे, एक कमेटी बनाई थी, श्री नीतिश कुमार जी उसके अध्यक्ष थे। आपको याद होगा सब लोग थे। एक बार बैठक हुई दोबारा बैठक नहीं हुई। एक और कमेटी बनी थी कि ये लोग देखभाल करेंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास सब पार्टी के सांसद गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। सारे सांसद गए थे और तब यही सवाल था। गुजराल साहब ने पंजाब का 8000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। तब बिहार पीछे छूट गया था, इसका कर्ज माफ किया जाना चाहिए था, तब इन लोगों ने मांग को क्यों छोड़ दिया। मेरी मांग है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तीन बार

सवाल उठा था। आपके राज्य में एक दर्जन मंत्री थे, शाहनवाज हुसैन जी कहते हैं कि वर्तमान में मंत्री नहीं हैं, उस समय एक दर्जन मंत्री थे, अब सवाल उठता है कि तब क्यों विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला।

Comment [r75]: Cd by c4

उस समय एक दर्जन मंत्री थे तो सवाल उठेगा कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं थी, हम देने को तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं थी।... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दिघा पुल का जब शिलान्यास हो रहा था, तब तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिलान्यास करने के लिए गये थे। उस गांधी मैदान की भरी सभा में उस समय की मुख्य मंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, उन्होंने इसका सवाल उठाया था। ... (व्यवधान) मैं अभी सारे भेद खोलता हूँ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डा.रघुवंश प्रसाद सिंह जी को बोलने दीजिए। कृपया व्यवधान पैदा न करें, आप बैठिये।

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं भेद खोलता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा सवाल उठाया गया था और सम्पूर्ण विधान सभा में सभी पार्टी के लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया था... (व्यवधान)

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल डा.रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात ही रिकार्ड पर जायेगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपका पांच वर्ष राज रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हमारी मांग को ठुकरा दिया गया। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्राइवेट मैम्बर बिल में टोका-टाकी मत कीजिए, कृपया उन्हें बोलने दीजिए। धारा प्रवाह विचारों में व्यवधान न डालें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं वह हिसाब भी अभी बता रहा हूँ। ...*(व्यवधान)* जब मैं पांच वर्ष मंत्री था, उसका भी हिसाब मैं बता रहा हूँ और तुम्हारे एक दर्जन मंत्री थे, उसका भी हिसाब बता रहा हूँ। अभी डा.भोला सिंह ने बहुत अच्छे तर्क दिये हैं और मजबूती से उन्होंने बहस की है और करनी भी चाहिए। लेकिन जब वोट डल रहे थे तो * ने ऐलान किया था, मैं आपको याद कराता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस बात पर कायम हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। केवल डा.रघुवंश प्रसाद सिंह जी का वक्तव्य ही रिकार्ड में जायेगा, बाकी किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया डा.रघुवंश प्रसाद जी को बोलने दीजिए, आप बैठिये और उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या ये लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मैं चाहता हूँ और बताता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप बैठिये। कृपया सभी बैठ जाएं और इन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : *

के बयान की सीडी होती है और मैं अनुसंधान करा रहा हूँ। मैं शाहनवाज साहब को दिखा दूंगा ...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Only Dr. Raghuvansh Prasad Singh's speech will go on record.

(Interruptions) ... *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अच्छा, वह बयान उन्होंने दिया था...*(व्यवधान)* उससे केस कमजोर होता है और केस दो बातों से कमजोर होता है। इसे मैं मजबूत कर रहा हूँ। लेकिन दो बातों में कमजोरी है। प्रथम यह है कि जब आप लोग एक दर्जन मंत्री थे तो उस समय यह क्यों नहीं हुआ और उसमें नोटिस भी नहीं...*(व्यवधान)* श्रीमती वसुंधरा राजे का जवाब हाथ में है, उसमें कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा तक नहीं।

दूसरी बात यह है कि भोला बाबू ने अपने भाषण में कहा और श्री शाहनवाज साहब ने भी कहा कि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, वहां के मुख्य मंत्री का नेतृत्व बहुत अच्छा है और यह जयकारी दल हो

* Not recorded

गये। इस पर सवाल नम्बर दो यह उठेगा कि यदि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है तो आपको विशेष राज्य का दर्जा देने की क्या जरूरत है?...(व्यवधान) आप केस कमजोर मत कीजिए, बिहार के दस करोड़ लोगों की आबादी का सवाल है।

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी, केवल डा.रघुवंश प्रसाद सिंह का वक्तव्य रिकार्ड में जायेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जनता का पैसा खर्च करके मीडिया में जब हुआ और यह जयजयकारी दल हो गये...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिए, यह प्राइवेट मैम्बर बिल है। आपने भी अपने समय में बोला है, अब उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग जयजयकारी दल हैं...(व्यवधान) कहते हैं कि वहां के मुख्य मंत्री के कारण बिहार में बड़ी तरक्की हो रही है। अब बिहार गुजरात के बराबर आ जायेगा। अभी भोला बाबू भाषण में कह रहे थे कि 11 परसेन्ट ग्रोथ हो गई और बिहार में बड़ी तरक्की हो रही है। इस पर सरकार कहेगी कि यदि आपकी इतनी तरक्की हो गई है तो क्या इतनी तरक्की वाले राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा लिया है? फिर आपका क्या जवाब होगा। आप केस कमजोर मत कीजिए। ...(व्यवधान) श्री नितीश कुमार के जयकार में बिहार के केस को कमजोर मत करिए, मैं यही सावधान करता हूँ। बिहार की दस करोड़ की आबादी का जो सवाल है, उसका नुकसान, ... * का जयकार कर के मत कीजिए। ...(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ कि बिहार की स्थिति क्या है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI SATPAL MAHARAJ): Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

Comment [BS76]:

Comment [BS77]: (cd.

Comment [BS78]: (cd. by d4

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अभी हाल में अखबार में छपा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनडीसी में विचार में होगा। दूसरा न्यूज़ छपा है कि जीओएम में चला गया। फिर किस बात की बहस है। आप उसको सुनिए। जयकार करने में और एकतरफा प्रचार करने में देश को कमज़ोर कीजिए। इसलिए कैसे क्या है, मैं यह बहस करना चाहता हूँ। यह सवाल बिहार की दस करोड़ आबादी का है। जब आजादी मिली थी, तब बिहार प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से तीसरे नम्बर पर था। लेकिन पंचवर्षीय योजना प्रथम से लेकर 8वीं और 9वीं तक देश भर में प्रतिव्यक्ति आय सबसे न्यूनतम हो गई। यह ठीक है कि यहां पर ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठने वाले बाबू राजेन्द्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम सभी बिहार से थे लेकिन बिहार में रीज़नलिज्म नहीं है। महोदय, रीज़नलिज्म हमने सीखा नहीं है। हमारे कल्चर में बसता है कि हम देश हैं।

महोदय, बिहार पीछे छूट गया है। बिहार की बहुत ही उपेक्षा हुई है और अभी भी हो रही है। बिहार को विशेष राज्य के लिए इनका क्राइटेरिया है कि आर्थिक मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रतिव्यक्ति आय का हिसाब बता रहे थे। नंबर दो - बार्डर एरिया हो। 709 किलोमीटर लंबा बिहार और नेपाल के साथ देश का बार्डर है। **geographical disadvantageous position** में हो। भौगोलिक कारणों से बिहार के 27 जिले बाढ़ ग्रस्त होते हैं। बाढ़ग्रस्त होने के चलते हर साल बर्बादी होती है और सात जिले सूखे के चपेट में आते हैं। इस तरह बिहार **geographical disadvantageous position** में है तो इस हिसाब से तीन पॉइन्ट पूरे हुए। चौथा है कि ट्राइबल इलाके ज्यादा हों और पांचवा है हिली एरिया। ट्राइबल में हमारे यहां लोग कम हैं लेकिन ट्राइबल की तरह लोग बहुत हैं। जैसे नुनिया जाति है, मल्लाह जाति है। ब्रिटेन के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने लिखा है कि वे लोग भी ट्राइबल की स्थिति में हैं। वे लोग भी मांग कर रहे हैं। झारखण्ड बनने के बाद बिहार में वर्तमान में एक फीसदी ट्राइबल है, लेकिन ट्राइबल की तरह लोगों को जोड़ा जाएगा तो उसमें कम से कम 15 फीसदी लोग ट्राइबल की तरह हैं। वे लोग मांग करते हैं कि उन्हें भी जोड़ा जाए। मल्लाह, नुनिया मांग करते हैं कि हमको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। अति पिछड़ी जाति के लोग, गड़ेरिया लोग जो भेड़ चलाते हैं ये लोग मांग करते हैं कि हम को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में रखिए। इस तरह के लोग वहां हैं। जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सभी मामलों में बहुत पीछे छूट गये हैं। अब मैं हिल्ली एरिया का जिक्र करता हूँ। हमारा भी कैमूर का इलाका, राजगीर का इलाका, जहानाबाद का इलाका और नेपाल से लगा हुआ इलाका, उसमें भी पहाड़ी है। इसलिए ये पांच सवाल हैं, जिससे अति पिछड़ा, विशेष राज्य का दर्जा पाने का हक बिहार का बनता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपेक्षा क्या हुई। भारत-नेपाल समझौते के लिए सार्क कार्यालय खोलना था और वहां से हम हर साल बर्बाद होते हैं, कोशी, बागमती, कमला, बलान, भुतही सब नदियों से हर साल हम बर्बाद होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या हुआ है, कहां पर मामला अटक गया है। महोदय, यह ज्योग्रफिकल डिसएडवान्टेजियस पॉजिशन इसीलिए है। इसी वजह से साधारण मुरकटी हिसाब देख लिया

जाये। देश में 33 लाख किलोमीटर सड़क है और 66 हजार किलोमीटर हाइवे है। उसी में हाइवे है, उसी में फोर लेन है, उसी में सिक्स लेन है, उसी में एक्सप्रेस है, सब उसी में है। बिहार का इसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, हम देश की जनसंख्या का 12वां हिस्सा हैं, 10 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। 12वां हिस्सा कितना होता है, साढ़े पांच हजार किलोमीटर, वहां हाइवे 3,400 किलोमीटर है, लेकिन होना चाहिए साढ़े पांच हजार किलोमीटर। मैं नेशनल हाइवे से शुरू करता हूँ, नेशनल हाइवे में भी बिहार देश भर में सबसे पीछे है। आबादी के हिसाब से हमारे यहां जितना हाइवे होना चाहिए, वह नहीं है। श्री बालू के समय में फोर लेन बनाने के लिए, 890 किलोमीटर उन्होंने स्वीकृत किया था, उसे भी बीच में काट दिया गया। पटना से पूर्णिया तक फोर लेन, पटना से मुंगेर तक फोर लेन, पटना से बक्सर तक फोर लेन, पटना-गया-झोभी फोर लेन, पटना से मोहनियां फोर लेन, पटना से सोनबरसा फोर लेन, जोगबनी तक फोर लेन और उधर रक्सौल तक फोर लेन, सबके फोर लेन को काटकर थोड़े का छोड़ दिया गया और ज्यादातर को टू लेन कर दिया गया। हाइवे में कमी, फोर लेन में कटौती, उसी तरह से महोदय बिहार में 81 हजार किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है। देश भर में 33 लाख किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है, लेकिन बिहार में 81 हजार किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है। उसमें से 3,400 किलोमीटर हाइवे, स्टेट हाइवे वे बना रहे हैं, वह भी 3-4 हजार किलोमीटर के करीब होगा। बाकी डिस्ट्रिक रोड है और उसके बाद रूरल रोड है। रूरल रोड में कह रहे थे कि रोक दिया गया, कैसे रोक दिया। चार बार ... * ने हमको रोका कि आप मंजूर मत कीजिये। हमने कहा कि तुम्हारा बिहार है, हमारा भी बिहार है, हम मंजूर करेंगे।... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, ये नाम ले रहे हैं।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमको रोक रहे थे।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Everything objectionable will be removed.

... (Interruptions)

सभापति महोदय : यह नाम डिलीट हो जायेगा।

... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये ... की जयकार बोल रहे थे।... (व्यवधान) हम आरोप नहीं लगा रहे हैं जो आप कूद-कूदकर खड़े हो रहे हैं।... (व्यवधान) मैं असलियत बयान कर रहा हूँ। जब वे हमें मना करते थे, लेकिन

हम नहीं माने। 8 हजार करोड़ सेंट्रल एजेंसी, 8 हजार करोड़ राज्य सरकार, 16 हजार करोड़, 36 हजार किलोमीटर पांच वर्षों में मंजूर किया। इसके बाद एक इंच भी मंजूर नहीं हुआ।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें बोलने दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इनके मुख्यमंत्री जी ने हमें रोकने के लिए कहा, हम नहीं मानें, अबकी सरकार ने रोक दिया और मुख्यमंत्री जी की बात मान ली। अब एक इंच भी मंजूर नहीं है तो अब आप चुप क्यों हैं आप चुप क्यों हैं, क्या इससे बिहार का हित हो रहा है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप व्यवधान पैदा न करें, आप उन्हें बोलने दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार का अहित हो रहा है, आप चुप क्यों हैं

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अब आप समाप्त करें

Comment [c79]: Fd. By f4

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिहार में केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तीन लाख शिक्षकों की कमी है। वेतन की विषमता भी हो गई है। हैडमास्टर 90 फीसदी स्कूलों में हैं ही नहीं। ... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :... * के समय में था ही नहीं। 15 साल आरजेडी ने राज किया। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नाम मत लीजिए। नाम डिलीट कर दीजिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन्होंने वेतन की विषमता इतनी कर दी कि एक मास्टर को 4000 रुपये तो एक मास्टर को 20000 रुपये, एक मास्टर को 6000 रुपये तो एक मास्टर को 30000 रुपये। इन्होंने बिहार में पढ़ाई को बर्बाद किया है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने बिहार को चौपट किया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए। बैठ जाइए। पाटसाणी जी आप बोलिये।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now nothing will go on record. Only Dr. Prasanna Kumar Patasani will speak.

(Interruptions) ... *

सभापति महोदय : रघुवंश जी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। पाटसाणी जी बोलेंगे।

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिये, पाटसाणी जी को बोलना है। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। पाटसाणी जी आप बोलें।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं कनक्लूड करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : कितना समय आपको दे दिया है। चलिए, एक मिनट में कनक्लूड कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए ये जो दावा करते हैं कि करोड़ आदमियों के हस्ताक्षर आए हैं और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, तो हमारे तीन सवाल थे। जो पाँच वर्षों तक हमने लड़ाई लड़ी थी और इन लोगों ने सुनवाई नहीं की, अब वही बात को फिर से दोहरा रहे हैं। उसमें तीन सवाल थे - कर्जा माफी वाला और पैकेज वाला, वह क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया। आप लोगों की मांग पर छोड़ दिया है। ...*(व्यवधान)* हम लोग जब राज्य में आए तो विशेष राज्य का दर्जा कुछ नहीं। इतना पैसे के लिए छलैया रलैया किया और फिर बैठ गए जहाँ के तहाँ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। यह सब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

MR. CHAIRMAN: I have to make an announcement.

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

सभापति महोदय : रघुवंश जी, बैठिये। आपकी बात हो गई है। आप सब बैठिये।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the allotted time for discussion on this Resolution is over. I have a list of nine more Members who want to speak on this

12.08.2011

178

Resolution. If the House agrees, the time for discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

Comment [s80]: Fld by G4

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Hon. Chairman, Sir, I must convey my heartfelt thanks to Dr. Bhola Singh that we are discussing on this Resolution today in the House. I am delighted to participate in this discussion.

Moreover, I can tell you one thing, that Shri Hussain, the former Minister, has very correctly mentioned two things here. One is that there is no Minister in the Cabinet from Bihar. The same thing has happened to my State also as there is no Cabinet Minister in the Centre from Odisha. Odisha and Bihar are just like two sides of a coin having high heritage from the days of Lord Jagannath, the lord of the universe. You must have witnessed the biggest / gigantic temple in the world of Lord Jagannath above which there is a green wheel of 16 feet radius, and above that is the biggest flower of the globe renouncing *Patita Pavana Vana*, that is, 180 feet high. It can be seen nowhere in the globe. I can also tell you that there is Konark, Lingaraj and Lord Jagannath within 60 km radius, which can be seen nowhere in the world.

I would like to mention about Oxford. Oxford is the brightest example promoting the Britishers in knowledge. The same thing happened to Nalanda, and the same thing happened to our State of Odisha in Lalitgiri and Udayagiri. From those days, Jagannath was called Buddha, and from those days Ashoka was converted as Chandalika in my State Odisha. At the same time, you know that butchers were butchering and annihilating lakhs and lakhs of people from Odisha to Bihar, and they were suffering in the Bihar jails. So, this tradition is not from now. It is *Puranam alayam karunalayam namami bhagvatpadam sankaram lok sankaram*. So, it is from Shiv and Shankar; the place of creation; and from Bihar to Patliputra to Konark to Odisha. So, I can tell you that the Central Government is highly neglecting Bihar and Odisha not from now, but from the days of Independence. Hence, both the States are below poverty line.

Recently, I was in Sudan and Libya with one of my friends from Congress, namely, Shri Kishanbhai V. Patel. I have seen in Sudan with my own eyes that

some Bihari bonded labourers are not released in Libya, and the same thing happened in Sudan. Both of us met the concerned Minister of External Affairs and also the Speaker regarding this issue, and their prayers were granted. Presently, you perceive a new horizon of science. We believe in it, but what happened to it.

Presently, we are dealing with your brilliant channels as also mobile and laptop, but in this modern age, a Bihari or Odiya bonded labour is starving here. In those times, it was called *jajan*, and today that is named as bonded labour. They are starving and still serving far away from their State of Bihar and Odisha. I have seen this happening in Sudan. They are crying, but as we were there, hence, we could get them released. I am grateful to my Chief Minister Shri Naveen Patnaik who helped in getting those bonded labourers released from Libya.

Presently, we are quarrelling here during the debates, but we are not realizing religion-wise, which I believe like you, Sir, realize within. We are not realizing democracy, and we are not realizing the pathetic condition of those poor people. This is not the cracy of the people, but it is the cracy of the demon. It is highly debated here from scam to now, but you see the condition of Odisha and Bihar. It is very much pitiable. I am grateful to the Central Government for giving this special status to eleven States, but why were these two States – Orissa and Bihar – debarred from getting that status? Since Bihar and Orissa have the same problems, same heritage and same traditions, I demand special status for these two States.

I have great honour for you. This issue must be discussed, and special category status must be announced in respect of Bihar and Orissa. I honour the Resolution tabled by you. I, again, salute you. I say that it should be thoroughly discussed in the form of a Bill. It must be brought before the House and then it should be sent to the parliamentary committee for its scrutiny and then it should be given final approval. Thank you.

Comment [r81]: cd.. by h4

12.08.2011

181

सभापति महोदय : सुशील कुमार जी, आप पांच मिनट बोलिए तो सब को बोलने का मौका मिल जाएगा। आप संक्षिप्त में अपने विचार रखिए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आदरणीय भोला बाबू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो क्यों, मैं इसके पक्ष में अपना तर्क एवं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है, वह बराबरी और समानता की है। इसलिए यह जो संघीय सरकार से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मांग कोई राजनीतिक, किसी दल विशेष की मांग नहीं है, यह मांग समानता के आधार पर भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के आधार पर है। यह मेरा और बिहारियों का हक है, यह हर बिहारी का दावा है, हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में संघीय, भारत की सरकार से यह मांग रखते हैं कि वे हमें विशेष राज्य का दर्जा दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना से जब देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं तो पहली पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार यह हिसाब लगा ले, चूंकि भारत सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, अपने आंकड़ों को देख ले और बिहार के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठा कर ये हिसाब लगा लें, ये बता दें कि पहली पंचवर्षीय योजना से देश के बाकी हिस्सों में प्रति व्यक्ति कितना निवेश हुआ, विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी राशि अन्य प्रदेशों को गई और कितनी राशि बिहार के लिए गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार के साथ आजादी के 64 वर्षों तक जो नाइंसाफी और हकमारी होती रही, उसका आपको संक्षेप में विवरण देना चाहता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने सारे तर्कों को रख दिया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं अलग से यह बात कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनसंख्या लगभग दस करोड़ है और हमारा देश के खजाने में जो हिस्सा होना चाहिए, यदि मिला हो, भारत सरकार अपने आंकड़ों एवं तर्कों से बिहार के प्रतिनिधियों, वहां के बिहारियों को यदि बता दे कि आपके साथ कोई नाइंसाफी एवं हकमारी नहीं हुई तो हम इस मांग को छोड़ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समानता एवं बराबरी के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए यह मांग हम लोगों ने रखी है। चाहे स्वास्थ्य की सुविधा का सवाल हो, बिहार में अस्पतालों के निर्माण की बात हो, देश के अन्य हिस्सों एवं प्रदेशों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से बिहार में नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आबादी का जो घनत्व है, 1200 प्रति स्कवेयर किलोमीटर में बिहार की आबादी का घनत्व है। उसके हिसाब से हमारे यहां न स्कूल हैं, न विश्वविद्यालय हैं और न ही शिक्षक हैं।

सड़क के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय में अभी रघुवंश बाबू ने बताया है। यही हाल ग्रामीण सड़कों का है। बिजली की जो स्थिति है, अन्य सदस्यों ने उसकी चर्चा की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, वह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में है, यानि किसी भी क्षेत्र में आंकड़े देख लिए जायें, किसी भी क्षेत्र में बिहार को अभी तक उसका वाजिब हक नहीं मिला है।

बिहार की जो परिस्थिति है, उसमें बिहार दो हिस्सों में बंटा हुआ है। गंगा नदी के उत्तर के हिस्से को उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का जो दक्षिणी भाग है, उसे दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है।

सभापति महोदय : जरा संक्षिप्त करें, अन्य मैम्बर्स भी बोलेंगे।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाढ़ की चर्चा यहां हुई। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, वह विगत दो सालों से सुखाड़ की चपेट में था। इस वर्ष अभी 4-5 दिन से थोड़ी अच्छी वर्षा हुई है तो किसानों को थोड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ होने से हमारा यह हक बनता है कि भारत सरकार इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहां होता क्या है कि हम मांगते कुछ हैं और हमें पकड़ा कुछ और दिया जाता है। बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में बिजलीघरों की स्थापना के लिए हम लोगों ने कोल लिंकेज मांगा तो भारत सरकार ने हमें कोल ब्लॉक पकड़ा दिया। हमें भूख लगी है, हमें खाने को अभी चाहिए तो भारत सरकार हमें बना हुआ खाना नहीं देकर चावल दे देती है, दाल दे देती है, आलू दे देती है, फिर हम उसको बनाएंगे। हम कोल ब्लॉक को डैवलप करेंगे, तब हम अपनी भूख मिटाएंगे। हम मांगते कुछ हैं, हमें पकड़ा कुछ दिया जाता है।

सभापति महोदय : अब संक्षिप्त करें।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूँ।

मैं बिहार का जो स्वर्णिम अतीत है, उसकी चर्चा विस्तार से तो नहीं करना चाहता, लेकिन संक्षेप में उसे जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण नाइंसाफी का और देना चाहूंगा। देश के अन्य हिस्सों में पर्यावरण के नियमों को शिथिल करते हुए कल-कारखानों के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जंगलों को काटने के लिए स्वीकृति दी जा रही है और बिहार के लोग जब सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगते हैं तो भारत सरकार उस पर रोक लगाती है। मेरे इलाके में ऐसी सिंचाई परियोजना है, जिससे 1.24 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये का अनाज उससे उत्पादित होगा, लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 2007 में उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि आप उस कुटकू डैम में लोहे का फाटक नहीं लगा सकते। जब तक हम लोहे का फाटक नहीं लगाएंगे, उसमें जल का भंडारण नहीं होगा और हमारी नहरों में पानी नहीं आ सकता तो इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी हर क्षेत्र में हो रही है।

आजादी के समय बिहार के लोगों की जो भागीदारी थी, वह किसी दूसरे से कम नहीं थी। 1857 की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह जी जैसे योद्धाओं ने वह उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। इसलिए मैं समानता के आधार पर, भारत के संविधान की मूल अवधारणा के आधार पर भोला बाबू की मांग का समर्थन करते हुए यह मांग करता हूँ कि भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि हम देश के दूसरे राज्यों के बराबर खड़े हो सकें।

बस मैं यही कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ने के लिए डॉ. भोला सिंह जी ने जो संकल्प रखा है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में उल्लेख किया। बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हिंदुस्तान में जो ग्रोथ रेट है, उसको पीछे धकेलने में बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ जो पिछड़े प्रदेश हैं, उनकी वजह से ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं रही है। इसलिए कुछ लोग साउथ-नार्थ डिवाइड की बात करते हैं। साउथ में बहुत तरक्की हो रही है, वहां शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की है, लेकिन उसके मुकाबले जो उत्तर के राज्य हैं, उनमें उतनी तरक्की न होने की वजह से हिंदुस्तान विकास के रास्ते में बहुत धीमी गति से चलता हुआ दिखायी देता है। उत्तर के राज्यों में इनको बीमारू स्टेट्स की संज्ञा दी गयी। इसमें बिहार सम्मिलित है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों को कहा गया कि यहां धीमी गति से विकास हो रहा है और इसको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर पूरे हिंदुस्तान का मुख्य भाग आगे विकास नहीं करता है, प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ता है, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर राष्ट्र एक गौरवशाली इतिहास बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहता है, तो इन सब राज्यों को भी बाकी राज्यों के साथ विकास में आगे बढ़ना पड़ेगा। यह बताया गया कि इसकी दस करोड़ की आबादी है, वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से यह आठ करोड़ तीस लाख है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.7 फीसदी है। जैसा बताया गया कि यह पिछड़ा हुआ है, गरीबी के जो आंकड़े हैं, उनकी संख्या 1 करोड़ 60 लाख 40 हजार 990 है। यह टेंटेटिव फीगर है, जो कि एराइव किया गया। यह फेमिलीज की संख्या है। अगर एक परिवार में पांच सदस्य औसतन मान लिए जाएं तो आठ करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दस करोड़ की आबादी में अगर आठ करोड़ गरीब हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह प्रदेश बहुत पिछड़ा है और इसको विशेष सहायता और विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है और इसको विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आदरणीय रघुवंश बाबू ने जैसा कि बताया कि हमारी सड़कों को बारहवां हिस्सा पूरे हिंदुस्तान भर का आबादी के हिसाब से होना चाहिए। बिहार का जो एरिया है, अगर पूरे हिंदुस्तान भर का क्षेत्रफल देखा जाए, तो यह तीन फीसदी है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आठ फीसदी से ज्यादा है। इस तरह यह बारहवां हिस्सा है, लेकिन बारहवें हिस्से के बराबर जो हमारी रूरल रोड्स हैं, वह मात्र 81 हजार 655 किलोमीटर हैं, नेशनल हाईवेज 3629 किलोमीटर हैं, स्टेट हाईवेज 3232 किलोमीटर हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड केवल 7114 किलोमीटर हैं। यह विकास का अगर आइना है, तो मैं समझता हूँ कि हम सब हिंदुस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। पीने के

Comment [R82]: cd by k4

पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं है। एक आंकड़े के हिसाब से 3863 अनुसूचित जाति की आबादी है, जिसे 9 गैलन पानी भी एक दिन में नहीं मिलता है। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 533 पीएचसी हैं, 8858 सब-सेंटर्स हैं और प्राइमरी और सेकेंड्री स्कूलों की एवलेबिलिटी दस हजार की आबादी पर केवल पांच हैं। अगर यह मान लिया जाए कि एक परिवार में पांच व्यक्ति होते हैं, तो दो हजार परिवार हुए। हर परिवार में दो बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो चार हजार बच्चों के लिए, दो सौ के एवरेज को अगर देख लिया जाए, तो बीस स्कूल अवश्य चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले पांच स्कूल भी नहीं हैं। यह हमको देखना चाहिए। बहुत सही बातें बताई गई कि वहां बिजली की सुविधा नहीं है। वहां की सड़कें खराब हैं। हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वह झारखंड में चली गई। बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया है। उसमें कोई साधन नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहां सेन्ट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन की वजह से वहां की आय ग्यारह हजार रूपया प्रति व्यक्ति बताई गई है। चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 80 हजार रूपया है। औसत अगर लगाया जाता है तो 44 हजार रूपया है। उसके मुकाबले हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ ग्यारह हजार रूपया है। सभी पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है। मैं शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बगैर शिक्षा के कोई विकास संभव नहीं है। यहां अगर पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज वर्ष 2001 के हिसाब से देखा जाए तो साक्षरता रेट 65.4 फीसदी है लेकिन बिहार की साक्षरता रेट सिर्फ 47 फीसदी है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया : पूरे हिन्दुस्तान में महिलाओं की साक्षरता दर 54.2 फीसदी है लेकिन बिहार में 38.1 फीसदी है। इसमें कितना फर्क है।

सभापति महोदय : आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं कृपया संक्षिप्त करिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : पुरुषों की साक्षरता दर 76 फीसदी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में 20 फीसदी भी साक्षरता दर नहीं है, ऐसे छः जिले हैं। उन छः जिलों में शिवहर में शैड्यूल्ड कास्ट्स की साक्षरता दर सबसे कम है जो 16.9 फीसदी है। विशेषरूप से मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई रेजिडेन्शियल स्कूल नहीं है। वहां पर कोई विशेष योजना भी नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार में आठ जनपद ऐसे हैं जिसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स महिला साक्षरता दर 10 फीसदी से भी कम है जिसमें सबसे कम सुपौल 7.5 फीसदी है और यहां कोई रेजिडेन्शियल स्कूल नहीं है और न ही यहां कोई अलग से व्यवस्था है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों में जो असंतुलन है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर की अगर मैं आंकड़े आप को बताऊं तो पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के महिलाओं की साक्षरता दर 15.5 फीसदी है, ओवर ऑल 28.5 फीसदी है।

Comment [p83]: Cont by l4.h

सभापति महोदय : बस हो गया। अर्जुन राय जी खड़े हैं।

श्री पन्ना लाल पुनिया : पूरे हिन्दुस्तार भर के आंकड़े देखिए और अनुसूचित जाति के आंकड़े देख लीजिए। अनुसूचित जाति के विकास के लिए शेड्यूल कॉस्ट का प्लान है उसमें 15.7 फीसदी खर्चा होनी चाहिए लेकिन खर्चा सिर्फ 7 फीसदी होता है। फिर भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे आर्थिक दृष्टि से उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं आपका बहुत अभारी हूँ कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। डाक्टर भोला सिंह जी ने बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, डॉ. भोला सिंह जी के द्वारा लाए गए गैरसरकारी संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समय ज्यादा हो चुका है। मैं कुछ ही विषयों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

सभापति महोदय : समय कम है इसलिए थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुन राय : सभापति जी, बिहार के संबंध में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो दुनिया के लोग अध्ययन एवं अध्यापन के लिए आते थे। दस हजार स्टुडेन्ट्स के रहने की वहां व्यवस्था थी। आज का जो बिहार है, दुनिया का सबसे उपजाऊ भू-भाग जो गंगा का बेसिन है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान है वह दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। इससे ज्यादा उपजाऊ मैदान दुनिया में कहीं नहीं है। इस देश के सभी लोग मेहनती हैं लेकिन बिहार के जो लोग हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। लोकतंत्र का जन्म लिच्छवी में हुआ, बिहार के वैशाली जहां से रघुवंश बाबू एमपी हैं, हम उसी मुज़फ्फरपुर के रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने दुनिया को मध्य मार्ग का संदेश बिहार से दिया। वह गुरु गोबिंद सिंह की धरती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की धरती है। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज बिहार कहां जाकर खड़ा है।

सभापति जी, मैंने वर्ष 1993-94 से लेकर 2004-05 तक का एक आंकड़ा देखा। जीएसडीपी इन दस वर्षों में बिहार में सबसे कम था। कभी पंजाब आगे, कभी महाराष्ट्र आगे और कभी सारे राज्य आगे। यह अच्छी बात है, विकसित राज्य हैं, अच्छा करें, लेकिन हमारा जीएसडीपी सबसे अंतिम पायदान पर है। आखिर हमारे पास इतने संसाधन हैं। जब झारखंड और बिहार साथ था, देश के सबसे ज्यादा मिनरल्स आयरन ओर, कोल, अभ्रक, बॉक्साइड आदि बिहार में सबसे ज्यादा थे। जो भी उद्योग धंधे लगे, वे झारखंड में चले गए और अभी के बिहार में पानी, बालू और ह्यूमन रिसोर्सज़ हैं। बिहार में आज ये तीन रिसोर्सज़ हैं जिनके बल पर बिहार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।

मैं एक मिनट में आदरणीय रघुवंश बाबू के कुछ प्रश्नों का जवाब भी इसी माध्यम से देना चाहते हैं। रघुवंश बाबू ने कहा कि आदरणीय राबड़ी देवी जब बिहार की चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। उस समय अटल जी प्रधान मंत्री थे। हम निवेदनपूर्वक कहना चाहते हैं कि आप बड़े नेता हैं, बड़ी नॉलेज भी है, लेकिन जब नीतीश जी बिहार में नवम्बर, 2005 में सत्ता में आए, उनके साथ राज्य में मैं भी मंत्री था। इनका साल का 4 हजार करोड़ रुपये का प्लान हैड था। जब नीतीश जी सत्ता में आए, उसके बाद 8 हजार करोड़ रुपये, 10 हजार करोड़ रुपये, 16 हजार करोड़ रुपये, 20 हजार करोड़ रुपये और 24 हजार करोड़ रुपये हो गये। हमने अपना प्लान साइज़ बढ़ाया। माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करने का प्रयास किया। लॉ एंड आर्डर ठीक हुआ। बिहार बढ़ रहा है, यह हम नहीं कहते, हमारी सरकार नहीं कहती, दुनिया में प्रसिद्ध श्री अमर्त्य सेन भी बिहार में जाकर कहते हैं कि बिहार बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है।

सभापति महोदय, समय का अभाव है। हम बताना चाहते हैं कि आखिर बिहार की तरक्की कैसे होगी। बिहार में 24 से 26 नदियां नेपाल से आती हैं, मैक्सिमम नदियां बारह मासी हैं। एक लोक सभा क्षेत्र में, जहां से हम सांसद हैं, उस इलाके में 24 नदियां बहती हैं। बाढ़, मानसून के समय फ्लड ज़ोन हो जाता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात थोड़ी संक्षिप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : हमारे 20 एमपी हैं और हम पहले एमपी बोलने के लिए खड़े हुए हैं।...(व्यवधान) हम अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय छः बजे खत्म हो जाएगा। इसलिए समय कम है।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कोई पहल नहीं की, चाहे हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हो या नदी के पानी का खेतों में प्रॉपर यूटीलाइजेशन हो। भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। वर्ष 2007-08 में बिहार में भीषण बाढ़ आई। वर्ष 2007 में 23 जिले वॉश आउट हो गए, लेकिन भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। वर्ष 2008 में माननीय प्रधान मंत्री जी जब कोसी की त्रासदी में गए तो उन्होंने उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की। जब बिहार सरकार ने कोसी के नवनिर्माण के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की डिमांड की, प्रधान मंत्री जी ने अनसुनी कर दी, भारत सरकार ने अनसुनी की और कोई पैसा नहीं मिला। मात्र एक हजार करोड़ रुपये मिले, उसे भी वापिस करने का पत्र चला गया

था। हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या आधार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। समय का ध्यान रखिए।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : मैं संक्षेप में बता रहा हूँ।

सभापति जी, रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राज्यों में राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दरें - दसवीं योजना में हमारी विकास दर 4.7 प्रतिशत थी। जो स्पैशल कैटेगरी के राज्य हैं - अरुणाचल प्रदेश में 5.8 प्रतिशत, असम में 6.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 7.3 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 5.2 प्रतिशत, मणिपुर में 11.6 प्रतिशत है।

Comment [r85]: Cd by n4

18.00 hrs.

इस तरह से जितने भी ग्यारह स्पेशल स्टेटस के स्टेट्स हैं, उनकी विकास दरें हमसे बहुत अधिक हैं। हमारा विकास दर सबसे कम है। हमारे यहां सामरिक दृष्टिकोण की जगह है और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन टच करती है। माओवादी एक्टिविटी नेपाल से यहां माइग्रेट करती है।... (व्यवधान)

Comment [r86]: Sh. Arjun Rai-cd

सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी कमजोर है। चूंकि समय की कमी है और हमें विस्तार से बताना है कि आखिर बिहार के साथ इस तरह से भेदभाव होता रहा, जहां 1 करोड़, 40 हजार परिवार पावर्टी लाइन के नीचे हैं ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए, क्योंकि समय हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राय : हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, हमारी पार्टी ने सवा करोड़ लोगों का हस्ताक्षर दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की मान्यता दीजिए और भोला बाबू जो गैर सरकारी संकल्प लाये हैं, उसे स्वीकार किया जाये। हम आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाये।

सभापति महोदय : श्री पुतुल कुमारी जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बाद में फिर बोलेंगी।

...(व्यवधान)

श्रीमती पुतुल कुमारी : सभापति महोदय, बिहार पर चल रही विशेष चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस चर्चा में बोलते हुए थोड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और थोड़ा दुख भी। मुझे प्रसन्नता इसलिए हो रही है, क्योंकि यह बहुत अहम विषय है और मुझे इस पर बोलने का मौका मिला। मुझे दुख इसलिए है कि हम जहां आजादी के बाद...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आगे भी बोलेंगी। जब नेक्स्ट सेशन आयेगा, यानी जब यह संकल्प लगेगा, तब आप बोलेंगी। आपकी बात कन्टीन्यू रहेगी। जब आगे इस संकल्प पर चर्चा होगी, तो आप ही बोलेंगी।

श्रीमती पुतुल कुमारी : ठीक है।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 11 a. m. on 16th August, 2011.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 16, 2011/Sravana 25, 1933 (Saka).